हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9, जुलाई, 1980

खण्ड 2, अकं 2

अधिकृत विशय

विशय सूची

बुधवार, 9 जुलाई, 1980

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(2)1
वैयक्तिक स्पश्टीकरण श्री भले राम द्वारा	(2)18
तारांकित प्र न एवं उत्तर(पुनराम्भ)	(2)19
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(2)23
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)36
वैयक्तिक स्पश्टीकरण स्वामी अग्निवे ा द्वारा	(2)63
ध्यानाकर्शण सुचना	
हरियाणा राज्य में आम तौर पर और अम्बाला तथा करनाल जिलों में वि ोशकर लीजिया फैलने सम्बन्धी	(2)68
वक्तव्य–	

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री द्वारा राज्य में आव यक वस्तुओं की कमी तथा उनकी बढ़ती हुई कीमतों सम्बन्धी	(2)71
मेज पर रखे गये कागज–पत्र	(2)77
वर्श 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त)–	
1. राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा	(2)78
2. अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(2)78
सदन के निर्णय का विखंडन–	
चौधरी गंगा राम, एम0एल0ए0 के निलम्बन संबंधी	(2)94
अनुपूरक अनुदानों की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(2)96
बिल–	
दि हरियाणा स्टेट जैजिसलेचर (प्रिवैन् ान ऑफ डिसक्वालिफिके ान) अमैंडमेंट बिल, 1980	(2)103
औचित्य प्र न–	
किसी सदस्ख जिसका बिल में सीध, वैयक्तिक या	(2)119

आर्थिक हित निहित हो, द्वारा वोट देने सम्बन्धी	
बैठक कासमय बढ़ाना	(2)121
औचित्य प्र न (पुनरारम्भ)	(2)121
दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन् ान आफ डिसक्वालिफिके ान) अमैंडमेंट बिल, 1980 (पुनरारम्भ)	(2)123
बैठक का समय बढ़ाना	(2)125
वाक आउट	(2)126
दि हरियाणा स्टेट लैजिसलेचर (प्रिवेन् ान आफ डिसक्वालिफिके ान) अमैंडमेन्ट बिल, 1980(पुनरारम्भ)	(2)126

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 9 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होगें।

Co-operative Sugar Mills in the State

***1711. Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the minister for Co-operation be pleased to state-

(a) whether ther eis any proposal under consideration of the Government to set up more Co-operative Sugar Mills in the State, if so, the number thereof; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to set-up a Co-operative Sugar Mill at Meham near Baini Maharajpur?

सहकारिता तथा योजना मंत्री(ठाकुर बीर सिंह):

(ए) जा हां।

पांच

(बी) नहीं

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी देवी लाल मुख्य मंत्री थे, उस वक्त उन्होने आ वासन दिया था कि हरियाणा में जो पांच भूगर मिल बनाई जाएंगी, उनमें मैहम को तीसरा नम्बर जरूर दिया जसवएगा, लेकिन मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमे मैहम का नाम नही है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि इस बारे मे दोबारा विचार किया जायेगा?

ठाकुर बीर सिहंः अध्यक्ष महोदय, साबिका मुख्य मंत्री ने सेन्टर को ऐप्लाई किया था कि हरियाणा में पांच भूगर मिल और दी जाएं। लेकिन उस वक्त के यूनियन ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री बरनाला ने उस वक्त के हाला को देखते हूये जून, 1978 में यह जवाब दिया कि मुल्क में जितनी भूगर हो रही है। वह काफी से ज्यादा है इसलिये अब मुल्क में कोई नया लाइसैंस नहीं दिया जाएगा। इसलिये वह मामला खत्म हो गया। अब वह मामला फिर भुरू किया गया और पांच मिलों की प्रोपोजल सेन्टर को भेजी गई। भााहबाद और पलवल जिनके लिये पहले भी एप्लाई किया था दोनो जगहों के लिये प्रोपोजल गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास हे और आखिरी स्टेज पर पहुचं चुकी है। कैथल, जींद ओर गोहाना इन तीन जगहों के लिये तीन मिल और लगाने की प्रोपोजल हैं।

कैथल और गोहाना की सोसायटीज रजिस्टर हो चुकी है, तीसरी जगह की सोसायटी अभी रजिस्टर नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैहम के बारे मे प्रोपोजल एग्जामिन की गई थी लेकिन मैहम की पोजी ान यह है कि मैहम के पास दो और भूगर मिल्ज है एक रोहतक और दूसरी सोनीपत। एरिया के हिसाब से जितना भूगरकेन यहां पैदा होता हे वह इन दो मिलों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर वहां पर तीसरी मिल खोल दी जाये तो रोहतक और सोनीपत की भामगर मिल्ज पर असर पडेगा और तीनों मिल्ज ठीक प्रकार से नही चल सकेगी । इसलिये इस वक्त मैहम को कंसीडर नही कर रहे है।

चौधरी हर स्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महेादय ने बताया है कि मैहम के पास सौनीपत ओर रोहतक की दो भूगर मिल्ज लगती है। अध्यक्ष महोदय पोजी ान यह है कि सोनीपत तो वहां से 84 किलोमीटर पड़ता है जब कि गोहाना से सोनीपत 35 किलोमीटर है और रोहतक से गोहाना तीस किलोमीटर पड़ता है। जब यहां पर भूगर मिल्ज खुल सकती है तो मैहम में भूगर मिल खोलने में कोई दिक्कत नही होनी चाहिये। क्या मंत्री महोदय, इस चीज को देखते हुये मैहम में भूगर मिल खोलने पर पर दोबारा विचार करेगें?

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, तीसरी भूगर मिल जीन्द भी तो है।

Mr. Speaker: But, I think, previously an assurance to set up more co-operative sugar mills was given by the Government.

ठाकुर बीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट से सर्वे करवाया गया था और जितनी पैदावार थी उन सब के यूनिट इक्ट्ठे किए और उन यूनिटस को इकटठा करके एग्जामिन किया कि वहां पर भूगर मिल लगाना वायबल होगा या नहीं या इन दोनों मिलों पर असर पड़ेगा। स्पीकर साहब, आपको पता होगा कि पहले हमारी भूगर मिल्ज 235 से 240 दिन तक चलती थी लेकिन पिछली दफा 85 या 86 दिन वे मिले चली। अगर सारे सीजन मे मिलें 85 दिन चलें और अगर वहां पर तीसरी मिल खोल दी जाये तो काफी दिक्कत आयेगी।

श्री अध्यक्षः इनके पूछने का मतलब यह है कि मैहम मे भूगर मिल लगाने की प्रोपोजल अभी कागजों पर है या रिजैक्ट हो गई है?

ठाकुर बीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो पांच भूगर मिल्ज लगाने की प्रोपोजल है उसमें मैहम का नाम नहीं है।

Mr. Speaker: It means that there is no proposal to set up a co-operative sugar mill at Meham.

Thakur Bir Singh: Yes, sir.

डा0 बृज मोहन गुप्ताः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि अम्बाला जिले में बराडा में मिल लगाने की प्रोपेाजल थी वह कहां तक पहुंची है?

Mr.Speaker: Dr. Sahib, please sit down. It has got no concern with this question. The Question is regarding proposal to set up more Co-operative Sugar Mills in the State and their number और क्या मैहम में भी ऐसी मिल लगाने की कोई प्रपोजल है?

श्री लहरी सिंह मेहराः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भााहबार का नाम भूगर मिल लगाने के लिया है। भााहबाद में आलू काफी तादाद में पैदा होता है और वह आलू का एरिया है। अगरव वहां पर भूगर मिल लगा दी जाएगी तो आलू की का त बन्द हो जायेगी। क्या मंत्री महोदय भााहबाद में मिल लगाने की बजाये रादौर में मिल लगाने के प्र न पर विचार करने की कृपा करेगें?

ठाकुर बीर सिंहः नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस इलाके मे जितनी गन्ने की पैदावार हो रही है उसके आंकडे इक्टठे करके वहां पर भूगर मिल लगाने की प्रोपोजल बनाई गई थी। एक भूगर मिल को चलाने के लिये अठारह या बीस लाख क्विंटल गन्ना चाहिये। इस वक्त भााहबाद के एरिया में 39 लाख किंवटल गन्ना पैदा होता हे इसलिये आलू की फसल पर इस मिल से कोई असर नहीं पडेगा। जहां तक बराड़ा का ताल्लूक है। इस वक्त वहां

पर कोई भूगर मिल का प्रोपोजल नहीं है लेकिन भााहबाद और बराड़ा इन दोनों का एरिया मिलाकर एक वायेबल एरिया बन सकेगा।

चौधरी रामकि ानः स्पीकर साहब, जिस समय चवौधरी देवी लाल मुख्यमंत्री थे, उन्होने हाउस में भी और जीन्द के अन्दर एक पब्लिक मीटिंग में यह अनाउन्स किया था कि हरियाणा में जब कभी नई भूगर मिल लगेगी तो पहले भूगर मिल की नींव जींद में रखी जायेगी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करैगें कि भविश्य मे जब भी हरियाणा में भूगर मिल लगाई जायेगी तो जींद में सबसबे पहले मिल लगाई जायेगी?

ठाकुर बीर सिंहः जैसा कि मैने पहले बताया है कि दो जगहों पर सोसायटीज रजिस्टर हो चुकी है।। ये पहले अपने यहां की सोसयटी रजिस्टर करवाये। उसके बाद वहां पर भुगर मिल खोली जा सकती है। सबसे पहले सोसायटी रजिस्टर करवाना जरूरी है।

श्री अध्यक्षः जो पांच भूगर मिल्ज लगाने प्रोपोज्ड है उनके नाम तो आपने दे ही दिये है।

ठाकुर बीर सिंहः जी हां।

चौधरी हरिचन्द हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि पहले 235 दिन भूगर मिल्ज चलती थी ओर इस सीजन में केवल 85 दिन भूगर मिल्ज चली है। इस प्रकार से

भूगर मिल्ज घाटे में जा रही है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि 85 दिन मिल्ज चलने से जो घाटा हो रहा है उसको दूर करने और गन्ने की प्रोडक ान बढाने की और मिनिस्टर साहब किसी तजवीज पर विचार करेगें?

श्री अध्यक्षः इस सप्लीमैंटरी कासवाल से सम्बन्ध तो नहीं है लेकिनमैं समझता हूं कि सवाल जरूरी है ं अगर मिन्सिटर साहब जवाब देना चाहे तों दे दे।

ठाकुर बीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने कहा है कि इससाल सारी मिल घाटे में चली है और बहुत नुक्सान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मै ंपिछले तीन साल के सेलिएन्ट फीचर सदन के सामने रखनाचाहता हूं। 1977–78 में तीन करोड रूपया सरकार ने पेमेंट के लिये मिलों को दिया। 1978–79 में सरकार ने मिलों को एक करोड रूपया दियाऔर 1979–80 में हमने सरीकारसे एक पैसा भी नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, रोहतक ओर करनाल की जो दो मिलें घाटे में चल रही थी इस दफा दोनों मुनाफे मेंचल रही है। ये कुछ सेलिएन्ट फीचर्ज है। इसके अलावा हाउस में आमतौर पर यह ि ाकायत रहती थी कि किसानों को पेमेंट नहीं होती। अब हम कै ा पेमेंट करवा रहे है और वेइंग म ाीन पर ही पेमेंट करवा रहे है। किसी जमीदार को कै ा पेमेंट के बगैर नही जाने देते हैं सोनीपत मिल के अलावा सब जगह हिसाब क्लीयर कर चुके है। अध्यक्ष महोदय,जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मिल इतने कम दिन क्यों चलें, इसका कारण यह है

कि पिछली दफा गन्ने की क्रेप नही थी। 1977–78 में 89.69 लाख क्विंटल गन्ना आया, 1978–79 में 77.75 लाख क्विंटल गन्ना आया और 1979–80 में 32.71 लाख किवंटल गन्ना आया। इससे जाहिर है कि जब गन्ना कम आया तो मिल्ज भी कम दिन ही चल पायी। बगैर गन्ने के अगर मिल चल सकती हो और इस बारे में हुड्डा साहब के दिमाग में कोई तजवीज हो तो वे बता दें।

श्री अध्यक्षः मैं प्वांयट आउट करना चाहता हूं कि जब गन्ना 89 लाख क्विंटल से 32 लाख क्विंटल क ा करने के लिये आया तो उसके बावजुद भी आप पांच नई मिल्ज लगाने जा रहे है।

ठाकुर बीर सिंहः प्रोडक ान बढाने के लिये इस साल हमने कुछ पग उठाये है। पिछले दिनों मिलें जो कम दिन चली उसका कारण है कि पैदावार 1/3 नहीं हुई। तीस परसैन्ट कल्टीवे ान की कमी हो गई। अब हमने बोंडिग सिस्टम एक साल की बजाये तीन साल कर दिया है और ये बोंडज जो रियल एग्रीकलचरिस्टस है जो कल्टीवेटर्ज है जिनके नाम गिरदावरी है उन्ही को दिये है। इस साल 33 परसैंट और कल्टीवे ान ऐक्सटेन्ड की है। हमें उम्मीद है कि इस साल गन्ना उतना पैदा हो जायेंगा जिससे कि मिलें जितनी चलनी चाहिये उतने दिन चल जाएंगी।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह जो 5 मिलें लगाई जा रही हैं, इनकी कितनी कैपसिटी होगी और क्या इन मिलों की जरूरत के मुताबिक गन्ना अवेलेबल होगा और ये मिलें कब तक चालू हो जाएंगी ?

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, वैसे तो ये तीनों ही सवाल इस मूल सवाल से सम्बन्धित नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं आनरेबल मैम्बर साहेबान की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। इनमें से एक का जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं। बाकी बातों का दारोमदार केन्द्र सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करता है। जब तक केन्द्र सरकार इनके लिए हमें लाइसेन्स इ ू न कर देगी तब तक हम आगे की कार्यवाही करने में असमर्थ हैं और सही पोजी ान भी नहीं बतायी जा सकेगी। वैसे हम कोि ा ा कर रहे हैं कि हमारे पास बड़े बड़े यूनिट्स हों और 18 हजार की कैपसिटिी से कम का कोई भी यूनिट न हो।

Mr. Speaker: But apparently, it does not seem reasonable to me that new units be installed क्योंकि जब आप ऐग्जिस्टिंग यूनिट्स की कैपसिटी अभी तक नहीं बढ़ा सके तो नये यूनिट्स स्थापित करने का क्या फायदा होगा ?

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, ये दोनों स्कीमें भारत सरकार के विचाराधीन हैं। इसको सरकार ऐग्जामिन भी कर रही है। दोनों यूनिट्स के बारे इजाजत मिलने पर ही कुछ डिटेल में बताया जा सकता है। जब हमें लाइसेन्स मिल जाएंगे उसके बाद

हम फौरन अपने यूनिट्स को चालू कर देंगे नहीं तो हम फिर पीछे रह जाएंगे।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, जो इलाके गन्ना मिल्ज के एरिये में नहीं आते हैं औ वे दूसरी मिल्ज को अपना गन्ना भी नहीं दे सकते हैं, ऐसी उन एरियाज के ऊपर पाबन्दी लगायी गई है और ऐसा करने से उन किसानों को नुक्सान भी हो रहा है। क्या मिनिस्टर महोदय बताएंगे कि इस तरह की पाबन्दी उन एरिया से हटवाने की कृपा की जाएगी ताकि वे एरियाज जहां पर गन्ना मिलें नहीं हैं, जहां पर गन्ना बहुत ज्यादा होता है, वे सिकान अपना गन्ना दूसरी मिल्ज को दे सकें।

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, यह पाबन्दी तो ऐग्रीकलचर डिपार्टमैंट वालों ने लगाई हुई है। हमने तो इलाकों को जोनज में बाटां हुआ है, और उसी के हिसाब से बाहर का गन्ना नहीं लिया जाता है। अगर इस किस्म की कोई बात है कि जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता हे और वहां पर नजदीक में कोई गन्ना मिल नही पड़ती है तो हम वहां पर इस तरह के केन्टर खोल देगें जिससे कि किसानों को अपना गन्ना देने में किसी प्रकार की दिक्कत न हों।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदय ने कहा कि रोहतक की मिल को भी पूरा गन्ना नहीं मिल रहा है पर हकीकत तो यह है कि रोहतक की मिल पूरा गन्ना ले नही

सकी, इसलिये किसानों ने गन्ना बोना ही छोड दिया। अगर मैहम मैं इस तरह की कोई गन्ना मिल लगा दी जाएगी तो रोहतक की मिल को इस से कोई इफेक्ट नहीं होगा और किसानलोग इतना ज्यादा गन्ना बोंयेगें कि दोनों मिलों को देकर बहुत सारा गन्ना बच जायेगा । इसलिये मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई प्रोपोजल विचाराधीन है?

Mr. Speaker: I think it is a reasonable request and deserves examination.

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, इसको ऐग्जामिन कर लेगें। अगर वायेबल यूनिट बनता है तो ठीक है।

Loans advanced for the construction of Houses

***1713. Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the year-wise total amount of loans for the purchase of constructed houses or for the construction of houses advanced by the State Government to its employees since the inception of the scheme to 31-3-1980;

(b) the number of houses purchased/constructed by Government employees from loans sanctioned under part(a) above; and

(c) whether the Government employees are bound to shif to their houses constructed from Government loan; of not, the reasons therefor?

वित्त मंत्री(लाला बलवन्त राय तायल):

(क) वर्श 1966–67 से 1974–75 तक प्रत्येक वर्श में विभिन्न प्रकार के ऋण अर्थात प्लाट खरीदने केलिये, बने बनाये मकान खरीदने के लिये, मकान बनाने के लिये तथा मकान की मरम्मत/बढ़ोतरी के लिये ऋण दिये गये उसकी सूचना निम्न प्रकार है:–

वर्श	**रू0 लाखों में**
1966–67	3.73
1967–68	15.70
1968–69	35.59
1969–70	47.23
1970–71	66.46
1971–72	67.27
1972–73	54.79
1973–74	59.16
1974–75	66.93

वर्श 1975–76 से 1979–80 तक की अवधि में बनाये मकान लेने या मकान बनाने के लिये प्रत्येक वर्श में जो ऋण दिया गया उसकी सूचना निम्न प्रकार है:–

वर्श	बने बनाये मकान की खरीद के लिये ऋण	मान बनाने के लिये दिया गया ऋण
	रूपये लाखों में	
1975–76	10.35	47.52
1976–77	12.53	65.00
1977–78	14.89	77.67
1978–79	21.98	88.97
1979–80	11.70	95.35

(ख)वर्श 1975–76 से 1979–80 तक जितने व्यक्तियों को बने बनाये मकान खरीदने/मकान बनाने के लिये ऋण स्वीकृत किया गया उनकी संख्या निम्न प्रकार है:–

वर्श	बने बनाये मकान की खरीद के लिये ऋण	मान बनाने के लिये दिया गया ऋण
	रूपये लाखों में	

1975–76	42	135
1976–77	50	77
1977–78	56	47
1978–79	58	11
1979–80	42	09

वर्श 1966–67 से 1974–75 तक के इसी प्रकार की सूचना सभी विभागों से एकत्रित करनी होगी जिसके लिये समय लगेगा।

(ग) नहीं। राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई अनुदे ा जारी नहीं किये गये।

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल के पार्ट 'बी' में यह पूछा था कि सरकारी कर्मचारियों ने लोन लेकर कितने हाउसिज खरीदे या बनाये, उसकी संख्या बतायी जाये, पर मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। केवल लोनज की रा ि ा का ही विवरण दे दिया गया है।

श्री अध्यक्षः जैन साहब, इसका जवाब रिप्लाई मे ं देरखा है।

श्री मूलचन्द जैनः मेरा प्र न था कि जितने मकानों के लिये कर्जा सैन्क ान हुआ उनमें से कितने बने? मैं इनसे यह जानना चाहता हूं।

लाला बलवन्त राय तायलः अध्यक्ष महोदय, मह जिनको मकान बनाने के लिये कर्जा देते है उनको तीन कि तों में कर्जा दिया जाता है और फिर उसके बाद हम यह समझ लेलते है कि मकान बन चुका है।

श्री अध्यक्षः तायल साहब, यह जो आपने पार्ट (ख) के रिप्लाई में फिगर्ज 135 और 177 आदि दे रखी है, ये मकान क्या बन चुके समझें जाये?

श्री लाला बलवन्त राय तायलः जी हां।

श्री मूलचन्दजैनः स्पीकर साहब, इसके बाद में मैने यह भी पूछा था कि क्या जिन कर्मचारियों ने लोन वगैरह लेकर मकान बना लिये है, वे क्या अपने अपने मकानों मे जाने के लिये बाध्य होगें, ऐसी कोई हिदायतें सरकार की ओर से जारी की गयी है? इन्होने उत्तर दिया कि ऐसी कोई हिदायतें जारी नही हुई है। स्पीकर साहब, हरियाणा में सरकारी मकानों की बड़ी भाोर्टेज है। सरकार ने पिछले 10 सालों में 9 करोड यपये का कर्जा दिया और अगर 9 करोड रूपया कर्जा देने के ाबिद भी सरकारी कर्मचारी अपना मकान बनाकर अपने मकानों में न जाएं तो फिर मकानों की भाोर्टेज कैसे खत्म हो सकती है, इस भाोर्टेज को सरकार किस

तरीके से समाप्त करना चाहती है? जिन लोगों ने अपने मकान बना लिये है, उनको अपने मकानों मे ि ाफट कर लेना चाहियें।

श्री अध्यक्षः जैन साहब, मेरे विचार में इसमें थोड़ी सी चेन्ज होनी चाहिये। अगर एक आदमी चण्डीगढ़ में पोस्टिड है और उसने लोन लेकर कही बाहर रोहतक वगैरह या दूसरी किसी और जगह पर मकान बनाया है तो फिर वह वाहं कैसे अपने मकान मे ि फट कर सकता हैं अगर एक आदमी ने चण्डीगढ में ही लोन लेकर मकान बनाया है और यह यहीं पर ही पेस्टिड है तो वह तो ि ाफट कर सकता है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान है कि मंत्री महोदय को भी कुछ कहने दीजियेगा। (ाोर एवं व्यवधान) वे भी बडे तजुर्बेकार आदमी हैं आप उनकी मदद कर रहे है।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, तायल साहब जैसे तजुर्बेकार की मदद करने की मैं कभी जुर्रत कर सकता हूं? मैं तो केवल कवै चन की क्लैरिफिके ान कर रहा हूं। अगर एक आफिसर जिस स्टे ान पर पोस्टिड है, वह लोन लेकर उसी स्टे ान पर मकान बनाता है तो उसको ि ाफट करना जरूरी है कि नहीं है?

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, एक सरकारी अफसर ने कर्जा ले कर अपना मकान बना रखा है और वह सरकारी मकान पर काबिज है तो मैं मन्त्री जी से यचह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह हिदायत जारी करेगी कि वह अफसर अपने मकान में

ि ाफट करें या ऐसा किया जाए कि जिसकी जहां पोस्टिंग है उसको ंवहीं पर मकान बनाने के लिये कर्जा दिया जाये ताकि वह अपने ही मकान में रहे।

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, बहुत से ऐम्पलाइज तो ऐसे है कि जहां उन्होने मकानबना रखे है वहां वे पोस्टिड नहीं होते। अपने मकान को किराये पर दे देते है। इस सब के बावजूद भी जैन साहब ने जो सवाल किया है कि जो अफसर जाहं पोस्टिड है वहां उसका अगर अपना मकान है तो वह अपने मकान में जाये सरकार इसपर विचार करेगी।

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, उदाहरण के तौर पर करनाल में यदि किसी अफसर ने कर्जा लेकर नया मकान बनाया है और वह अफसर भी करनाल में ही पोस्टिड है लेकिन सरकारी मकान पर काबिज है और अपना मकान किराये पर देदेता है तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस अफसर को ऐसे आदे ा देगी कि वह सरकारी मकान को खाली करे और अपने मकान में ि ाफट करे?

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। (ाोर एवं विघन)

Mr. Speaker: No iterruptions please. कोई इररेलेवेन्ट बात हाउस मे ंनही आनी चाहिये जब कवै चन आवर चल रहा होता है। जैन साहब ने जो सवाल किया है वह बहुत महत्वपूर्ण

सवाल है और इसके बीच में श्री फूसाराम या किसी और के नाम का आना ठीक नहीं है। (विघन)

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, जा`ऐम्पलाइ जहां पर ऐम्पलायड है वहां पर अगर वह मकान बनाता है तो उसको अपने मकान में ि ाफट करने के लिय मजबूर किया जाये या नहं, यह एक सोचने की बात है।

Mr. Speaker: As far as I remember, when I was in service सैन्ट्रल गवर्नमैंट के रूज्ल तो इस बारे में डैफिनेट थे कि जो अफसर जहां पोस्टिड है, उसका अगर वहां पर अपना मकान है तो वह उस मकान में ि ाफट करें और सरकारी मकान को खाली करें।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं इस प्वांयट को क्लीयर कर दूं। आम तौर पर जो अफसर जहां पर पोस्टिड होता है वह जहां पर मकान नही बनाता। कुछेक केस ऐसे हो सकते है कि वे अपना मकान जहां पोस्टिड है वहां पर बना लेते है। परन्तु ऐसा अफसर कोई नहीं है जिसकी किसी एक स्टे ान पर परमानैंट पोस्टिंग हो। जैसा कि जैन साहब ने कहा है कि जो अफसर जिस स्टे ान पर एम्पलायड है उसके अलावा और किसी स्थान पर यदि वह मकान बनाना चाहता है तो उसे कर्जा नहीं दिया जाना चाहिये। यह बात मुनासिब नहीं है क्योंकि आम तौर पर किसी अफसर की एक जगह कोई परमानैंट पोस्टिंग नहीं होती। मान लो एक अफसर ने कर्जा लेकरफरीदाबाद में मकान

बनाया और वह चण्डीगढ में पोसिटड है लेकिन कुछ दिन के बाद वह बदल कर किसी औरजगह चला जाता है जाहं कि उसका अपना मकान है और जो वह उसने किराये पर दे रखा है। यदि हम उस अफसर को यह कहें कि आप अपने मकान में ि ाफट करें तो यह मुनासिब नहीं है क्योंकि मकान खाली करवाने के लिये कम से कम तीन महीने का नोटिस चाहिये। कुछ दिन के बाद उसकी पोस्टिग यदि फरीदाबाद से कहींऔर हो जाती है तो उसे अपना मकान दोबारा किराये पर उठाना पडेगा। इसलिये जिस अफसर के पास अपना मकान हे और वह अपने मकान में ि ाफट करे यह पाबन्दी लगाना मुनासिब नहीं है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि जो मुलाजिम सरकार से कर्जा लेकर अपनामकान बनाते हे और मकान बानानो के बाद उसमें जाना नहीं चाहते और उन्हें किराये पर दे देते है तो क्या सरकार इस बारे में विचार करके ऐसे आदे ा जारी करेगी कि इस तरह के मुलाजिमों को कर्जा ही नहीं दिया जाना चाहिये।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मुलाजिमों को मकान बनाने के लिये कज्र इसलिये दिया जाता है कि उनकी रिटायरमैंट होने के बाद वे अपने बच्चों को उनमें सैटल कर सकै।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, मै ंआपका सवाल समझ नहीं सका। भायद आपका सवाल यह था कि ऐसे अफसरों को कर्जा ही

न दिया जाये जो कर्जा लेकर अपना मकान बनाते हे और उसमें ि ाफट नहीं करते। परन्तु इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने बड़ा तसल्लीबख्भा जवाब दिया हैं यदि कोई अफसर फरीदाबद में कमान बना लेता है और उसकी पोस्टिंग सारे हरियाणा मे होती रहती है तो उसका हम कैसे कहेगें कि वह अपने मकान में ि ाफट करे।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आफिसर चण्डीबढ़ में पोस्टिड है और जिन्होने अपने मकान पंचकूला में बनाये हुये है उनको तो कहा सकता है।

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मकान बनाने के लिये जो कर्जा दिया जाता है वह तीन इनस्टालमैटस मे दिया जाता है पहले पलिंथ लैवल पर, दूसरा रूफ लेवल पर और तीसरा मकान की कम्पली ान के लिये दिया जाता है। लेकिन बना बनाया मकान खरीदने के लिये पैसा इक्टठा दिया जाता है। क्या वाकई यह पैसा बना बनाया मकान खरीदने के लिये इस्तेमाल होता है? दूसरी बात यह है कि जिन मूलाजिमांने अपने कमान चण्डीबढ़ में बनाये हुये है वह मकान उन्होने 15–20 सालों से किराये पर दे रखे है और खुद सरकारी मकानात में बैठे है। जैसा कि अभी यहां कहा गया है। कि मकान खाली करवाने कके लिये तीन महीने का नोटिस चाहिये। इस बारे में मैं कहना चाहंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि बेदखली के नोटिस की कोई आव यकता नहीं है।

तो क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि जो अफसर चण्डीगढ में 20–20 साल से रह रहे है और उन्होने अपने मकान चझडीगढ में बना रखे है तथा किराये पर दे रखे है, उनको अपने मकानात में ि ाफट करने के लिये कोई आदे ा देगें?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ में किसी अफसर की परमानेंट पोस्टिंग नहीं होती। चीफ सैक्रेटरी और आई0जी0 के अलावा जो दूसरे कमि नर रैंक तक के अफसर है उनका भी जिलों मेंऔर डिवीजनों में ट्रांसफर होता है। काफी अफसर ऐसे भी है जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया मं आन डैपूटे ान चले जाते है। हमे ाा के लिये कोई भी अफसर परमानेंट चण्डीगढ़ मे नहीं रहता। हम इस बात की कोि ा ा करेगें कि यदि किसी अफसर की चण्डीगढ़ में परमानेंट पोसिंटग है और उसका अपना मकान है तो उस अफसर को अपने मकान में ि ाफट करने के लिये रिक्वैस्ट करेगें।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने बताया कि हमे ाा के लिये किसी अफसर की चण्डीगढ़ में पोस्टिंग नहीं होती यह बात ठीक नहीं है। यहां कई अफसर ऐसे है जो 15–20 साल से बैठे है। वे खुद तो थोडे किराये में सरकारी मकानात में रहते और अपने मकानात 2000–2000 रूपये रिये पर उठा रखे है। जो अफसर बाहर से ट्रांसफर हो कर चण्डीगढ़ मे आते है उन्हे मकानों की बडी दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें सरकारी मकान तो मिलते नहीं और प्राइवेट मकानें के लिये उन्हे

800 से 1000 रूपये तक किराया देना पड़ता हैं मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे आदे ा जारी करेगी कि जो अफसर चण्डीगढ रह रहे है और सरकारी मकानात पर काबिज है वे अपने मकानात में जांए?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी एक बहुत पुराने पार्लियामेन्टरियन है इनको इतना तो पता होना चाहिये कि अभी हरियाणा को बने हुये 14 साल ही हुये है ऐसा कोई अफसर चण्डीगढ़ में नहीं है जो 20 साल से यहां बैठा हो। हरियाणा का अफसर जयादा से ज्यादा 6 या 7 साल से चण्डीगढ़ में हो सकता है लेकिन 20 साल से कोई नहीं है। (ाोर एवं विघन)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, हम यह साबित कर देते है कि बहुत से अफसर ऐसे है जो 15–15 और 20–20 साल से चण्डीगढ़ में बैठे है। (ाोर एवं विघन)

श्री मूलचनद जैनः स्पीकर साहब, जो अफसर ज्वांयट पंजाब में थे और हरियाणा बनने के बाद हरियाणा को एलोकेट हो गये उनको 20–20 साल से चण्डीगढ़ में क्यों नहीं कहा जा सकता?(ाोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः बाबू जी, एक दो अफसर की तो एक्सैप ान हो सकती है लेकिन मैं यह बात मानने के लिये तैयार

नहीं हूं कि काफी अफसर 20 साल से चण्डीगढ़ मे टिके हुये है। (ाोर एवं विघन)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, यह जो मकान बनाने के लिये कर्जा दिया जाता है, यह 75 से 80 परसैन्ट तक क्लास वन और टू को दिया जाता है जबकि 75 परसैन्ट मुलाजिम क्लास थ्री और फोर के हैं तो क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करैंगे कि क्लास थ्री और फोर को कितने परसैन्ट कर्जा दिया जाता है?

लाला बलवन्त राय तायलः कज्र देने का जो काइटेरिया है वह फस्ट कम फस्ट सर्वड है। यानि जो पहले ऐप्लाई करता है उसको ंपहले दिया जाता है और जो पीछे ऐप्लाई करता है उसको पीछे दिया जाता हैं सभी के लिये एक ही क्राइटेरिया हैं अगर किसी के विरूद्ध कोई ि ाकायत है तो आप मेरे नोटिस में लायें, जांच कर ली जायेगी।

Rape of Girl Student

***1745. Dr. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any complaint about the rape of a girl student of a School at village Nangal Chaudhri by the teacher of the same School has recently bee received; if so, the action so far taken in the matter?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): हां, एक मुकदमा नं. 32, दिनांक 25–5–80 धाराधीन 376/109 भाःदःसः थाना नंगल

चौधरी, जिला महेन्द्रगढ में दर्ज हुआ हैं मुलजिम सूबेसिंह अध्यापक ने एक लडकी के साथ मिस सुदे ा अध्यापिका से मिल कर, बलात्कार किया था। दोनो अपराधियों को बन्दी बना लिया गया है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि दफा 376/109 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके आगे तीसरी–चौथी पंक्ति में बताया कि 'मुलजिम सूबेंसिंह अध्यापक ने एक लड़की के साथ मिस सुदे ा अध्यापिका से मिलकर बलात्कार किया था'' यहां पर तो ये रेप एडमिट कर रहे है लेकिन मुकदमा अटैम्प्ट टू रेप का बता रहें है। इन में से कौन सी बात ठीक है?

चौधरी भजन लालः आप क्या बात कर रहे है, किसी वकील से पूछ लें कि इसका मतलब क्या हैं? (व्यवधान)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्होने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह प्ले आफ वर्डज है। इन्होने क्लीयरली कहा है कि दफा 376 का मुकदमा दर्ज है। (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंहः क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेगें कि दफा 376 का क्या मतलब है?

चौधरी भजन लालः जिस अध्यापिका से मिल कर अध्यापक ने रेप किया हे उस अध्यापिका के खिलाफ दफा 109 का मुकदमा है और जिस अध्यापक ने अटैपम्ट टू रेप किया है उसे खिलाफ दफा 376 का मुकदमा है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, दफा 376 रेप के लिये है, अटैम्पट टू रेप नहीं है। (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनकी भाादी नहीं हुई, यह अलग बात है, लेकिन इनको इतना तो ज्ञान होना चाहिये की लडकी के खिलाफ रेप का केस कैसे दर्ज हो सकता है? (व्यवधान)

डा0 मंगल सैंनः स्पीकर साहब, **********(व्यवधान) मेरी सप्लीमेंटरी यह है कि अपराधियों को किस तारीख को बन्दी बनाया गया है?

चौधरी भजन लालः 25–5–80 को मुकदमा दर्ज हुआ और अगले ही दिन उनको गिरफतार करके बन्दी बना लिया गया है।

डा0 मंगल सैनः वह तारीख बता दें कि किस तारीख को उनको गिरफतार किया गया है?

चौधरी भजन लालः अगले दिन का मतलब है 26 तारीख को गिरफतार यिका हैं

चौधीर रिजक रामः स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन जी ने जो लफज सीएम. साहब के बारे मे कहे ह, वह उनको वापिस लेने चाहियें।

डा0 मंगल सैनः मैनें कोई गलत बात नहीं कही, जो बात है वह इन्हीं से पूछ लें । (व्यवधान)

चौधरी रिजक रामः ये लफज ऐक्संपज होने चाहिएं।(व्यवधान)

Mr. Speaker: I would request Dr. Mangal Sein to withdraw those words, and these should also be expunged.

Dr. Mangal Sein: All right, Sir. I have no objeciton.

Mr. Speaker: It should be expunged.

श्री लहरी सिंह मेहराः क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेगें कि जिस अध्यायपक ने बलात्कार किया है, उसको नौकरी मेंरखा गया है या निकाल दिया गया है?

चौधरी भजनलालः ये दोनों ही अध्यापक और अध्यापिका ऐडहोक बेसिज पर लगे हुये थे। अतः उनको नौकरी से हटा दिया गया है।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनायें रोज प्रका ा में आ रही है कि लडकियों के साथ बलात्कार किया जाता हैं प्रायः ऐसा होताह है कि लडकियों के

स्कूल में पुरूश नियुक्त कर दिया जाता हे ओर लडकों के स्कूल में महिला नियुक्त कर दी जाती है। क्या सरकार द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि लडकों के स्कूल में महिलायें नियुक्त न हों और लडकियों के स्कूल में पुरूश नियुक्त न हों ताकि यह समस्या किसी सीमा तक सुलझ सकें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां को–एजुके ान होती है वहां टीचर और टीचरैस दोनों ही लगाने पडेगें, लेकिन हमारी कोि ा ा यह होती है कि लडकियों के स्कूल में मुख्याध्यापक और अध्यापक सब लेडीज होनी चाहिये। कई बार स्टाफ मिलता नहीं इसलिये मजबूर होकर जैन्टस लगाने पडते है। कई बार महिलायें भी भाहर से दूर नहीं जाना चाहती यह आप सब जानते हैं वे महसूस करती है कि उन्हे भाहर से दूर बदल दिया है और उनको आने जाने में दिक्कत महसूस होती हैं फिर भी हम पूरी कोि ा ा करते है कि लडकियों के स्कूल में जो मास्टर लगें वे लेडी मास्टर होनी चाहिये।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, जिस तरह की घटना नंगल चौधरी गांव में हुई है उसी प्रकार की घटना तहसील बहादुरगढमें घटी है। वहां पर एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार हुआ हैं । दे ा में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिये सैन्ट्रल गवर्नमैंट तो कार्यवाही कर रही है लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट भी इस प्रकार की कोइ कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्षः यह बडा भार्म का क्राईम है, इसको रोकने के लिये गवर्नमेंट कोई भी कार्यवाही कर सकती हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कल चौधरी उदय सिहं दलाल ने यह प्वायंट रेज किया था और आज डा0 मंगल सैन जी ने रेज किया है। यह घटना ठीक है। एक बारात दिल्ली से बहादुरगढ में आई । बारात के सब बरातियों ने भाराब पी रखी थी। चार पांच साल की एक लडकी रात को अपने बाप के साथ सोई हुई थी । बाप ने भाराब पी रखी थी इसलिये वह सो गया। बारात में से एक हरिजन जो लडकी का रि तेदार ही था, उठाकर उस लडकी को बाहर लेगया और उसका कत्ल कर दिया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफतार कर लिया गया है।

चौधरी रिजकर रामः अध्यक्ष महोदख बलात्कार की घटनांये कुछ ज्यादाबढती जा रही हैं क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये मुख्यमंत्री जी इस बात पर विचार करेगें कि कोई भी नौजवान 25 साल की उमर के बाद बगैर भाादी के न रहे? (हंसी)

श्री अध्यक्षः लास्ट सप्लीमैंटरी श्री भले राम जी पूछेंगे क्योंकि वे स्वयं मास्टर रहे है।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा का महकमा श्रीमती भाान्ति राठी के पास है अच्छा रहेगा कि बलात्कार से सम्बन्धित सवालों का जवाब वे दें**********(ाोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): स्पीकर साहब, ये भाब्द कार्यवाही मे से ऐक्सपंज होने चाहियें। यह बहुत बुरी बात है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बहुत गन्दे अलफाज इन्होनें कहे है। मेहरबानी करके इन्हें हाउस की कार्यवाही में से ऐक्सपंज करायें। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: कृपा करके बैठिये । देखिये मैंने नहीं सुना था कि इन्होने क्या कहा था। मैंने अब सैक्रटरी साहब से पूछा है कि इन्होने क्या कहा था। ऐसी गलत बात यहां नही होनी चाहिये। ये भाब्द प्रोसीडिंग्जं मे से ऐक्सपंज कर दिया जाएं। (ाोर)

श्री भले राम: स्पीकर साहब मैं तो यह कह रहा था.....
.....

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती भाांति देवी):
****
****
****
****
****

श्री अध्यक्ष: कृपा करके बैठिये। मैंबर साहेबान, इस किस्म की बातें मैं कतई टोलरेट नहीं करूंगा और चौधरी भले राम जी ने जो रिमार्कस पास किए है मै उन्हे स्ट्रौंगली कन्डैम करता हूं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, वे हाउस से माफी मांगे।

श्री भलेरामः स्पीकर साहब, मेरी सप्लीमेंटरी तो इन्होने पूरी ही नहीं होने दी। क्या पता मैं बाद मेंक्या कहता? (ाोर)

श्री कन्हैया लाल पोसवालः सर, मेरी रिक्वैस्ट यह है कि कम से कम लीडर आफ दि अपोजि ान तो यह कहें कि यह बात गलत है। (ाोर) यह बडे अफसोस की बात है कि ये बात तो छेड देते हे लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं रखते, जिसकी वजह से हाउस का डैकोरम खराब होता है।लीडर आफ दि अपोजि ान को चाहिये कि वे अपने मैंबर्ज को अच्छी तरह से काबू में रखे।

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः क्या आप भूल गये कि कल जगननाथ जी ने सुशमा जी को क्या कहा था? (ाोर)

श्री अध्यक्षः आपके लीडर बोलने के लिये खउे हुये हैं क्य आप उनको भी बोलने नहीं देगें?

श्री मूलचन्द जैनः श्री भले राम जी ने जब अपना सवाल पूछना भाुरू किया तो मैंनें भी सुना कि जो उनके मुं से बात निकली वह गलत बात थी यह मै स्वीकार करता हूं लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह स्लिप आफ दी टंग हो गई थी। (ाोर)

श्री अध्यक्षः नो इंट्र ंज पलीज।

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, गलती से अगर कोई अनफार्चुनेट बात कही जाती है तो उसका कोई न कोई इलाज भी होता हैं पोसवाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही ओर आपने हुक्म भी दे दिया था कि उन भाब्दों को ऐक्सपंज कर दिया जाये।

श्रीमती भाांति देवीः वर्डज ऐक्सपंज हाने से बात नहीं बनेगी। जब तक वह हाउस के अन्दर माफी नहीं मांगते तब तक हम हाउस नहीं चलने देगें। (ाोर)

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, मैं यह मानता हूं कि उन्हे इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये थी लेकिन बहिन भाांति जी भी आपे से बाहर हो गई है। यह भी बिलकुल गलत बात हैं कल जगननाथ जी ने भी सुशमा जी के बारे मे एक बात कही थी।

परिवहन मंत्री(श्री जगननाथ): मैंने तो वह गुड सैन्स में कही थी। (विघन) मैं तुम्हारे जैसी गलत बात नहीं करता। (विघन)

श्री अध्यक्षः कृपया बैठिये। देखिये साहेबान, अब मेरी इजाजत के बगैर अगर कोई इन्ट्रप्ट करेगा तो I will be constrained to name him. Kindly try to maintain some discipline in the House.

श्री मूलचन्द जैनः मुझे तो आपकी इजाजत हैं।

श्री अध्यक्षः जी हां।

श्री मूलचन्द जैंनः अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपने तो आदे ा देदिए है कि वे भाब्द ऐक्सपंज कर दिये जाएं और मैं यह कह रहा हूं कि इस तरह की बात उन्हें नही करनी चाहिये थीं भले राम जी आमतोर पर ऐसी बात कहते भी नहीं , यह तो उनसे स्लिप आफ टंग हो गई। (विघन) अगर ये समझते है कि जानबुझकर उन्होने कहा है तो मेरा ख्याल है कि जानबूझ कर उन्होने नहीं कहा है। इसके बावजूद भी भाांति राठी जी जिस तरह का व्यवहार कर रही है यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं उनकी फीलिंगज को महसूस करता हूं औरजानता हूं कि ऐसे मौके पर एक बहिन की क्या फीलिंगज हुआ करती है क्योंकि आखिर मेरे भी लडकियां है, बहुयें हे और सबके ही है लेकिन आखिर हर चीज का इलाज भी तो होता हैं ऐसी बात अगर हो ही गई है और हम रियलाइज भी कर रहे है तो उसे खत्म कर देना चाहिये। इसी तरह की बात कल भी यहां हुई थी। श्री जगननाथ जी ने सुशमा जी के बारे मे कुछ कहा था। (विघन)

श्री जगननाथः अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

Mr. speaker: I will give you time. Let him finish.

श्री मूलचन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ये अपने मैंबर्ज को भी कन्ट्रोल करें क्योंकि रूलिंग पार्टी की प्रजातंत्र के अन्दर ज्यादा जिम्मेदारी होती हैं जिम्मेदारी तो हमारी

भी है और उसें हम निभायेगें भी लेकिन इनकों भी अपने मैंबर्ज को कन्ट्रोल करके उस जिममेदारी को निीाना चाहिये।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वैस्ट है।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

श्री भले राम द्वारा

श्री अध्यक्षः बैठिये और थोडा इन्तजा कीजिये । अब मैं अपनी तरफ से चौधरी भले राम जी से निवेदन करूंगा कि जो भाब्द उन्होने बहिन भाांति जी की भाान के खिलाफ कहे है उनके बारे मे ंयदि वे कोई पर्सलन ऐक्सप्लेने ान देना चाहते है तो दे।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैंने पहले कभी भी ऐसे भाब्दकिसी के खिलाफ नहीं कहैं।

श्री अध्यक्षः मैं मानता हूं कि आपने नहीं कहे।

श्री भलेरामः श्रीमती भाांति जी का ि ाक्षा विभाग से बडा सम्बन्ध हैं बीच में चूंकि बलात्कार की बात आ गई थी इसलिये गलती से मेरे मुह से वैसा निकल गया **********वरना ऐसी कोई बात नहीं है।मैं इनकी बडी इज्जत करता हूं। हम इकटठे स्कूल में रहे हैं कहना तो मैने यह था कि इनका ि ाक्षा से समबन्ध रहा हे लेकिन गलती से वह बात निकल गई क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जैसे कल चौधरी भजना लाल जी स्वामी अग्निवे ा के प्रति कुछ

कह गये थे। इसलिये मैं आपसे रिक्वैस्अ कंरूगा ओर हाउस से भी रिक्वैसट करूंगा कि अगर मेरे से कोई गलत बात कही गई है तो उसके लिये मैं माफी मांगता हूं।

तारांकित प्र न एवं उत्तर(पुनरारम्भ)

***1726. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the chief Ministe be pleased to state:-

(a) whether it is a fact taht the Agriculture Minister, Haryana visited foreign countries recently; if so, the dates of the visits] places visited together with the purpose of the said visits and the results so achieved, separately;

(b) whether any officer/official accompained the Minister as referrd to in part (a) above together with the name and rank of the officer/official; and

(c) the total amount of expenditure incurred by the Government of Haryana for the purpose as referred to in parts (a) and (b) above including the T.A./D.A. drawn in each care separately?

कृशि मंत्री(सरदार तारा सिंह):

(क) जी हां, विवरणी अनुबनध 'क' पर हैं

(ख) जीं हां, श्री एःकेः सिन्हा, आई.ए.एस., निदे ाक, कृशि विभाग,हरियाणा

(ग) अध्ययन टीम, जिसमें कृशि मंत्री, हरियाणा और निदे ाक कृशि विभाग, हरियाणा भाामिल थे के विदे ा दौर पर खर्च करने के लिये हरियाणा सरकार द्वारा 82000/—रूपये की रा ि ा स्वीकृत की गई थी। इस समय यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का अलग अलग विस्तार पूर्वक ब्यौरा देना सम्भव नहीं है। क्योंकि यात्रा/दैनिक भत्ता बिल अभीतक प्रस्तुत किये जाने है।

अनुबन्ध 'क'

Sr. No	**Dates of visits**	**Places Visited**	**Purpose of the visits of the Study Team**	**results achieved**
1.	11-6-80 to 15-6-80	London	To gain acquitance with the latest technological developments in the field of agricultural development, agricultural machinery, chemical control of weeds, pests and diseases,	The Study Team has returened on the 3rd July, 1980 and as such the results achieved will be known some time here after, when the Study Team has submitted
2.	15-6-80 to 19-6-80	Copenhagen		
3.	19-6-80 to 22-6-80	Hamburg		
4.	22-6-80 to 26-6-80	Frankfurt		

5.	26-6-80 to 30-6-80	Paris	improved methods of crop cultivation and harvesting, marketing, structure and facilitites, processing, transportation, storage, wholesale and retail marketing arrangemetns for the produce etc. with a view to making use of this information with advantage in our State	its report
6.	30-6-80 to 2-7-80	Rome		

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, अनैक्सचर–क मेंदिया गया है कि 6 कन्ट्रीज को एग्रीकलचर मिनिस्टर ने विजिट किया हे और उन कन्ट्रीज की राजधानियों के नाम भी है जो इन्होने विजिट की है। पर्पज तो बहुत लम्बाचौडा दिया है। इसलिये मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होने कौन

कौनसे फार्म को विजिट किया है जहां पर इन्होने टैक्नीकल बातें देखी है जो कि हमारे दे ा में नहीं है और उन दे ाों में है ओर जो बातें देखी है क्या वे हमारी तरक्की के लिये फायदेमन्द है?

सरदार तारा सिंहः मैं आनरेबल मैंबर साहब को बताना चाहता हूं कि यह तो काफी कट– ाार्ट करके मैंने बताया हैं मैं एक दे ा में कम से कम चार–चार और पांच–पांच फार्मो पर गया हूं। मैने उन फार्मों पर जा कर मार्किट सिस्टम, स्टोरज सिस्टम तथा पिगरी सिस्टम को देखा है। जब में बाहर से आया तो मेरे पास प्रैस वाले भी आये थे। उन्होने पूछा था कि आप बाहर से क्या क्या चीजें देख कर आये है जिससे हमारे दे ा को लाभ होगा। मैंने उनको फोरन ही यह बात कही थी कि हर पोलिटि ियन को, हर जिम्मेदार अफसर को बाहर के दे ाों के काम को देखने के लिये जाना चाहिये। और वापिस आने के बाद हलफ लेना चाहियें कि जिस तरह से दूसरे दे ा के लोग काम करते हे, हम भी इसी प्रकार से अपने दे ा में करेगें ताकि दे ा का भला हो सकें। अगर मैं सारी बातें डिटेल में देने लगा तो काफी समय लग जायेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंहः हमें आप रोम के बारे में ही बता दें।

Shri Shamsher Singh: Mr. Speaker, one of the purpose of the visits stated to be was to gain acquaintance with the latest technological development in the field of improved methods of crop cultivation and harvesting. मैं

मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि कौन–2 सी फसलों को इन्होने देखा है? ये कृपया उन क्रौप्स के नाम बताने का कश्ट करें।

सरदार तारा सिंहः सबसे पहले मैं गेहूं के मुताल्लिक बताना चाहता हूं जिन–2 दे ाो में मैं गया वहां मैने यही देखा कि वे लोग गेहूं की फसल में बहुत ही कम पानी देते है तकरीबन 70–80 फीसदी गेहूं वहां पर बिना पानी के होती है। वहां पर नहरों और टयूबवैल्ज से पानी नहीं देते है बिनापानी के ही वह फसल पकती है। मैंने यह भी देखा कि वहां पर बारानी गेहूं भी बहुत ज्यादा पैदा होती है। खेतों मे देखा कि वहां पर गेहूं के पौधे नहीं बल्कि बाल ही बाल नजर आते थे। वहां पर जो बीज बोया जाता है उसके नाम भी मै ंलाया हूं । उसमें एक तो हैटसमैंन है ओर दूसरा भी ऐसा ही नाम है। दूसरी बात यह है कि लन्दन के नजदीक कोपहैगन में भी वेजीटेबल की रिसर्च चल रही है। वहां पर टमाटर की फसल भी इस ढंग से होती है कि एक हैक्टेयर में 150 टन टमाटर पैदा होता हैं वहां कापौधा इतना बडा होता है कि अगर मैं, अपने दोनो हाथों को उपर कर दूं तो भी उस पौधे की उंचाई का मुकाबला नहीं हो सकता। वह पौधा नीचे से उपर तक टमाटरों से लदा हुआ था। जिसके बारे मे जयादा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक–एक पौधे पर तीस–तीस किलो टमाटर लगे हुये थै वहां पर मार्च से लेकर सितम्बर महीने तक अमाटर उतरता है ंइसी प्रकार से खीरे भी बहुति ही अधिक मात्रा

में होते है। एक हैक्टेयर मे कोई 180टन के करीब खीरा निकलता हैं वे उसमें देसी खाद भी नहीं डालते हैं कैमिकल खाद ही डालते हैं वे पानी भी थोडा ही डालते है। मैंने उनसे रिक्वैस्ट की कि वे हमें इसका लिटरेचर दें उन्होने कहा कि आप हमारे पास अपने यूनिवर्सिटी के स्पे ालिस्ट भेजें, हम उनको ट्रेन्ड करके भेज देंगें, हम उनके अनुसार चलें तो हमारे दे ा में बहुत ही अधिक मात्रा में फसल हो सकती है मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो हम 100 या 150 एकड में फार्म रखते है। इसका कोई वि ोश लाभ नहीं है। दो हैक्टेयर या चार हैक्टेयर जमीन हीउनके हिसाब से अगर हम सम्भाल लें तो वही काफी होगी। 150–200 हैक्टेयर के फार्म को वहां केवल दो–तीन आदमी सम्भाल लेते है। एक पोल्टरी फार्म की चालीस पचास हजार मुर्गी और बत्तखों को एक आदमी ही सम्भाले हूये है। फ्रांस से तो मुझे काफी लिटरेच्र भी मिला था। मेरे पास कोई बीस किलों के करीब किताबें हो गई थी। मुझे वहां पर 15 किलों के करीब किताबें छोडनी पडी। उन्होने कहा कि बाकी लिटरेचर ऐक्बैसी के थ्रू भेज दिया जायेगा।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अभी–2 मंत्री महोदय ने बताया कि वे फौरन कन्ट्री से कृशि के बारे में काफी नयी बातों के बारे में जानकारी हासिल करके आये है। आपने अखबारों मे पढा होगा कि मुख्य मंत्री जी भी कुछ अफसरों ओर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के साथ रूस के दौरे पर जा रहे है । तो क्या मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह अ योरेन्स हासिल कर सकता हूं कि वे

दौरे से वापिस आ जायेगे यानहीं या वहीं पर इन्दिरा गांधी जी के स्पै ाल ऐन्वाय बन कर रह जायेगें? (हंसी)

श्री कन्हैया लाल पोसवालः मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जो इन्होने वहां से तर्जुबा हासिल किया है उसके आधार पर अब क्या किसी ऐक्सपर्ट को भी वहां भेजा जायेगा ताकि वह इस तकनीक ाके हासिल कर सकें और अपने हरियाणा प्रदे ा में उसको लागू कर सके?

सरदार ताता सिंहः मैंने फ्रांस के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से बात की हैं वैसे तो मैने सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्ज से बात की थी लेकिन स्पै ाली मेरी बात फ्रांस के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर से हुई है और हमारी ऐम्बैसी के लोगों की भी यही राय हें कि गवर्नमैटं आफ इंडिया और हरियाणा सरकार के ऐक्सपर्टस वहां जाये ओर उनसे बातचीत करें कि हम क्या चाहते है ओर कैसे उनकी बातों को सीख सकते है। (विघन) अध्यक्ष महोदय एक बात और कहनी रह गई है कि फ्रांस वाले हमारे से सोयाबीन लेने के लिये तैयार है। ये यह भी चाह रहे थे कि हम अपने ऐक्सपर्टस भी वहां भेजे।

श्री बलदेव तायलः क्या मंत्री महोदय दौरे पर जाने से पहले हरियाणा सरकार की एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी से या एग्रीकल्चरल ऐक्सपर्ट से कन्सलटे ान कर के गये थे कि जो टैक्नीकल नो हाउ है उसका ज्ञान यहां के ऐक्सर्पटस को था या

नहीं । अगर उनको इस बात का ज्ञान था तो उन्होने उसे यहां पर अब तक क्यों इम्पलीमैंट नहीं किया?

सरदार तारा सिंहः मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के नाते मैने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तथा अन्य फार्मो का दौरा किया हैं मै इनको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं पे ो से भी किसान हूं और कृशि के बारे में बहुत सारे अफसरों से भी ज्यादा जानता हूं।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तांराकित प्र नों के लिखित उत्तर

Water Supply Scheme at Narwana

***1722. Shri Shamsher Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether Government is aware of the fact that the water supply scheme of Naryana town was badly damaged during the year 1978;

(b) whether it is also a fact that the water works referred to above has not been, repaired so far, and

(c) if reply to part (b) be in the affirmative, whether there is any proposal under consideration of the Government to get the water works referred to in part(a) above repaired; if so, the time by where the said proposal is likely to materialise?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) हां, परन्तु इतनी अधिक क्षति नहीं हूई।

(ख) नहीं। मुरम्मत का अधिकतर काम कर दिया गया है और स्कीम इस पर समय चालू है।

(ग) भोश मुरम्मत का काम नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है। और आ ाा है कि जल्दी पूरा हो जायेगा।

Subsidy to Farmers on the purchase of fertilizer

***1712. Chaudhri HarSwarup Bura:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give subsidy to the farmers due to the increase in the fertilizer prices; and

(b) if so, the amount of subsidy proposed to be given per bag and if not, the reasons therefor?

कृशि मंत्री(सरदार तारा सिंह):

(क) नहीं।

(ख) नहीं। खाद की बढी कीमतों के कारण किसानों को अनुदान स्वीकृत किये जाने से राजय कोश पर भारी बोझ पडेगा, जिसे वर्तमान समय में राज्य सरकार सहन करने मे असमर्थ है। इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने मे अनय प्र ाासकीय किठिनाईयों जैसे प्राईवेट वितरकों के माध्यम से खाद की बिकी को नियमित करना, खाद की बिकी कीमतों में भिन्नता

इत्यादि जिस से अन्य राज्यों में इसकी तस्करी का खतरा हो सकता है।

Idle Equipment in Government Hospitals

***1716. Shri Mool Chand Jain:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that some Medical equipment is lying idle in several Government Hospitals in the State; if so, the value of such equipment in each Hospital together with the value of each item of equipment costing more than Rs. 100/-; and

(b) whether it is a fact that some of the equipment referred to in part (a) is lying un-used as t could not be repaired due to inadequate provision for such repais; if so, the steps taken or proposed to be taken either to dispose of or to utilize the aforesaid equipment?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजनलाल):

(अ)जी हां। ऐसे चिकित्सा सम्बन्धी साजोसामान की सूची इसकी कीमत सहित विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।

(ब) जी हां। कुछ चिकित्सा संबंधी साजोसामान गवर्नमेंट इन्स्टीच्यूट आफ सर्जीकल इन्स्ट्रमेंट एण्ड टैक्नोलोजी, सोनीपत तथा ओपन मार्किट से भी मुरम्मत करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैडीकल इक्वीपमैंट की मुरम्मत सम्बन्धी प्रस्ताव इलैक्ट्रोनिक्स टैस्टींग एण्ड डिवैल्पमैट लैबोरेटरी ढून्डाहेड़ा(जिला

गुडगांव) तथा इसके साथ हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अधीन मैडीकल इक्वीपमैंट की मुरम्मत संबन्धी वायो मैंडीकल इक्वीपमैट मुरम्मत वर्क ाप स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सूची

List of Medical Euipment lying idle in several Govt. Hospitals in the State

Sr. No.	Name of Hospital	Name of Hospital Equipment		Price	Remarks
Ambala District					
1.	General Hospital Ambala City	1.	Incubator	2500	In order to brin these articles i working order, th estimates ar being obtaine from the loc market and it hoped that thes articles will be g repaired immediately. (a) According t the service repo No. 12387 date 3.6.80 of M/
		2	Electric Cautory	4000	
		3	Autoclave	300	
		4	Bottle Washing Machine	4000	
		5	200 MA X-Ray Plant	85000	

					Escorts Limite Faridabad th Flourecent scu of this X-ray plan needs replacement. Th said firm bein original manufacturer this plant ha been requeste telephonically fo immediate replacement fluorescent scrues. (b) 200 MA X-a plant(Radiograph part workin satisfactory excep the cut-out fo which engineer Escorts limite was contacted o Telephone. It wa to be done on 4-' 80 as promisse by the firm. Bu the same has n beendone by th

					firm so far. special messeng has been deput to the firm for th purpose.
		6.	100 MA X- ray plant for T.B Hospital	57000	Action is bein taken to aget repaired.
2.	General Hospital, Ambala Cantee.	1.	50 MA X-ray Plant	40000	X-ray tube of X ray plant is out order. The Senio Medical Office Incharge, General Hospita Ambala Cantt. Ha visited M/s Esco Limited, Faridaba on 25-6-1980 f this purpose. Th Manager of th said firm had th purpose on 2 July, 1980. Due non-visit Engineer uptil no a speci messenger ha been deputed firm to bring th

					Engineer fo immediate repair.
3.	Mukand Lal General Hospital, Yamuna Nagar	1.	Horieontal Sterilizer	10000	As per report the Medic Superintendent G.H. Yamun Nagar, thes sterilizers ar lying, idle due t non-supply Electric connection by th concerned department. Du to non-availabili of local repair th ceiling light coul no be got repaire so far and th efforts are bein made to get repaired immediately.
		2	Bowl Sterilizer	4000	
		3	Ceiling Light	1000	
4.	General Hospital, Naraingarh	1	Suction Machine 3 Nos. @ of Rs. 3600/- each.	10800	The P.G. authorities hav been requested fo immediate repa of the article
		2	operation Theatre Light @	6000	

			of Rs. 3000/- each two Nos.		mentioned unde item 1 to 3
		3	Electric Instrument Sterilizer 5 Nos.	7000	
		4	Foot Operation sucker Machine	1150	It was got repaire several times bu becomes out order again an again.
		5	Bowler Sterilizer	4000	P.G.I. authoritie have been aske for repair.
Bhiwani District					
5.	General hospital, Bhiwani	1.	Sigmodos Cope 3 Nos.	495	Steps are bein taken to utiliz these equipmen in other hospita of the Haryan Health Department.
		2	electro Surgical unit 3 Nos.	22800	
		3	Deep X-ray Therapy Unit 1 nos.	252977	Previously th proposal for i installation a Medical Colleg Hospital, Rohta was unde

					consideration wit the Governmer but it has recent been decide instal this unit a General Hospit Bhiwani. The fir concerned hav been requested instal this unit Bhiwani immediately.
Faridabad District					
6.	B.K. Hospital, Faridabad	1	Diathermy	2600	Steps are beir taken to get ite No. 1 to condemned.
		2	Electric Cardiograph	9150	
		3	High Speed Steam Sterilizer	25414	
		4	Operation table	8000	
		5	Suction Machine	1200	Steps are beir taken to get repaired.
		6	Boyl Apparatus	4125	Steps are beir taken to get repaired.

		7	X-ray plant	40000	Do
		8	Incubator	1000	Do
		9	Dental Lathe	415	Do
		10	Dental Unit	3300	Do
7.	General Hopital, Palwal	1	Instrument Trolly	350	Do
		2	Sterilizer Small	500	Do
		3	Sterilizer Big	1100	Do
		4	electric Sterilizer Small 2 Nos.	1998	Do
		5	Vasectomy Kits	400	Do
		6	Mobile Shadoless Lamp	3000	Do
		7	Anaesthesia Trolly 2 Nos.	700	Do
		8	Dressig Drums with cover	250	Do
		9	oxygen Cylinder 2 Nos.	1000	Do
		10	Sterilizer for two drums	600	Do

		11	electric eye testing Chart	200	Do
		12	Electric Sterilizer 2 Nos.	3000	Do
		13	Suction Machine	1200	Steps are beir taken to get repaired
		14	Analsthetic With Box	400	Do
		15	Lathotomy Box	400	Do
		16	B.P. Apparatus 7Nos.	975	Steps are beir taken to get repaired.
		17	Boyles Apparatus	4125	Do
		18	Dynes Respirator 2 Nos.	14000	Do
		19	100 MA X-ray plant	50000	Steps are beir taken to get condemned
		20	Tank Small 3 gallons 2 Nos.	500	Do
		21	Cassett 10x12”	200	Do

		22	Cassett 8x10”	190	Do
		23	Cassett 6½x8½	185	Do
		24	Intensifying Screen 10½x12”	410	Do
		25	Intensifying screen 8”x10”	405	Do
		26	Intensidying Screnn 6½x8½”	400	Do
8.	General Hospital, Ballabgarh	1.	Diathermy Machine	2600	Steps are beir taken to get repaired.
		2	Dental Unit	3300	Do
		3	Electric Autoclave	250	Do
Grugaon District					
9.	General Hospital, Gurgaon	1	Electric Suction Machine 4 Nos.	3600	Do
		2	Boyles Ananesthesia Apparatus	1000	Steps are beir taken to get condemned.
		3	Electric Autoclave	1000	Do

		4	Incubator	1500	Steps are beir taken to get repaired.
		5	Dental Chair	3250	Steps are beir taken to get condemned.
		6	Electric Engine of Dental Unit	133	Do
		7	Slit Lamp	20000	Steps are beir taken to utiliz this item.
		8	Blood Urea Apparaturs	150	Steps are beir taken to get condemned.
		9	Blood Urea Machine	150	Do
		10	X-rayh Plant	52469	Steps are beir taken to get condemned.
		11	Phillips diathermy	10000	Steps are beir taken to get condemned.
		12	Dental Unit	16240	Steps are beir taken to get repaired.

10.	General Hospital, Nuh.	1	Opthalmscope	100	Do
		2	Strerilizer Steam portable	230	Do
		3	Horizontal Autoclave	10000	Do
		4	Verticle Autoclave	9000	Do
		5	Sucker Electric	3600	Do
		6	Surgical Operation Table	8000	Do
		7	Electirc Streilizer	999	Do
		8	M.T.P. Mchine 2 Nos.	1000	Do
		9	B.P. Apparatur 6 Nos.	750	Do
		10	Sterilizer Drum	409	Do
11.	Maternity Hospital Haily Mandi	1	Obstetric Labour table	400	Do
		2	Sterilizer	800	Steps are beir taken to get condemned

		3	Suction Apparatus	900	Do
Hissar					
12.	General Hopital, Hissar	1	Steam Sterilizer Autoclave 5 Nos.	150000	Steps are bein taken to get thes repaired
		2	Verticle Steam Sterilizer 10 Nos.	45000	Do
		3	autoclave 15 Nos. Electric	37500	Do
		4	X-ray Machine 3 Nos.	90000	Do
		5	E.C.G. Machine	6000	Steps are bein taken to get thes condemned
		6	Dental Control Unit	10000	Do
		7	E.C.G. Machine	6000	Steps are bein taken to get thes repaired
		8	Dental Control Unit 2 Nos.	10000	Do
		9	Dental X-ray	15000	Do

			unit		
		10	Operation Table Hydraulic 5 Nos.	13000	Steps are beir taken to get thes repaired
		11	B.P. Apparatus 30 Nos.	4500	Do
		12	Dressing Drums 50 nos.	10000	Do
		13	Sterilizer Electric 5 Nos.	2500	Do
		14	Regulator for Oxygen cylinder 3 Nos.	450	Do
		15	Transfer for Operation Theartre light	300	Steps are beir taken to get thes condemned.
		16	BoylesApparatus 3 Nos.	3000	Steps are beir taken to get thes repaired
		17	Regulator For oxygen cylinders 10 nos.	1500	Do
		18	Viewing Box for X-ray 8 nos.	1600	Do

		19	Suction Machine	300	Do
Jind District					
13.	General Hospital, Jind	1.	X-ray Plant 30 MA	12360	The case regardin the condemnatio of this Plant under correspondence with the Controll of Stroe Haryana.
Karnal District					
14.	General Hospital, Karn al	1	X-ray Plant 100 MA	38935	Steps are bein taken to get thes condemned.
		2	Portable X-ray Plant 15 MA	3090	This Plant ha been stolen necessary investigation going on.
		3	Medical Diathermy	4050	Steps are bein taken to get thes Condemned.
		4	E.C.,G. Machine	1800	Do
		5	Emergency Light	600	Do

		6	Electric Suckers 9 Nos.	3150	Steps are beir taken to get thes condemned.
		7	Boyles Apparatus	1500	Do
		8	Baby incubator	3500	Do
		9	dental Engine	1350	Do
		10	E.C.G. Machine	6000	Steps are beir taken to get thes condemned.
		11	Foot Sucker	250	Do
		12	X-ray Plant for T.B. Clinic Karnal	18900	Steps are beir taken to get thes repaired
15.	General Hospital, Panipat	1	X-ray Plant 50 MA	29406	Steps are beir taken to get i working order.
		2	Phillips O.T. light	9990	Steps are beir taken to get thes repaired
Kurukshetra District					
16.	General Hospital, Kaithal	1.	Diathermy Machine 2 Nos.	20000	Steps are beir taken to get condemned.

17	General Hospital, Shahbad	1	Apparatus Diathermy	10000	Do
		2	High Pressure Steam Sterilizer	26514	Steps are beir taken to get installed.
Mohindergarh District					
18.	General Hospital, Mohindergarh	1.	Dental Unit	5000	Steps are beir taken to get repaired.
19	General Hospital, Rewari	1.	Hight Steam Sterilizer 2 nos.	36000	Do
Rohtak District					
20.	General Hospital, Rohtak	1	X-ray Plant 200 MA	40243	Steps are beir taken to get repaired.
		2	Suction Apparatus	1000	Do
		3	B.P. Apparatus 20 Nos.	1800	Do
21.	General Hospital, Bahadugarh	1	Suctiona Apparatus	1000	Do
		2	Electric Sterilizer	900	Do

Sirsa District					
22.	General Hospital, Sirsa	1.	High Tension Table	4000	Steps are beir taken to get repaired.
		2	Casset 12x15 2 Nos.	500	Do
		3	Casset 10x12	200	Do
		4	Developing & fixing tank 3 Nos.	600	Do
		5	Dental Unit	15000	Steps are beir taken to get repaired
		6	Water Bath	1500	Do
		7	Centrifuge Machine	700	Do
		8	Still Electric	1000	Do
		9	Cystoscope	125	Do
		10	High Pressure Steam Sterilizer Horizontal	5000	Do
		11	Autoclave Machine	4000	Steps are beir taken to get

					condemned.
		12	Sterilizer	2000	Steps are beir taken to get repaired
23. General Hospital, Dabwali		1.	Dental Chair	2000	Steps are beir taken to get repaired
		2	Dental Unit	8000	Do
		3	Shadwoless Light	3000	The fir concerned ha been asked t instal immediately.
24.	General Hospital, Chautala	1.	Chlorimeter	2000	These equipmer have bee purchased for th new building General Hospit Chautala th construction is t be completed ver shortly.
		2	Centrifuge Machine	2000	
		3	X-ray plant 50 MA	60000	
		4	Sterilizer 2 Nos.	10000	
Sonepat District					
25.	General Hospital,	1	Hot Air Oven	400	Do
		2	Centrifuge	400	Do

	Sonepat		Machine		
		3	Shherrometer	100	Do
		4	Incubator	1500	Do
		5	Microscope	3000	Do
		6	Water Distillation	1500	Do
		7	X-ray Plant 100MA	75000	Do
		8	X-ray Plant 200MA	50000	Do
		9	Hydraulic Oeration Table	2000	Do
		10	Portable Light	365	Do
		11	Lethortomy Table	215	Do
		12	High Pressure Steam Sterilizer	999	Do
		13	Hips Spica Table	400	Steps are beir taken to get condemned.
		14	Straight Hand Piece	300	Do

26. General Hospital, Gohana	1	B.P. Apparatus	250	Steps are beir taken to get condemned.
	2	Operation Theatre Light	3000	Steps are beir taken to get repaired
	3	Adjustable Operation Table	1500	Do
	Grand Total		**1793806**	

Red Cross Fairs

***1752. Dr. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Government has imposed ban on the holding of Red Cross Fairs in the State; if so, since when; and

(b) if reply to part (a) be in the affirmative whether it is in the notice of the Government that the fairs referred to in part (a) continued to be held in the State despite the imposition of ban thereon; if so, the names of places where these were held together with the action taken against those who violated the ban?

मुख्यमंत्री(चौधरी भजन लाल):–

(क)राज्य सरकार ने दिनांक 17–12–1979 की हिदायतों द्वारा राज्य में रैडक्रास के मेलों के आयोजन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

(ख) राजय के किसी भी जिले में रैड का के मेलों पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी सरकारी हिदायतों के उल्लंघन की रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हे जहां हिन्द कुश्ट निवारण संघ ओर सैन्ट जोन एम्बुलैन्स जैसी अन्य एर्जेन्सियों की सहायता के लिये ऐसे मेलों का आयोजन करने के निमित्त अनुमति दी गई थी। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

Death of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in Police custody or otherwise

***1727. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the names of persons belonging to Scheduled castes and Backward Classes injured and died in Police Custody or otherwise, during the year 1979-80 (to-date) together with the reasons of their deaths, separately; and

(b) the total number of complaints of exesses/atrocities committed by the Police or otherwise, received from the persons belonging to Scheduled castes and Backward Classes of Haryana together with the action taken thereon, separately?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): (क) तथा (ख) सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

(क) (1) वर्श 1979–80 में अब तक चार व्यक्ति जो अनुसूचित जाति तथा पिछडी जातियों से सम्बन्ध रखते थे, की पुसि फायरिंग या पुलिस हिरासत में मृत्यू हुई, जिनका विस्तृत विरण निम्न प्रकार है:–

(1) गंगू बावरिया निवासी डहिना थानाखेल जिला महेन्द्रगढ़, की मृत्यु कथित नारनौल पुलिस द्वारा पीटने से हुई। इस सम्बनध में मुकदमा नं. 227 दिनाकं 5–11–1979 धारा 304/302 भा:द:स: थाना थाना नारनौल में दर्ज किया जा चुका है।

(2) श्रीमती मसरली पत्नी गंगू बावरिया निवासी डहिना थाना खोल जिला महेन्द्रगढ़ दिनाकं 23–1–80 को दिल्ली पूलिस से मुकाबला करते हुये मारी गई। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 12 दिनांक 23–1–80 धारा 302/307 थाना खोल में दर्ज किया गया।

(3) लटूर सिंह पुत्र सोहन लाल हरिजन निवासी करमान थाना होडल जिला फरीदाबाद की दिनाकं 2–6–80को कुयें में कूदने से मौत हो गई जो पुलिस हिरासत से भाग कर गया था। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं 51 दिनांक 2–6–80 धारा 224/309 भा:दउ:स: थाना होडल में दर्ज किया जा चुका है।

(4) दिनाकं 2–6–80 को भापेरा उर्फ भोर सिंह पुत्र बिहारी लाल निवासी मानपुर थाना हथीन पुलिस फायरिंग से मारा गया जिसने लटूर सिंह की मृत्यु बारे गैर कानूनी भड के साथ थाना पर हमला कर दिया। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं 52 दिनांक 2–6–80 धारा 307/353 भा:द:स: थाना होडल में दर्ज किया जा चुका है।

(II) अन्य कोई ऐसा व्यक्ति पुलिस हिरासत में घायल नहीं हआ परन्तु दो व्यक्ति पुलिस फायरिंग में जख्मी हुये निका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है:

(1) श्रीमती फूल बाई पत्नी करतार सिंह बावरिया निवासी डहीना, थाना खोल जिला महेन्द्रगढ दिनाकं 23–1–80 को दिल्ली पुलिस के साथ मुकाबला करते हुये गोली लगने से घायल हो गई उसे हस्पताल में दाखिल करवाया गया परन्तु बाद में हस्पताल से मुक्त कर दी गई। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं 12 दिनांक 23–1–80 धारा 302/307 भा:द:स: थाना खोल में दर्ज किया जा चुका है।

(2) श्री गुडू पुत्र लहरी हरिजन निवासी होडल जिला फरीदाबाद, पुलिस फायरिंग से जख्मी हो गया था जिस ने लटूर सिंह की मृत्यु बारे गैर–कानूनी भीड़ के साथ थाना पर हमला किया था। उसे सफदरगंज हस्पताल दिल्ली में दाखिल करवाया गया। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं 152 दिनांक 2–6–80 धारा

307 / 353 / 332 / 148 / 149 / 436 / 186 भा:द:स: थाना होडल में दर्ज किया जा चुका है।

(ख) वर्श 1979–80 के दोरान 130 मुकदमें हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग पर हुये अत्याचार बारे उनकी ि ाकायतों पर दर्ज किये गये। ये सभी मुकदमें वि ोश मानयता दिये जाने वाले मुकदमें माने गये । और राजपत्रित पुलिस अधिकारी तथा प्रबन्धक थाना ने मौका पर जाकर घटनास्थलो का निरीक्षण किया तथा तफतीस की भली प्रकार निगरानी की। उपायुक्तों तथा जिला पुलिस अधीक्षकों ने भी गम्भीर घ्टनास्थलों का मौका पर जाकर निरीक्षण किया। इन उपरोक्त मुकदमों में से 66 मुकदमों मेचालान किया जा चुका है।

Bus Stand at Narwana

***1723. Shri Shamsher Sigh:** Will the minister for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand at Narwana; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

परिवहन मंत्री(श्री जगननाथ):

(क) हां

(बी) बस अड्डे के निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि का चुनाव किया जा रहा है। भूमि की प्राप्ति उपरान्त, भवन निर्माण कार्य बारे आगामी कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Work Charged Employees in the P.W.D. (Public Health)

368. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the categorywise number of work charged employees in the Public works (Public Health) Department in the State at present;

(b) the categorywise number of empoyees referred to above who have been serving the depatment for (i) more than 2 years and (ii) more than one year; and

(c) whether the Union of employhees referred to in part (a) above has sent representation to the Government for the regularisation of their services and implementation of the Pay Commission recommendations; if so, a copy of the representation be placed on the Table of the House together with the action, if any, taken or proposed to be taken thereon?

Interim Reply

Subject: Unstarred Assembly Question No. 368-Extension of time.

The Unstarred Assembly Question No. 368 appearing in the list of Unstarred Questions for 9-7-80 in the name of shri Mool chand Jain M.L.A., is not ready.

2. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

Irrigation and Power Minister, Haryana.

To

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

U.O. No. 17/6/80-PH(2) Dated 8-7-80

Workcharged Employees in the Irrigation Department

369. Shri Mool Chand Jain: Will the minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the categorywise number of workcharged employees in the Irrigation department in the State at present;

(b) the categorywise number of employees referred to abvoe who have been serving the department for (i) more than two years (ii) more than one years; and

(c) whether the union of employhees referred to in part (a) above has sent representation to the Government for regularisation of their services and implementation of the Pay Commissions's recommendations; if so, the copy of the representation be placed on theTable of the House together with the action, if any, taken or proposed to be taken theron?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Mehar Singh Rathee):

(a) The total No. of Workcharged Employees in Haryana Irrigation Department is 12779(April 80). Categorywise No. of Workcharged Employees is at Annexure I;

(b) (i) The total No. of Workcharged Employees who have been serving in the deptt. for mor than two years is 6178. Categorywise No. is at Annexure II.

(ii) The total No. of Workcharged Employees who have been serving in the deptt. for mor than two years is 2319. Categorywise No. is at Annexure III.

(c) (i) A copy of representation for regularisation of services and implementation of Pay Commission recommendations of employees i.e. P.W.D. & H.U.D.A.workers Union is at Annexure-IV.

(ii) Total No. of Workcharged Employees of different categories having five years or more service on 1-4-70 and 1-4-72 who were brought on regular Estt. druring the years 1973 and 1974, is 1208 (97+1111).

(iii) Govt. have decided vide letter No. 40/68-3PW-80 dated 2-5-80 that the workcharged employees who have

completed five years continuous service on 31-12-78 should be brought on regular cadre. A copy of this decision has been sent to all Superintending Engineers by the Enginee-in-Chief vide his office letter No. 6445-6477/8N.G.E. (2) 174/69 II dated 19-5-80 for necessary action.

(iv) As per first page of Gove. Gazette Notification No. G.S.R. 20 Const./Art. 309/80 dted 29-2-80 regarding revised pay scales, these pay sclaes are not applicable to workcharged employees.

ANNEXURE-I

(a) Total Categorywise No. of W.C.E. in Irrigation Deptt., Haryana

Sr. No.	Name of Category	Total No.
1	Store Munshi/Keeper/Attendent and assistant	120
2	Drivers(Jeep, Truck,Pump and Tractor)	289
3	Operators(T/Well, Dozer, Pump, Motor, Belgar, Tool Dragline, Tractor, Mixers etc.)	1031
4	Plumber	14
5	Mali	52
6	Beldar/Regulation Beldars, Canal Petrol	4633

	Etc.	
7	CarpenterArtificer, Mason	50
8	Foreman(Misc. Spl. And electri)	103
9	Chargeman (Misc.Spl. and Electric)	204
10	Machinic	10
11	Greaser	45
12	Mate, T-Mate, M-Mate etc.	3304
13	Shift Engineer	3
14	Cleaners Trucks etc.	97
15	Supervisor(Works etc.)	107
16	Fitters	162
17	Welders	11
18	Electrician	92
19	Gauge Reader	108
20	Azo Operator/Printer and Helper	8
21	All Types of Chowkidars	1689
22	Assistant Foreman Misc. and Special	82
23	Painter	6
24	Blacksmith	5

25	Gangman	6
26	All types of Mistires	129
27	Telephone/Lab. Attendents	29
28	Gateman/Keeper and Rilway Gateman	40
29	Oilman	26
30	Brick Layrer	13
31	Surveyor	8
32	Kiln/Earthwork Munshi	55
33	D.B.D. Observer	7
34	Silt Analist/Analist	5
35	Work Inspector	8
36	Jamadar(Jhal, Head and Regulation)	3
37	Patwari	4
38	Turner	6
39	Ferryman	1
40	Khansama/Asstt. Khansama	3
41	Boatman	5
42	Sewerman	1
43	Research/Lab. Assistant etc.	18

44	Dak Runner	1
45	Time Keeper	94
46	Sweeper of all types	91
47	Sestetner Operator	1
	Total	**12779**

ANNEXURE-II

(b) Categorywise No. of Work Charged Employees who have more than two years service

Sr. No.	**Name of Category**	**Total No.**
1	Store Munshi/Keeper/Attendent and assistant	49
2	Drivers(Jeep, Truck,Pump and Tractor)	188
3	Operators(T/Well, Dozer, Pump, Motor, Belgar, Tool Dragline, Tractor, Mixers etc.)	605
4	Plumber	12
5	Mali	35
6	Beldar/Regulation Beldars, Canal Petrol	2608

	Etc.	
7	CarpenterArtificer, Mason	41
8	Foreman(Misc. Spl. And electri)	83
9	Chargeman (Misc.Spl. and Electric)	146
10	Machinic	5
11	Greaser	19
12	Mate, T-Mate, M-Mate etc.	1134
13	Shift Engineer	--
14	Cleaners Trucks etc.	44
15	Supervisor(Works etc.)	60
16	Fitters	88
17	Welders	7
18	Electrician	67
19	Gauge Reader	99
20	Azo Operator/Printer and Helper	2
21	All Types of Chowkidars	512
22	Assistant Foreman Misc. and Special	66
23	Painter	3
24	Blacksmith	2

25	Gangman	--
26	All types of Mistires	38
27	Telephone/Lab. Attendents	23
28	Gateman/Keeper and Rilway Gateman	36
29	Oilman	22
30	Brick Layrer	12
31	Surveyor	5
32	Kiln/Earthwork Munshi	16
33	D.B.D. Observer	--
34	Silt Analist/Analist	1
35	Work Inspector	3
36	Jamadar(Jhal, Head and Regulation)	2
37	Patwari	--
38	Turner	7
39	Ferryman	1
40	Khansama/Asstt. Khansama	2
41	Boatman	5
42	Sewerman	--
43	Research/Lab. Assistant etc.	8

44	Dak Runner	1
45	Time Keeper	35
46	Sweeper of all types	85
47	Sestetner Operator	1
	Total	**6178**

ANNEXURE-III

(b) Categorywise No. of Work Charged Employees who have one year Servie

Sr. No.	**Name of Category**	**Total No.**
1	Store Munshi/Keeper/Attendent and assistant	21
2	Drivers(Jeep, Truck,Pump and Tractor)	48
3	Operators(T/Well, Dozer, Pump, Motor, Belgar, Tool Dragline, Tractor, Mixers etc.)	236
4	Plumber	1
5	Mali	9
6	Beldar/Regulation Beldars, Canal Petrol Etc.	591

7	CarpenterArtificer, Mason	5
8	Foreman(Misc. Spl. And electri)	17
9	Chargeman (Misc.Spl. and Electric)	34
10	Machinic	2
11	Greaser	19
12	Mate, T-Mate, M-Mate etc.	831
13	Shift Engineer	--
14	Cleaners Trucks etc.	27
15	Supervisor(Works etc.)	17
16	Fitters	33
17	Welders	3
18	Electrician	18
19	Gauge Reader	11
20	Azo Operator/Printer and Helper	2
21	All Types of Chowkidars	311
22	Assistant Foreman Misc. and Special	16
23	Painter	1
24	Blacksmith	3
25	Gangman	1

26	All types of Mistires	6
27	Telephone/Lab. Attendents	7
28	Gateman/Keeper and Rilway Gateman	6
29	Oilman	4
30	Brick Layrer	1
31	Surveyor	2
32	Kiln/Earthwork Munshi	9
33	D.B.D. Observer	--
34	Silt Analist/Analist	--
35	Work Inspector	--
36	Jamadar(Jhal, Head and Regulation)	1
37	Patwari	--
38	Turner	--
39	Ferryman	--
40	Khansama/Asstt. Khansama	1
41	Boatman	-
42	Sewerman	1
43	Research/Lab. Assistant etc.	--
44	Dak Runner	--

45	Time Keeper	18
46	Sweeper of all types	6
47	Sestetner Operator	-
	Total	**2319**

ANNEXURE-IV

P.W.D. AND H.U.D.A. WORKERS UNION (REGD.).

HARYANA, PANCHKULA

Your Ref. No._____ Dated 21-2-80

Our Ref. No. _____

To

The Chief Engineer,

P.W.D. (I.B.) Chandigarh

(Haryana)

Subject: **Demands of P.W.D. & H.U.D.A. Workers Union of Haryana State.**

Respected Sir,

A peaceful agitation by the P.W.D. & H.U.D.A. Work charged employees of Haryana State is continuing since a long time. The workers are demanding regularisation of all workcharged employees and implementation of the Pay Commission's recommendations.

We on behalf of the Union have approached the Govt. authorities even at the Ministry's level for an early and favourable decision by the Govt. There is a wide spread unrest among the Workers by not acceding to their demands. If the Govt. do not take any action in this regrard, we fear that there will be a big agitation by the workers which the Govt. could not control.

I, therefore, request your honour to kingly use your good office so that Haryana Govt. accedes to our two demands at the earliest.

Thanking you,

Yours fatithfully,

Sd/-

President

21-2-80

Cases under enquiry with State Vigilance Bureau, Karnal

370. Shri Mool Chand Jain: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that large number of cases of corruption, gross indisciplne involving loss of lakhs of rupees to the Government exchequer are under enquiry with the State Vigilance Bureau, Karnal since, 1977; if so, the nature thereof together with the amount of loss involved and names of the officials involved in these cases separately.

(b) Whether enquiries into the cased referred to in Para (a) above have been completed; if so, the findings of the Bureau in each case; if not, the time by which these are likely to be completed; and

(c) Whether any case or cases bave been registered with the police as a consequesnce of these enquiries?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): यह सूचना सदन के पटल पर रखना लोक हित में नहीं होगा।

Work-charged Employees in the Town and Country Planning Department and H.U.D.A.

371. Shri Mool Chand Jain: Will the minister for Local Government be pleased to state-

(a) the category-wise number of work-chared employees in the Town & Country Planning Department and H.U.D.A. , in the State at present;

(b) the Category-wise number of employees referred to above who have been serving the departments for (i) more than 2 years and (ii) more than one year; and

(c) whether the Town& Country Planning Department and H.U.D.A. worker Union have sent representations to the Government for the regularisation of their services and implementation of the pay Commission's recommendations; if so, a copy of the representations be placed on the Table of the House togetherwith the action; if any, taken or proposed to be taken thereon?

Local Government Minister(Chaudhri Khurshid Ahmed):

(a) and (b) No workcharged employee is working in the Town & Country Planning Department. As aregards Haryana Urban Development Authority, categorywise number of work-charged employees who have served for more than two years/more than one year, as on March, 1980 is given in Annexure-I.

(c) Yes, the P.W.D. and H.U.D.A, workers union made representations for the regularistion of their services and implementation of Pay Commission's recommendations. A copy of ne of their representations is at Annexure-II. The Haryana Govt. have decided to regularise work-charged employees who have continuously served for five years as on 31-12-79. Since, H.U.D.A. came into being on 13th January, 1977 none of its work-charged employees qualifies the condition regarding 5 years continuous service.

ANNEXURE-I

Sr. No.	**Category**	**Scale of pay**	**Total No. of employees as on March 80**	**No. of persons with service for**	
				More than 2	**More than 1**

				years	**year**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Chargeman Electrical/Mech.	Rs. 170-8-210/10-300	-	-	-
2	Asstt. Foreman	Rs. 200-10-210/15-430/20-450	1	-	1
3	Mason/Carpenter Grade-I	Rs. 170-8-210/10-300	1	-	1
4	Mason/Carpenter Grade-II	Rs. 130-5-150/6-180-8-220/10-250	5	-	3
5	Work Munshi	Rs.80-2-90/3-120	26	-	14
6	Water Pump Operator Grade-I	Rs 130-4-150/5-160/5-180	-	-	-
7	Water Pump Operator Grade-II	Rs.100-4-140/5-160	41	-	21
8	Sewerman	Rs.70-2-80/3-95	28	2	12
9	Keyman	Rs.80-2-90/3-120	1	-	1

10	Helper	Rs.70-2-80/3-95	6	-	-
11	Plumber/Fitter Gr. II	Rs.130-5-150/6-180-8-220/10-250	3	1	1
12	Plumber/Fitter Grd. I	Rs.140-6-170/8-210/10-300	-	-	-
13	Painter	Rs.130-5-150/5-250	-	-	-
14	Fitter Coolies/Petrol-man/Fitter Helper	Rs.70-2-80/3-95	16	4	5
15	Chowkidar	Rs.70-2-80/3-95	33	7	14
16	Chowkidar-cum-mali	Rs. 75-2-85/2-95	40	2	26
17	Baldar	Rs.70-2-80/3-95	59	-	31
18	Bill Clerk/Meter Reader	Rs. 110-4-130/5-225	4	1	2
19	Bill Distributor	Rs.70-2-80/3-95	1	-	-
20	Chemist	Rs. 200-	-	-	-

		10/280-15-400			
21	Lab Attendent	Rs.70-2-80/3-95	1	-	-
22	Oilman	Rs.70-2-80/3-95	6	-	1
23	Vehicle Cleaner	Rs.70-2-80/3-95	8	-	3
24	Vehicle Driver/Tractor Driver	Rs. 130-4-150/5-160/5-180	15	1	5
25	Road Roller Driver	Rs. 140-4-180/5-200	14	-	10
26	Electrician/Wireman	Rs. 100-4-140/5-160	6	2	2
27	Road Mate	Rs. 75-2-85/2-95	4	1	3
28	Motor Mate	Rs. 80-2-90/3-120	11	-	6
29	Work Road Inspector	Rs. 120-5-150/6-180/10-220/10-250	1	-	1
30	Store Munshi/Bin	Rs. 110-4-	7	-	3

	Card Clerk	130/5-225			
31	Surveyer Gr. II	Rs. 120-5-150/6-180-8-220/10-250	-	-	-
		Total	**338**	**21**	**166**

ANNEXURE-II

The chief Minister,

Haryana,

Chandigarh.

Memo No. 121 date 20-2-1980.

Subject: Genuine demands of work-charged Establishment of Haryana.

Hon'ble Sir,

We, the executive members of Faridabad Branch of P.W.D. & H.U.D.A. Worker's Union Haryana (Regd.), on behalf of all the employees of this acdre, most humbly and repectfully beg to request you highness for sympathetic consideration of the following demands with retrospective effect please.

1. Regularisation of workcharged employees.

2. Implementation of the Pay Commission report.

The above genuine demands are directly linked with some genuine facts which are as follows:-

1. Uncertainty looms large on approx 35000 work-charged employees

The life of about 35000 work-charged employees with 1 to 20 years of continuous service is uncertain. Our future is obviously hanging in sir. We don't know what our luck has in store for us. Even the employees of commercial establishments are better placed than we who are rotting like anything.

2. No Security of Service

Even after putting in such a long service, we are purely temporary against work-charged posts. The Govt. of Haryana has not been able to realise the importance and urgency of these posts even after more than a decade. the formal rule of ten days notice prior to termination is hanging over us just like a sword of democles. How strange it is that our fate is at the discretion of the Govt.

3. No service benefits

We enjoy no benefits, such as, medical aid, gratuity, pension, G.P.F. , C.P.F., Insurance etc. which are constitutional rights of regular employees in private as well as public sector as well as public sector. This right has been denied to us with no particular reason whatsoever. What an irony of fate it is.

4. No financial assistance in case of death/accident during service

We, under this unfortunate label of "Work-Charged Service" are mercilessly deprived of all concessions due to us,

such as family pension in case of death, while in service. This is a direct in-human act toward our minor children themselves.

5. Step-motherly treatment

No particulare Govt. schedule is there for us as against the regulare establishment. Incumbents with equal qualifications with the same nature of work, are enjoying better amenities than we people whose life is stagnant like anything. This is the climax of step-motherly treatment to us at the hands of the Govt.

6. Adhoc employees of Haryana

All the adhoc employees with two years of continuous service have been regularised according to the recent decision of the Haryana Govt. Why then, this defferntial attitude to us?

7. Fight against injustice

Under the able state presidentship of Sh. Balbir Singh, our Union has been fighting against this injustice meted out to us, for years together but our genuine grievances have not so far been redressed although we have lost most valuable period of 20 years in certain cases of our lives with no result whatsoever.

8. Only the wearer knows where the shoe pinches

If the higher authorities of the departments realise the old maxim" Do to others, as you wish to be done by", then, there is no need of further arguments in this matter. It is a

self evident, self respondent and self explanatory-phenomenon of cruel torture, ruthless exploitation and merciless human opression and as such it calls for an immediate humanitarian appreciation and redress of this gravest injustice to 35000 families of this wretched category of ours.

9. General appreciation of human values

All those impartial human beings who have human hearts; all those who have got children, all those who have eyes to see and ears to hear our saddest and lamentable story, must for all human values appreciate our deteriorating condition and even the stone hearted dictator can't allow such oppression to continue in public service. One shudders to think that even today, such slaves like cruilties are inflicated on innocent employees in free India, taking undue advantage of the so called, "Ghost of Unemployment." To sum up, the unjustice to us is beyound description.

In the end, we hereby pray for "INSAAF' at you door, lest some bitter confrontaiton or untoward relation should come into existance between us and the Haryana Govt.

Hoping for a gavourable action please.

Yours faithfully,

Sd/-

Executive Committee,

P.W.D. & H.U.D.A. Worker's

Union Haryana (Regd.)

Branch-Faridabad

(H.O. Chandigarh)

Sd/-

Prisident,

P.W.D. & H.U.D.A.

Worker's Union

Haryana (Regd.)

Faridabad

Sd/-

Secretary,

P.W.D. & H.U.D.A.

Worker's Union

Haryana (Regd.)

Faridabad

Thermal Plants

375. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Irrrigation and Power be pleased to state whether Thermal Plants of Faridabad and Panipat worked properly and regularly during theperiod from February, 1980 to date; if not, the reasons therefor together with the number of days on which these plants remained closed?

सिचांई तथा बिजली मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): पानीपत के थर्मल प्लाटं के दोनो यूनिटों ने फरवरी, 1980 से आज तक की अवधि के दौरान ठीक तथा नियमित रूप से कार्य किया हैं । केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा नियत मानक के अनुसार इन यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रथम वर्श के दौरान प्रत्येक मास लगभग 230 लाख यूनिट बिजली उत्पादित की ाजने की आ ाा थी। इस मानक के मुकाबले में इन युनिटों ने वास्तव मैं 250 यूनिट बिजली उत्पादित की है जो काफी सन्तोशजनक हैं।

2. फरीदाबद थर्मल प्लांट के बारे में स्थिति यह है कि 60–60 मैगावाट वाले दो युनिटों ने मार्च और अप्रैल 1980 के दौरान सन्तोशजनक कार्य किया। फरवरी 1980 के मास यूनिट संख्या 1 ने भी काफी अच्छा कार्य किया। केवल 60 मैगावाट वाले यूनिट संख्या 2 को ुरवरी, 1980 के दौरान किसी वि `ाश योजना के अनुसार बन्द किया गया ताकि पुरानी और प्रयोग में न आने वाली कोयला मिलों को ओवर हाल किय जा सके जो कुछ समय से समस्या बनी हुई थी। ये 2 यूनिटें भी मई और जून,1980 के दौरान योजना अनसार बन्द की गई ताकि 60 मैगावाट के तीसरे यूनिट के लिये भीतल जल प्रणाली को हुक लगाया जा सके जिसे चलाने के लिये तैयार किय जा रहा है।

फरीदाबाद का 15 मैगावाट वाला यूनिट जो कि 12 वर्श पुराना है मार्च से मई, 1980 तक बन्द रहा। वार्शिक संधारण और

ओवर हांलिग के लिये जिसमें क्षतिग्रस्त स्टेटस्वाईडिंग की मुरम्मत भी भाामिल है, तथापि इस युनिट ने फरवरी और जून,1980 के महीनों में काफी सन्तोशजनक कार्य किया है।

फरीदाबद के यूनिट जितने दिन बन्द रहे उनकी सख्ंया नीचे लिखे अनुसार हैः—

60 मैगावाट वाला यूनिट संख्यां — 1	1	52 दिन
60 मैगावाट वाला यूनिट संख्यां — 2	2	60 दिन
15 मैगावाट वाला यूनिट	—	106 दिन

15 मैगावाट वाला यूनिट और 60 मैगावाट वाला यूनिट संख्या1, अब 15, 17 जून, 1980 के बीच चालू कर दिये गये है और सम्भावना है कि 60 मैगावाट वाला यूनिट भीघ्र ही बिजली का उत्पादन भाुरू कर देगा।

Grnats for the construction of Chaupals

376.Chaushri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total amount of grants given for the construction of chaupals for Scheduled Castes and Backward Classes after June, 1977 together with

the names of places and amount given in each case of each district, separately?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

कं0सख्ंया	वर्श	बजट में निर्धारित रा ा(रू0 लाखों में)	वर्श में किया गया कुल खर्च (लाखों में)
1.	1977–78	3.50	3.50
2	1978–79	100	100
3	1979–80	96	सूचना एकत्रित की जा रही हैं उपलब्ध नहीं है क्यांकि अनुदान अभी अभी एलोकेट किया गया है।
4	1980–81	25	

ग्रामवार नामों तथा उनमे दिये गये अनुदान के बारे में यह कहना है कि इस सूचना को एकत्रित करने में जो समय और परिश्रम लगेगा वह संभवत लाभ से कहीं अधिक होगा फिर भी यदि सूचना किसी वि ोश केस के लिये चाहिये तो वह अपलब्ध कराई जा सकती हैं।

Controlled Cloth

377. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Food and Supples be pleased to state:

(a) the monthwise and blockwise quantity of controlled clothe together with its sale price allocated for distribution to the public during the period from February, 1980 to-date separately;

(b) the average pet head demand for the controlled cloth in the State together with the supply thereof; and

(c) the criteria fixed for the distribution of the said cloth?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री(चौधरी गजराज बहादूर नागर):

(क) नियन्त्रित कपड़े का विरण ब्लाक–वाईज नहीं किया जाता है। हरियाणा राजय को केन्द्रीय सरकार द्वारा 405 गांठे (607500 मीटर) प्रति मास नियन्त्रित कपड़ा आंवटन किया जाता हैं फरवरी, 1980 क प चात अब तक प्रतिमास लगातार दी हरियाणा स्टेट फैडरे ान आफ कंज्यूमर्ज कौआपरेटिव होलसेल स्टोरज लिमिटड चण्डीगढ़ जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है द्वारा आगे 17 सैटंरल कोआपरेटिव कंज्यूमर्ज स्टोरों को वितरण के लिये आवंटन की जाती हैं इस का परचून वितरण सरकारी संस्थाओं जैसा कि मिनी बैंकस, मार्किटिग सोसाइटीज तथा प्राइवेट डिपुओं द्वारा किया जाता है। नियन्त्रित कपडे का विक्रय मोल भिन्न भिन्न किसम तथा भिन्न–2 मिलों के आधार पर है।

(ख) प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग की औसत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता फिर भी राज्य की वर्तमान अनुमानित जनंसख्या जो 115 लाख है नियंत्रित कपडे की औसतन अपलब्धी प्रति व्यक्ति प्रति वर्श 0.63 मीटर बनती हैं

(ग) निंयत्रित कपड़े का वितरण 10 मीटर प्रति रा ान कार्ड प्रति तिमाही किया जाता है।

Confiscated articles allocated to Co-operative Consumers Stores in the State

378. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Co-operation be pleased to state:

(a) the number and names of confiscated articles received by the Haryana State Federation of Consumers Coop. Wholesale Store Ltd. Chandigrah, during the period fromApril, 1979 to-date separately;

(b) the number and names of articles as referred to in part (a) above, allocated to Cooperative Consumers Stores in each district of Haryana; if not allocated, thereasons therefor; and

(c) the number and names of articles as referred to in part (a) above, valuing more than one hundred rupees, sold togetherwith the names of the buyers alongwith their addresses in each case, separately?

Co-operation and Planning Minister (Thakur Bir Singh):

(a) The List of consficate articles received during the period from April, 1979 to-date is given at Annexure “A”.

(b) The confiscated goods were not allocated to the Coop. Consumers Stores in each district of Haryana. As pet N.C.C.F. New Delhi circular No. HO/N.C.F./C.G.-2/78-79, dated 30th June, 1979 confiscated goods are to be sold only at state Capital i.e. Chandigarh.

(c) List giving the number and names of articles valuing more than one hundred rupees sold, together with the names and addresses of buyes is given at Annexure’B’.

S.No.	Date	Particulars	Quantity
1	2	3	4
1.	27-8-79	Nylex 1470 Sarrees	15.00 mtrs.
2	-do-	644 Embroidery Sarees	2 pieces
3	-do-	644 Nyles Sarees	40 pieces
4	-do-	644 Nylex Sarees	24.00 mtrs.
5	-do-	Plain Shirting 44”	6.00 mtrs.
6	-do-	Baby Feeders	2 pieces
7	-do-	Ball Pens	40 pieces
8	27-8-79	Measuring tapes	60 pieces
9	-do-	7 O’clock Blades	350 piece

10	-do-	Gillete Blads	200 pieces
11	-do-	London Bridge Blades	13 pieces
12	-do-	Jewel Blades	150 pieces
13	6-9-79	644 Nylex Sarees	15 pieces
14	-do-	Ball Pens	4 pieces
15	-do-	Measuring Tapes	25 pieces
16	-do-	7 O'clock Blades	350 pieces
17	-do-	Gillete Blades	50 pieces
18	-do-	London Bridge Blades	20 pieces
19	-do-	7 O'clock Ordinary Blades	35 pieces
20	11-10-79	Thermometers	50 pieces
21	-do-	Stapplers	25 pieces
22	-do-	Ball Pens	25 pieces
23	-do-	Foor Rules	150 pieces
24	-do-	Printed Shirting	213.85 mtrs.
25	-do-	Plain Sarees	148.30 mtrs.
26	18-10-79	Tetrex Suiting	722.38 mtrs.

27	-do-	Plain Shirting 36”	2194.56 mtrs.
28	-do-	644 Plain Sarees	3383.28 mtrs.
29	-do-	Woolly Printed Sarees	301.60 mtrs.
30	-do-	Soolly Printed Sarees	5.50 mtrs.
31	-do-	Wooly Printed sarees	92.00 mtrs.
32	-do-	Dress Material	64.40 mtrs.
33	-do-	Woolly Plain Sarees	33.60 mtrs.
34	-do-	644 Palin Sarees	65.10 mtrs.
35	-do-	Dress Material (Ladia)	6.00 mtrs.
36	-do-	Printed Shirting 36”	10.50 mtrs.
37	-do-	1470 Plain Sarees	11.90 mtrs.
38	-do-	Shamoo Satin Prited Sarees	36.00 mtrs.
39	-do-	tetrex suiting	1.25 mtrs.
40	-do-	644 Printed Sarees	5.60 mtrs.
41	18-10-79	Dress material	16.75 mtrs.
42	-do-	Printed Shirting 44”	283.42 mtrs.

43	-do-	American Georgettee Plan	69.35 mtrs.
44	-do-	Printed Shirting 44”	18.40 mtrs.
45	-do-	1470 Plain Sarees	6.00 mtrs.
46	-do-	Woolly Printed Sarees	11.25 mtrs.
47	-do-	English Suiting	1.20 mtrs.
48	-do-	Dress Material (Ladies)	9.90 mtrs.
49	-do-	Shamoo Satin Plain Sarees	5.50 mtrs.
50	16-11-79	Tailoring Tapes	200 Pieces
51	-do-	Stapplers	10 Pieces
52	-do-	Steel tapes	100 Pieces
53	-do-	Sewing needles	150 Pieces
54	-do-	Cassettes	4 Pieces
55	-do-	Pent pieces	2 Pieces
56	-do-	Ployster cloth	25.00 mtrs.
57	-do-	Key Chains	24 Pieces
58	21-12-79	Scarves	12 Pieces

59	-do-	Gents Shirts	14 Pieces
60	-do-	Gents full sleeves shirts	42 Pieces
61	-do-	Children Shirts	20 Pieces
62	-do-	Bell Bottems	17 Pieces
63	-do-	Pyjamas	5 Pieces
64	-do-	Brassiers	80 Pieces
65	-do-	Children socks	200 pairs
66	-do-	Plain shiriting 36”	548.64 mtrs.
67	-do-	Plain shiriting 36”	760.78 mtrs.
68	-do-	644 Plain Sarees	36.55 mtrs.
69	-do-	Jacquard Shirting 44”	272.02 mtrs.
70	-do-	Printed Shirting 44”	1298.44 mtrs.
71	-do-	Tetrex suiting	681.67 mtrs.
72	-do-	Woolly Printed Sarees	611.85 mtrs.
73	21-12-79	Woolly Printed Sarees	268.10 mtrs.
74	-do-	American Gerogettee Sarees Printed	128.50 mtrs.
75	-do-	Woolly Plain Sarees	16.60 mtrs.

76	-do-	Dress Material	43.76 mtrs.
77	-do-	Dress Material 44”	2.20 mtrs.
78	-do-	Plain Shirting 44”	3.70 mtrs.
79	12-10-80	American Goergettee Plain Sarees	123.55 mtrs.
80	-do-	Printed Shirting 44”	259.20 mtrs.
81	-do-	Printed shirting 36”	86.55 mtrs.
82	7-2-80	644 Plain Sarees	2743.25 mtrs.
83	8-2-80	English Suiting	1.30 mtrs.
84	-do-	Dress Mateial 58”	19.15 mtrs.
85	-do-	Dress material” 36	18.60 mtrs.
86	25-2-80	644 Printed Sarees	27.65 mtrs.
87	26-2-80	American georgettee Printed Sarees	244.45 mtrs.
88	-do-	Plain Shirting 44”	68.65 mtrs.
89	-do-	Plain Shirting 36”	949.30 mtrs.
90	-do-	SLadies suiting 58”	99.90 mtrs.
91	-do-	Woolly Printed Sarees	27.65 mtrs.
92	-do-	Shamoo Satin printed	27.80 mtrs.

		sarees	
93	-do-	Woolly plain sarees	16.85 mtrs.
94	-do-	1470 plain sarees cut pieces	13.30 mtrs.
95	-do-	Printed shirting 36”	0.90 mtrs.
96	-do-	1470 Printed Sarees cut pieces	4.00 mtrs.
97	-do-	Shamoo Satin Printed Sarees cut pieces	4.30 mtrs.
98	-do-	American Georgettee Plain Sarees cut pieces	4.80 mtrs.
99	-do-	Printed shirting 44”cut pieces	3.60 mtrs.
100	-do-	644 plain sarees	14.70 mtrs.
101	-do-	Karline shirting	175.35 mtrs.
102	-do-	Gabardine suiting	2.90 mtrs.
103	-do-	1470 plain sarees	3182.74 mtrs.
104	-do-	Printed shirting 44”	849.68 mtrs.
105	-d0-	Plain shiritng 36”	2285.61 mtrs.

106	26-2-80	Plain shirting 44”	149.60 mtrs.
107	-do-	Plain sarees 676	109.35 mtrs.
108	-do-	shamoo Satin Printed Sarees cut pieces	8.65 mtrs.
109	-do-	American Georgettee Plain Sarees	298.20 mtrs.
110	-do-	644 plain sarees	53.55 mtrs.
111	-do-	Tetrex suiting	0.90 mtrs.
112	-do-	Shamoo satin plain sarees	19.30 mtrs.
113	-do-	644 Printed sarees cut pieces	25.70 mtrs.
114	-do-	American Georgettee Sarees cut pieces	4.45 mtrs.
115	-do-	Woolly plain sarees	21.25 mtrs.
116	-do-	Dress Material printed 44”	1546.43 mtrs.
117	-do-	Woolly printed sarees	71.15 mtrs.
118	-do-	English suiting	2.75 mtrs.
119	-do-	644 plain sarees	5.50 mtrs.
120	-do-	American Georgettee	5.40 mtrs.

		Plain Sarees	
121	-do-	Dress Material 44:	163.75 mtrs.
122	-do-	Woolly plain sarees	53.40 mtrs.
123	-do-	American Georgettee Printed Sarees	128.70 mtrs.
124	-do-	Woolly Printed Sarees	36.45 mtrs.
125	-do-	Pakistani Saree	5.50 mtrs.
126	-do-	Yeshics Camera	1 pieces
127	-do-	Two band Transistor	1 pieces
128	-do-	Neck-ties	11 pieces
129	-do-	Gents Shirts full sleeves	62 pieces
130	-do-	Gents shirts half sleeves	13 pieces
131	-do-	Children shirts	21 pieces
132	-do-	Children sirts(s)	2 pieces
133	-do-	Mufflers	8 pieces
134	-do-	Embroidered Sarees	14 pieces
135	-do-	Thermos Flasks	2 pieces
136	-do-	Ladies Umbrellas	4 pieces
137	-do-	Murphy Richard press	1 pieces

138	-do-	West Bank 1band Transistor	1 pieces
139	26-2-80	Two Band Transistor	1 pieces
140	-do-	Gents socks	25 pieces
141	-do-	Jordin sprays	9 pieces
142	-do-	Fidji Sprays	2 pieces
143	-do-	Canasata Spray	1 pieces
144	-do-	Diplomate Eeu-de Colongne	1 pieces
145	-do-	Dandy Tental Spray(s)	1 pieces
146	-do-	Avon Sprays	5 pieces
147	-do-	Shampoos	3 pieces
148	-do-	Aramis After-shave Lotions	2 pieces
149	-do-	Colonia Cologne	1 pieces
150	-do-	Pincers Spray	1 pieces
151	-do-	Given Cry Spray	1 pieces
152	-do-	Sprays (m)	4 pieces
153	-do-	Deodorant Sprays	4 pieces
154	-do-	Hair Sprays	2 pieces

155	-do-	G.M Playing Cards	3 pieces
156	-do-	Toy Bincculars	5 pieces
157	-do-	Gas Lighters	13 pieces
158	-do-	Brute Perfumes	22 pieces
159	-do-	Artametic Five in One Lipsticks	15 pieces
160	-do-	Nail Polishes	22 pieces
161	-do-	Lipsticks	8 pieces
162	-do-	Hero Fountains Pens	33 pieces
163	-do-	Immitation Bangles	6 pieces
164	-do-	Gents Waist Belts	3 pieces
165	-do-	Cassettes	40 pieces
166	-do-	Prophecy Sprays	8 pieces
167	-do-	Brute Sprays	2 pieces
168	-do-	Patra perfumes	12 pieces
169	-do-	Mannics Calculators	5 pieces
170	-do-	Sprays(m)	2 pieces
171	-do-	Musical Compact Boxed	2 pieces
172	-do-	Tailoring Kits	9 pieces

173	-do-	Station ary sets	13 pieces
174	-do-	Needle Kit Tailoring	9 pieces
175	-do-	Bonus Playing Cards	1 pieces
176	-do-	Yardley Compact	1 pieces
177	-do-	Immitation Necjlaces	28 pieces
178	-do-	Key Chains	72 pieces
179	-do-	Lipsticks	32 pieces
180	-do-	Nail Cutters	92 pieces
181	-do-	Cassettes	150 pieces
182	-do-	Pen Knives	230 pieces
183	-do-	Astra Blades	1000 pieces
184	-do-	Stretchlon Suiting	294.25 mtrs.
185	13-5-80	Printed shirting 36”	124.95mtrs
186	-do-	Gabardine Suiting	4.80mtrs.
187	-do-	Astra Blades	1000 pieces
188	-do-	Stretchlon Suiting	294.25mtrs.
189	-do-	National Panasonic cassettee tape Recorder Cum-3 band transistor	1 pieces

190	-do-	-do-	1 pieces
191	-do-	Casio Biolater Callculators	9 pieces
192	-do-	Avon Sprays	12 pieces
193	-do-	Cachet Sprays	5 pieces
194	-do-	Prophacy Spryas	4 pieces
195	-do-	Gordine Sprays	1 pieces
196	-do-	Brute Sprays	2 pieces
197	-do-	Sprays (m)	2 pieces
198	-do-	Air Refresher	1 pieces
199	-do-	Vasaline	1 pieces
200	-do-	Javan Musk Oil	1 pieces
201.	13-5-80	Artametic Spray	1 pieces
202	-do-	Avon Spray	1 pieces
203	-do-	Cachet Spray	1 pieces
204	-do-	Giveadine Sprays	2 pieces
205	-do-	Perfumes	8
206	-do-	Shaving Brushes	10
207	-do-	Yardley Tale Powder	4

208	-do-	Make up Kits	3
209	-do-	Willkinsons Blades	13
210	-do-	Kitchen Knives	52
211	-do-	Gillette G-2 Razors	17
212	-do-	Willikinsons Bonded Razors	4
213	-do-	Gillette G-II Blades	27
214	-do-	Pen Knives	6
215	-do-	Nail Cutters	6
216	-do-	Watch Straps (Stainless Steel)	37
217	-do-	Door Bell	1
218	-do-	Cassette	1
219	-do-	Photo Albums	9
220	-do-	T-Shirts	19
221	-do-	T-Shirts(s)	2
222	-do-	Slip (Ladies)	1
223	-do-	Gents Shirts	3
224	-do-	Children T-Shirts	9

225	-do-	Chidren Full Pants	3
226	-do-	Gents Shirts Full Sleeves	19
227	-do-	T-Shirts	29
228	-do-	Frock (m)	1
229	-do-	Baba Suits	2
230	-do-	Vests	2
231	-do-	Chaddies	16
232	-do-	Gents Nylon Pant	1
233	-do-	Sweater	1
234	-do-	Ladies Coat	1
235	-do-	Socks	8
236	-do-	Gents Full Pant	1
237	-do-	Chidren Socks	3
238	-do-	Baba Suits	14
239	-do-	Pyjamas	33
240	-do-	Bell Bootoms(s)	5
241	-do-	Brassieries	2
242	-do-	Swaters	2

243	-do-	Ladies Penties	4
244	-do-	Gents Under wears	4
245	-do-	Slips(s)	2
246	-do-	Sweaters	2
247	-do-	Gents Full Pant	1
248	-do-	Bell Bottoms	4
249	-do-	Ladies Tops	4
250	-do-	Broadway Playing Cards	1560
251	-do-	Plain Shirting 44”	49.00 mtrs.
252	-do-	Gabardine Suiting	1.40 mtrs.
253	-do-	Mini Movie Toy	1
254	-do-	Gillette G-II Razors	4
255	-do-	Budlet Compacts	3
256	-do-	Yardley Power	2
257	-do-	Cream Sachets	5
258	-do-	Vaselene Hair Tonic	1
259	-do-	Old Spice After shave Lotion	1
260	-do-	Bonus Playing Cards	3

261	-do-	Bottle Opener	1
262	-do-	Tie Pin	1
263	-do-	Nail Polishes	6
264	-do-	Ladies Handkerchieves	3
265	-do-	Ladies Handkerchieves	24
266	-do-	Pyajamas	13
267	-do-	Saree Laces	35.00 mtrs.
268	-do-	Full Shirts	13
269	-do-	Baba Suits	14
270	-do-	Towels	1
271	-do-	Half Shirts	2
272	-do-	Children Coat	1
273	-do-	Swimming Costumes	2
274	-do-	Shirt	1
275	-do-	Sweater	1
276	-do-	Ladies Penties	65
277	-do-	Stockings	3
278	-do-	T-Shirts	34
279	-do-	Baba Suits	2

280	-do-	Scarves	2
281	-do-	Bell Bottoms (Ladies)	5
282	-do-	Gents Coat	1
283	-do-	Nighty	1
284	-do-	Maxy (Medium)	1
285	-do-	Ladies Tops	3
286	-do-	Children Shirts	8
287	-do-	T-Shirts	4
288	-do-	Neck Ties	4
289	-do-	Bed Sheets	2
290	-do-	T-Shirts	18
291	-do-	644 Printed Sarees	10.40 mtrs.
292	-do-	Omax Gents (A.D.D.)	5
293	-do-	Omax Gents (A.D.D.) Stainless Steel Straps	10
294	-do-	Omax Gents (A.D.D.)	18
295	-do-	Nino Ladies HW	20
296	-do-	Nino Watch Fibre Case	12
297	-do-	Parkeer Ladies HWCS	6

298	-do-	Seiko Gents (A.D.D.) Stainless Steel Straps	20
299	-do-	Seiko Gents (A.D.D.)	8
300	-do-	Seiko Gents (A.D.D.) Gilt Strap	6
301	-do-	Timax Gents Auto	3
302	-do-	Josmer Ladies HWCS	2
303	5-6-80	Nelson Gents (A.D.D.)	1
304	-do-	Camy Ladies HWCS	3
305	-do-	Nirwa Ladies HWCS	3
306	-do-	Orient Auto Date	10
307	-do-	Omax Ladies (A.D.D)	4
308	-do-	Omax Ladies (A.D.D)	6
309	-do-	Jemis Ladies HWCS Date	3
310	-do-	Jemis Gents (A.D.D.) Stainless Steel Straps	6
311	-do-	Omas (A.D.D.)	10
312	-do-	Omax Gents (A.D.D.) Stainless Steel Straps	14
313	-do-	Omax Gents (A.D.D.)	9

314	-do-	Jemis Gents (A.D.D.) Stainless Steel Straps	16
315	-do-	Seiko Gents HW	4
316	-do-	Seiko Gents HW Date	2
317	-do-	Seiko Ladies (A.D.D.)	3
318	-do-	Navada Gents (A.D.D.) Stainless Steel Straps	2
319	-do-	Jemis Auto Date	3
320	-do-	Ricoh Gents (A.D.D.) Gilt Straps	2
321	-do-	Ricoh Ladies Auto Date	4
322	-do-	Lucerne Ldies HWCS	2
323	-do-	Lucerne Ladies	2
324	-do-	Bierina Deluxe Ladies HWCS	1
325	-do-	Camy LHWCS Ladies	3
326	-do-	Camy Ladies HWCS Gilt Straps	2
327	-do-	Jemis Ladies HWCS Stainless Steel Straps	3
328	-do-	Jemis Gents (A.D.D.)	3

		Stainless Steel Straps	
329	-do-	Nirva Ladies HW Gilt Straps	3
330	-do-	Orient Ladies HWCS Stainless SteeL Strap	1
331	-do-	Omax Ladies HWCS Gilt Straps	3
332	-do-	Citizen Gents HW Date	6
333	-do-	Citizen Gilt Strap	1
334	-do-	Citizen Ladies HW Stainless Steel Straps	2

ANNEXURE "B"

Sr. No.	Article	Number	Name and address of the Buyers
1	Watch	1	Sh. Mani Ram Manju, Fatehabad
2	Watches	2	Sh. Subhash, 1436/22-B, Chandgarh
3	Watches	2	Sh. Kuldip, Kothi No. 40, Sector 2, Chandigarh.
4	Watch	1	Sh. R./C. ahuja, D-96, Mini Secretariat, Hissar.
5	Watch	1	Sh. Ram Kishan, M.L.A., Haryana
6	Watches	2	Sh. R.K. Merya, 368/8-A, Chandigarh
7	Watch	1	Sh. Ram Dass, Jamadar to Chief Minister, Haryana.
8	Watches	2	Sh. Balwinder Singh, 1725, Sector 23, Chandigarh.
9	Watches	2	Sh. Yash Pal, General Manager, Kaithal Coop. Consumer Store.

10	Watch	1	Sh. Amar Singh, C/o Harce Bank Ltd., Chandigarh.
11	Watch	1	Miss Vijay Arora, Confed. Chandigarh.
12	Watch	1	Sh. Jatinder Kumar, C/o Sh. Jagan Nath, Transport, Chandigarh.
13	Watch	1	Sh. Lalit Kumar, Indian Cofee House, Sector 22-B, Chandigarh
14	Calculator	1	Sh. Mahavir Singh, 3605/22-D, Chandigarh
15	Calculator	1	Sh. Harjit Singh, 155/8-A, Chandigarh
16	Calculator	1	Inspector General, Police, Haryana
17	Calculator	1	Distt. Forest Officer, Pinjore
18	Jordin Spray	1	Sh. Surja Ram, VPO. Adampur, Distt. Hissar
19	Watches	2	Sh. M.S. Rathee, Minister, Haryana
20	Watch	1	Sh. V.s. Kaushik, P.A. to M.D. Haryana State Land

			Dev. Bank, Chandigarh
21	Watch	1	Mrs. Sunita Arora, Confed.
22	Watch	1	Sh. Balwinder Singh, C/o Accounts Officer, Confed.
23	Watch	1	Sh. Ramjas, R.C.S. Office, Haryana, Chandigarh.
24	Watch	1	Sh. Om Parkash, 1903/22-B, Chandigarh
25	Watch	1	Sh. O.P. Gaba, Customs Department, Chandigarh
26	Watch	1	Sh. S.L. goyal, Customs Department, Chandigarh
27	Watch	1	Sh. S.K. Gulali, General Manager, Central Coop. Consumer Store, Ltd., Bahadugarh
28	Watches	2	Sh. S.K. Jain, General Manager, Central Coop. Consumer Store Ltd. Narwana.
29	Watch	1	Sh. Chander C/o Accounts Offcer, Confed, Chandigarh
30	Watch	1	Sh. Pritam C/o Joint Secretary, Cooperation,

			Haryana
31	Watches	2	Miss Sushila Rani, Confed. Chandigarh
32	Watch	1	Sh. O.P. Sharma, Regional Manager, Regional Centre, Confed, Faridabad
33	Watch	1	Miss Kusum, H.No. 1780/23-B, Chandigarh
34	Watch	1	Sh. M.S. Rathee, Minister, Haryana
35	Watch	1	Sh. Nafe Singh, Driver, Minister Car Section, Workshop Bus Stand.
36	Watch	1	Sh. Ranjit Driver Miniter Car Section, Workshop Bus Stand.
37	Watch	1	Sh. Gurmail Singh, H.No. 1019, Sector 22-b, Chandigarh
38	Calculator	1	General Manager, Haryana, Roadways.
39	Calculator	1	Sh. P.Gupta, Near Green Park, Hissar
40	Calculator	1	Child Dev, Project Officer,

			Raipur Rani.
41	Watch	1	Sh. R.L. Wadhwa, M.L.A., Haryana
42	Watch	1	Sh. A.K. Sachdeva, XEN P.W.D., Haryana, Chandigarh
43	Watch	1	Sh. Dharam Pal C/o General Manager, Ambala Super Bazar, Ambala Cantt.
44	Watch	1	Sh. Avtar Singh, C/o Sh. M.G. Sharma, Confed.
45	Transistor	1	Sh. Chattar Singh, 3073/28-D, Chandigarh
46	Transistor	1	Sh. Mohinder Singh, 330/20-a, Chandigarh
47	Cachet perfume	1	Sh. Sudesh Manajan, 1126/22-B, Chandigarh
48	Calculator	1	Sh. Sukhdev Singh, M.L.A., Haryana
49	Watch	1	Sh. Sheokaran Singh, VPO. Khajuri, Fatehabad.
50	Transistor	1	Sh. Des raj, Lohar Bazar, Bhiwani.

51	Watch	1	Sh. Om Parkash, C/o Dr. Mangal Sain, M.L.A., Haryana.
52	Prophecy perfume	1	Sh. Om Parkash 1230/27-B, Chandigarh
53	Prophecy perfume	1	Sh. Mani Ram Manju, Fatehabad
54	Jordine sprays	2	Sh. Mani Ram Manju, Fatehabad
55	Prophecy perfume	1	Sh. N.D. Singh, Customs Department, Chandigarh.
56	Prophecy perfume	1	Sh. O.P. Naryan, Confed, Chandigarh
57	Jordine sprays	1	Sh. S.Naryan, 3046/15-D, Chandigarh.
58	Jordine sprays	1	Sh. D.P. Jangra, General Manager, Kurukshetra Coop. Consumer Store.
59	Jordine sprays	1	Sh. Jagdish, M.L.A., Haryana.
60	Prophecy perfume	1	Sh. Mahavir Parshad, General Manager, Rohtak Coop. Consumer Store, Rohtak.

61	Jordine sprays	1	Sh. S.Narain Joint Secretary, Finance, Haryana
62	Calculator	1	Sh. Sat Pal Bros, Main Bazar, Kurukshetra.
63	Calculators	2	Director, Public Instructions, Haryana, Chandigarh.
64	Embroidered Saree	1	Sh. Anil Kumar, Lohar Bazar, Bhiwani
65	Embroidered Saree	1	Sh. Prem Singh, Bahadurgarh.
66	Jordine sprays	1	Sh. Rajinder Kumar, Main Bazar, Abohar,
67	Avon Spray	1	Sh. D.D. Khosla, 117/18-A, Chandigarh.
68	Calculators	1	Sh. Jagan Nath, Transport Minister, Haryana
69	Prophecy perfume	1	Sh. Om Parkash, 1136/15-D, Chandigarh
70	Calculator	1	Sh. Sohan Lal, Sadar Bazar, Ambala Cantt.
71	Charmis perefume	1	Sh. Harjit Singh, 155/18-A, Chandigarh.

72	Calculator	1	Sh. L.D. Aggarwal, 195/19-A, Chandigarh.
73	Watch	1	Sh. Baldev Raj, 1470/22-B, Chandigarh.

Re-appointment of Executive Officer, Municipal Committee, Charkhi Dadri

381. Ch. Hukam Singh: Will the Minister for Local Government be pleased to state whether it is a fact that the Executive Officer, Municipal Committee, Charkhi Dadri who retired after attaining the age of 58 years has been re-appointed as such; if so, the reasons therefor?

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): जी हां, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उसकी पुनः नियुक्ति की गई है।

10.00 बजे

श्री अध्यक्ष: मुझे री राम लाल वधवा, श्री मंगल सैन तथा श्री हर स्वरूप बूरा की तरफ से एक काल अटैन्शन नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसको मैं ऐडमिट करता हूं।

चौ. भले राम: अध्यक्ष महोदय, एक काल अटैन्शन नोटिस मैंने भी दी थी।

श्री अध्यक्ष: मैं उसको ऐग्जामिन करूंगा।

चौ. संत कंवर: अध्यक्ष महोदय, कल हमारे एक मैम्बर साहब ने गर्मी मैं आकर जल्दबाजी में कुछ कह दिया था। आप उस समय हाऊस में मौजूद नहीं थे। यदि आप हाऊस में उपस्थित होते तो शायद यह नौबत न आती। रूलिंग पार्टी की तरफ से भी जल्दी जल्दी में उसको सस्पेन्ड कर दिया गया। इइसलिये मेरी आापके द्वारा रूलिंग पार्टी के मैम्बरों से और मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वैस्ट है कि आप उसको वापिस हाऊस में आने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष: मै इसको कन्सिडर करूंगा।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, कुछ मैम्बरों का रवैया ठीक नहीं रहा है। इस बात को मैं मानता हूं। यदि वह मैम्बर अपनी गलती को हाऊस में स्वीकार करता है कि यह भविश्य में इस प्रकार की कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करेगा तो उसके हाऊस में वापिस आने पर हमें कोई आपति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: मैं इसको कन्सिडर करूंगा।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री महोदय ने स्वामी जी के बारे में जो कुछ कहा था, यदि वे भी अपनी गलती को मानते हैं तो हमारे साथी भी अपनी गलती को कबूल करने के लिये तैयार हैं।

चौ. भजन लाल: वे हाऊ में आकर कम से कम अपनी गलती तो महसूस करें।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी के बारे में जो कुछ मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है उसके लिए भी तो सी. एम. साहब को अपनी गलती महसूस करनी चाहिए।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण।

स्वामी अग्निवेश द्वारा

श्री अध्यक्ष: अब मैं स्वामी जी को पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये दो मिनट का समय देता हूं।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में तो कुछ नहीं कहा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी मैंने आपको दो मिनट का समय दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा दो मिनट के स्थान पर तीन मिनट ले सकते है। यदि आप चाहें कि 10 मिनट का समय दिया जाये, यह बात मैं आपकी नहीं मानूंगा।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, आज आपने अपने चैम्बर के अन्दर मुझे बुलाकर और मुख्यमंत्री जी को बुलाकर इस सम्बन्ध में बात की थी। मैं आपकी इस बात के लिए सराहना

करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन की गरिमा की अवहेलना करते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ आरोप मुझ पर लगाये थे। * * * * * * * * * * * * * * * * अध्यक्ष महोदय, ये पांचों बातें, मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे बारे मे ंगलत कही है, ये सारी की सारी बातें बे–बुनियाद और बिना किसी आधार के हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इन सभी बातों को प्रतिवाद किया है। मैं इसके ऊपर कायम हूं कि मैंने यह सब कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री महेादय ने भी अपनी बातों पर कायम रहने की घोशणा की है और यह भी कहा था कि यदि ये बातें गलत हों तो वे हाऊस से इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं। मैंने इनकी इस चुनौती को स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं कि इस मामले को विशेशाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लिख कर देने के लिये कहा था, वह मैंने लिख भी दिया है। कल यह भी कहा गया कि ये सारी की सारी बातें जो मेरे खिलाफ कही गयी थीं वे हाऊस की कार्यवाही से निकाल दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, अब इस सारे मामले पर सिर्फ दो ही बातों पर गौर करने की जरूरत हैं एक तो मुख्यमंत्री महोदय ..... (शोर)

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, आपने पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब आप खत्म करें।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यदि ये ज्यादा कहना चाहेंगे तो फिर इनके बाद कुछ समय मुझे भी कहने के लिये दिया जाये। (शोर)

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी आप पर जो आरोप लगाये गए थे और जो बे–बुनियाद आरोप आप बता रहे हैं वे आपने लिख कर दे दिए हैं। मैं उनको ऐग्जामिन करूंगा। मेरी गैर–हाजरी मैं डिप्टी स्पीकर या कोई चेयरमैंन यदि इस कुर्सी पर बैठा हो ओर उसकी जो रूलिंग रहेगी। मैंने रूल को स्टडी किया है, वही रूलिंग फाईनल होगी जो पहले चेयर की तरफ से दी जा चुकी है। यदि उसके अगेन्सट आप मेरे को और कोई रूल दिखा सकें तो मैं उसके ऊपर विचार करूंगा और मैं हर प्रकार से हाउस का डिस्पिलिन रखने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी तरफ से बिना किसी फियर के पूरे इन्साफ के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ फेसला करूंगा।

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, * * * * जब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि वह सारे सदन में खड़े होकर, जो आरोप उन्होंने मुझ पर लगाये थे, उनको वापिस ले लें। (शोर)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सिर्फ यही कहना चाहात हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: कृप्या आप बैठ जायें। (शोर) जो बात मेरे चैम्बर में मुख्यमंत्री महोदय और स्वामी जी की हुई थी, वह मैं समझता हूं कि एक कान्फीडैन्शियल बात है। जब तक उसके बारे में मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं आती, तब तक मैं समझता हूं कि उसको डिस्कलोज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जरूरी

हुआ तो मैं उसको हाऊपर में डिस्कलोज कर दूंगा। यदि फिर भी उस बात को यहां पर कहा जाता है और आपस में झगड़ा करना है तो मैं समझता हूं कि मेरे चैम्बर में आने की कोई जरूरत नहीं रहनी चाहिए। (शोर) मैं तो किसी चीज को सुलझाने के लिये दोनों आदमियों को बुलाकर, कोई समझदारी की बात हो सके या कोई फेसला हो सके तो वह करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं यह समझता हू कि यह बात सही नहीं है कि जो बातें कान्फीडैंस में होती हैं, उनको स्ट्रेट अबे यहां आाकर हाउस में ऐक्सपोज यिका जाये। (शोर एवं व्यवधान)

स्वामी अग्निवेश: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो बातें कहीं हैं, उनको वापिस लें वरना यह सारा मामला विशेशाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. रिजक राम: अध्यक्ष महोदय, कल जो बात मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कही गई थी, उसको डिप्टी स्पीकर साहब महोदय ने ऐक्सपंज कर दिया था लेकिन आज स्वामी अग्निवेश जी ने फिर वहीं बातें दोहरायी है, क्या उनको देखते हुए कल वाली बातें रिकार्ड पर स्टैंड करती हैं या ऐक्सपंज स्टैंड करती हैं क्योंकि उस समय तो डिप्टी स्पीकर साहब ने यह कहा था कि इनको ऐक्सपंज किया जाये। जब एक बार वे बातें ऐक्सपंज हो गयी थी, तो उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। मैं यह

जानना चाहता हूं कि जो कल के ऐक्सपंक्शन के आर्डर्ज थे, उनका क्या बना?

Mr. Speaker: Regarding the expunction, I will study the Rules and take a decision accordingly.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि कल जो बात हुई थी, उस मामले को आपने कड़ी युक्ति के साथ सुलझाने की कोशिश की है। आपने यह भी बिल्कुल ठीक फरमाया है कि जो बात आपके चैम्बर में हुई है, वह यहां पर डिस्कलोज करना, कोई अच्छी बात नहीं हैं। जो बातें आपके चैम्बर में हुई हैं, उसकी रोशनी में यह कहना चाहता हूं कि हमारे एक आदरणीय सदस्य भगवेवस्त्रधारी स्वामी अग्निवेश जी के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को उदारता दिखानी चाहिए और उन बातों को वापिस लेना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये मैम्बर साहेबान, जो कुछ भी बातें यहां कल हाउस में हुई हैं, वह बहुत रिग्रैटेबल हैं, लेकिन हाउस सुप्रीम है। मैं 24 साल तक फौज में रहा हूं। अगर हाउस मुझे इजाजत दे, तो मैं एक मिनट में डिस्पिलन एन्फोर्स कर सकता हूं। अगर किसी मैटर के बारे में कोई बिना इजाजत से बोलेगा या इररैलेवैन्ट बोलेगा तो मैं उसे फौरन रोक दूंगा, किसी को चूं तक नहीं करने दूंगा। Let the House give me the permission and you

will see that you will not find a stronger speaker than me in the whole of India.

चौ. भजन लाल: हम आपको अपनी पार्टी की तरफ से इस बात का पूरी अधिकार देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please let me finish. There is no occasion for this because कभी–कभी मैं भी एक काम्पलैक्स में आ जाता हूं कि 24 साल तक तो फौज में रहा, अब इस पौलिटिक्स वाले धन्धें में आअया हूं। शायद लोग यह कहने लगें कि अब भी अपना फौजी डिस्पिलिन चला रहा है। इस बारे में कई बार हमारी जो फोर्थ एस्टेट प्रैस है, उसके आदमी भी मुझसे यह कहते हैं और मेरे साथी एम.एल.ए. साहेबान भी यह कहते हैं कि कर्नल साहब, अब फौज वाली बातों को तो छोड़ दीजिये। अपने आपको मोल्ड करें। मैंने इसी काम्पलैक्स में अपने आपको ढालने की कोशिश की है कि थोड़ी बहुत हाउस में हंसी मजाक की बात हो, मैंने इस बारे में काफी ढील दी है कि दिल्लगी की बात भी हाउस में कभी–कभी हो जाया करें ताकि हाउसका काम भी चलता रहे और आप लोगों का ब्लड प्रेशन भी कन्ट्रोल में रहे और हस्पताल वालों पर ज्यादा दबाव न पड़े। अगर आप सभी साहेबान चाहते हैं तो मैं आज से ही डिस्पिलिन एनफोर्स कर दूंगा कि जो मैटर इन हैंड है, उसके अलावा अगर एक भी शब्द कोई मैम्बर कहेगा तो एक मिनट में उसे बाहर भिजवा दूंगा। आप केवल मुझे इजाजत दीजिये। फिर ऐसी कोई बात होगी ही नहीं। हाउस सुप्रीम है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हम आपको अपनी पार्टी की तरफ से, पूरा अधिकार देते हैं ओर इस बात का पूरा विश्वास दिलाते है कि हाउस में डैकोरम और अनुशासन रखने में आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करता हूं कि हाउस को मर्यादा और अनुशासन में जितना ज्यादा से ज्यादा चला सकते हैं, चलायें ताकि हाउस का डैकोरम रह सके।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह बात फरमायी है कि आपने सोचा कि हाउस रिलैक्स्ड ऐटमौसफीयर में चले, यह बात बिल्कुल ठीक है। आपने जो यह कहा है कि आप डिस्पिलिन एक मिनट में ऐन्फोर्स कर सकते है, यह बात भी बिल्कुल बजा है। आपका 24 साल का फौज का तर्जुबा है। आज तक पहले भी कभी ऐसा मौका नहीं आया जब आप हाउस को कन्ट्रोल न कर पायें हों। हमने तो यह देखा है कि आप ने बड़ी ही खूबसूरती से हाउस को ऐसे मौकों पर कन्ट्रोल किया है। मैं केवल इतनी सी बात अर्ज करना चाहता हूं कि एक बात यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति शुरू करता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है जोकि नहीं मिलना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे, हम तो आपके ताबेदार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I can assure the House that in my decision I will be fair and impartial and will not take any side whatsoever. मेरी कोशिश यह रहती है कि अगर कोई इस किस्म

की अनपलैजैन्ट बात हो जाये तो उसको खत्म करवाने की कोशिश करूं न कि उसको बढ़ाने की कोशिश करूं। (शोर एवं व्यवधान)

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, मेरा इस समय बोलने का मुद्दा किसी पर व्यंग्य कसने का नहीं है लेकिन डाक्टर मंगल सैन जी जब भी बोलने के लिये खड़े होते हैं तो कोई न कोई बात मेरे ऊपर कर देते हैं ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने आपके बारे में तो कोई बात नहीं कही है .....(शोर एवं व्यवधान) ..... स्वामी जी आप इतिहास कीबात कर रहे हो या आज की बात कर रहे हो? आप पहले की बात कर रहे हैं जेा कि अबखत्म हो चुकी है .....(शोर एवं व्यवधान)

आवाजें: अभी–अभी इन्होंने कहा है .....(शोर एवं व्यवधान)

डा. मंगल सैन: मैंने कोई बात नहीं कही है।

स्वामी आदित्यवेश: अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो कुछ स्वामी आदित्यवेश जी ने कहा हैं, वह ऐक्सपंज कर दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मेरे साथी सरदार तारा सिंह जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है कि दूसरे

मुल्कों से वापिस आने के बाद मेरी आत्मा में यह बात बैठ गयी है कि सभी साथियों को देश के लिये पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। * * * *

श्री अध्यक्षः जो बात दलाल साहब कह रहे हैं, यह रिकार्ड न की जाये।

ध्यानाकर्शण सूचना–

हरियाणा राज्य में आमतौर पर और अम्बाला तथा करनाल जिलों में विशेशकर पीलिया फैलने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः चौ. राम लाल वधवा जी, राज्य में ऐपिडैमिक्स तथा अम्बाला और करनाल जिलों में जौंडिस सम्बन्धी जो कन्सौलिडेरिड काल अटैन्शन नोटिस मैंने ऐडमिट किया है, आप उसे कृपया पढ़ दें।

चौ. भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः वह सब कुछ ऐक्सपंज करा दिया है। उस बारे में अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय जो मैंने प्रिविलेज मोशन दी थी उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: उसको मैं ऐग्जामिन कर रहा हूं। I have referred the matter to the Government for their comments कि ऐक्चुअली क्या इंसिडैन्ट हुआ? I have requested the Government to send the reply by 1.00 O'clock. (Interruptions). Hon. Members Zero hour is over.

श्री बलदेव तायल: आन ए प्वायंट आफर आर्डर। अध्यक्ष महोदय, कल मेरी पार्टी के एक सदस्य स्वामी अग्निवेश पर कुछ आरोप लगाए गए थे .....

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। यह कोई प्वायंट आफर आर्डर नहीं है। वह मामला अब समाप्त हो चुका है। चौ. राम लाल जी आप अपना काल अटैन्शन नोटिस पढ़ लें।

Sh. Baldev Tayal: Sir, you are the supreme authority. Kindly listen for a minute. (Interruptions.)

श्री अध्यक्ष: चौ. राम लाल जी अगर आप अपना काल अटैन्शन नोटिस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको रद्द करता हूं।

चौ. राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मैं तो पढ़ने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन बीच में तायल साहब खड़े हो गए। स्पीकर साहब, मैं अपने तथा अन्य दो साथियों की तरफ से दिए गए नोटिसिज को पढ़ देता हूं। (At this stage, the Deputy Speaker occupied the Chair.) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन का

ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि:–

1. पीलिये का रोग आमतौर पर जिला करनाल में और विशेशतया करनाल शहर में भयंकर रूप से फैल रहा है। इस रोग से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है और सरकार इस रोग की रोकथाम के लिए प्रभावी निवारक पग उठाने में विफल रही है और जो कि अब शहर के अन्दरूनी हिस्से में भी फैल रहा है। इस भंयकर रोग से हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्यवाही करने में बुरी तरह से असफल रहे है। वे इस मामले में एक दूसरे पर दोश लगा रहे हैं और लोग प्रतिदिन इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं। लोक स्वास्थ्य विभाग तथा नगरपालिका प्राधिकारी जोकि पीने वाले वाले पानी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं, वे दूशित पानी की, जो कि इस रोग का मुख्य कारण है, सप्लाई रोकने में असमर्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए नमूने अनकलोरीनेटिड पाए गए हैं। खराब मल प्रणाली तथा पानी की नालियों की जोकि साथ साथ चल रही हैं अभी तक जांच नहीं की गई है। काफी शैय्याएं तथा उचित इलाज के न होने के कारण मरीजों की हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। दवाईयां भी उपलब्ध नहीं हैं।

2. हरियाणा राज्य में विशेशतया अम्बाला छावनी, अम्बाला नगर, शाहाबाद तथा करनाल में पीलिया का प्रकोप फैला हुआ है जिसके कारण हजारों लोग बीमार हो गए हैं और कई

मृत्यु हुई हैं। सरकार ने इस सदन में मार्च, 19080 में कहा था कि इसके बारे में कोई विशेश बात नहीं है। इस बीमारी को रोकने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। राज्य की जनता में इस संक्रामक रोग के कारण आतंक फैला है।

3. हरियणा प्रदेश के कई हिस्सों में पीलिए का, मलेरिये का तथा गैस्टरो इन डाईटस जैसी भयानक बीमारियों का बड़ा भारी प्रकोप है, इसलिए यह सदन सरकार से उम्मीद करता है कि पीने के पीन के जितने भी स्त्रोत हैं, उनको क्लोरीनेट किया जाए, स्थाई पानी के गढ़ों आदि में मलेरिया आयल डालने का प्रबंध किया जाए। वहां के लोगों को एन्टी मलेरिया व और दूसरे उचित उपचार किये जाएं ताकि मनुश्यों के जिन्दगी के नुक्सान जैसी समस्याओं को पहले से ही कन्ट्रोल किया जा सके। डी.डी.टी स्प्रे का कार्य जो 2–3 साल से बन्द है, उसे पुनः शुरू किया जाए। यह सदन सरकार से यह भी प्रार्थना करता है कि इन क्षेत्रों में दवाई देने के छोटे छोटे केन्द्रो का प्रबन्ध किया जावे तथा खून आदि टैस्ट करने का प्रबन्ध यिका जावे।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, हम इसका जवाब कल देंगे।

चौ. राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कल वाली काल अटैन्शन मोशन का जवाब आज आना था, उसका क्या हुआ?

श्री बलदेव तायल: उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाएंट आफ आर्डर। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि कल मेरी पार्टी के एक माननीय सदस्य .....(व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Tayal Sahib, your point of order has already been disallowed by the Hon. Speaker, and that matter is closed.

Voice: You sit down.

श्री बलदेव तायल: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बैठाने की अथौरिटी आपको है। ये कौन होते हैं जो मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। ट्रेजरी मैम्बर्ज को कोई अधिकार नहीं है। (शोर) उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक मिनट दें। मैं प्वायंट आफर आर्डर पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: तायल साहब, कृपया आप एक सैकिन्ड बैठिए। जीरो आवर खत्म होने के बाद आप कुछ कहना चाहते थे और वही बात अब आप रिपीट कर रहे हैं। स्पीकर साहब ने उसे अलाउ नहीं किया। इसलिए कृपया अब आप प्वायंट आफ आर्डर रेज न करें। I over-rule it.

श्री बलदेव तायल: मैं अपनी बात एक मिनट में आपको बताया चाहता हूं। बात सुनाना मेरा अधिकार है और उस बात को सुनना आपका कर्त्तव्य है। (शोर) Mr. Deputy Speaker, Sir, I am speaking on a point of order. After hearing my point of order

you may orer-rule it. That will be entirely a diffierent thing. But before hearing you cannot over-rule it.

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, कम से कम आप सुन तो लें उसके बाद आप ओवर रूल कर सकते हैं। अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है और आप पहले ही ओवर रूल कर रह हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जीरो आवर खत्म हो चुका है।

श्री मूल चन्द जैन: यह प्वाएंट आफ आर्डर पर खड़े हैं।

Sh. Baldev Tayal: I think, the Speaker, the Deputy Speaker or any-body else, who is in the Chair, has not right to refuse to listen to any member who stands on a point of order. (Interruptions.) Please listen to me.

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): He is challenging your ruling, Sir. (Interruptions.)

Sh. Baldev Tayal: Sir, my humble submission is thisthat you may over-rule it, only after hearing me.

श्री मूल चन्द जैन: आन ए प्वायंट आफर आर्डर। (शोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश यह है कि लीडर आफर दी हाउस ने भी कहा और हमने भी यह कहा कि हम हाउस को प्रौपर आर्डर में और डिगनटिी के साथ चलाना चाहते हैं। हमारे एक बहुत ही सीनियर मैम्बर बहुत ही इम्पौरटेन्ट मामले पर बोलना चाहते हैं। आप उनको बोलने का मौका तो दें। वे एक दो मिनट

से ज्यादा नहीं लेंगे। अगर वे अपनी बात को रिपीट करते हैं तो आप ओवर रूल कर सकते हैं। तायल साहब, हाउस के बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं उनको बोलने का मौका दिया ही जाना चाहिए। अगर ये वही बात रिपीट करते हैं जिसके लिए स्पीकर साहब ने इजाजत नहीं दी तो आप उसे ओवर रूल कर दें लेकिन कम से कम बोलने का तो मौका दिया जाना चाहिए।

वक्तव्य–

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा उनकी बढ़ती हुई कीमतों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: नागर साहब, *काल अटैंशन मोशन पर अपना स्टेटमैंट पढ़ दें उसके बाद मैं इनको टाईम दे दूंगा। (शोर)

चौ. राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, नागर साहब ने जो स्टेटमैंट देनी है उसकी कापियां तो आप बंटवा दें। हरेक मैम्बर को उस स्टेटमैंट की कापी दे दी जाए।

Food & Supplies Minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar): Sir, this Call Attention motion relates to five commodities namely Sugar, Kerosene Oil, Cement, Diesel and Edible Oils. The position regarding each is explained individually. (Interruptions.)

आवाजें: यह स्टेटमैंट हिन्दी में पढ़ा जाए।

चौ. गजराज बहादुर नागर: डिप्टी स्पीकर साहब, काल अटेन्शन मोशन अंग्रेजी में पढ़ा गया था। इसलिए मैं उसका जवाब भी अंग्रेजी मैं दे रहा हूं। (शोर) अगर मैम्बर साहिबान चाहते हैं कि मैं इसको हिन्दी में पढूं तो मैं इसको हिनदी में पढ़ देता हूं।

आवाजें: हिन्दी में पढ़ा जाए।

चौ. गजराज बहादुर नागर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी में ही पढ़ देता हूं।

यह काल अटैन्शन मोशन पांच आवश्यक वस्तुओं, चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेंट तथा खाने के तेल से सम्बन्धित है। प्रत्येक वस्तु की विस्तृत स्थिति नीचे दी जा रही है :–

चीनी

देश में चीनी की कमी का मुख्य कारण सूखा की स्थिति के परिणामस्वरूप चीनी की पैदावार में कमी है। देश में वर्श 1978–79 में चीनी की पैदावार 58 लाख टन थी। वह 1979–80 में घटकर 45 लाख टन से भी कम रह गई है। आम आदमी को राहत देने के लिये भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1979 से चीनी की दोहरी नीति लागू की गई है। इसके अधीन मिलों के उत्पादन का 65 प्रतिशत चीनी निर्धारित कीमत पर लेवी चीनी के रूप में लोगों में नियमित तकसीम करने के लिये भारत सरकार द्वारा ली जाती है। हरियाणा राज्य का लेवी चीनी का कोटा 4917. 9 टन है। यह कोटा 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से

वितरण के लिये ही पर्याप्त है। बार बार अनुरोध करने पर भी भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य कोटा नहीं बढ़ाया गया। ये ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक राज्य का लेवी चीनी का कोटा उस द्वारा उस समय में की गई चीनी की खपत पर निर्धारित किया गया है जबकि इस पर कोई कन्ट्रोल नहीं था। लेवी चीनी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रू. 2.85 पैसे प्रति किलो की दर पर राशसन कार्डो पर दी जाती है। यह चीनी देहाती तथा शहरी इलाकों में एक साथ बिना किसी भेदभाव के 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से वितरित की जाती है। यह सराहनीय बात है कि इस वितरण प्रणाली के अधीन एक आम आदमी को रू. 2.85 पैसे प्रति किलो की दर पर उसकी न्यूनतम आवश्यकता के लिये चीनी उपलब्ध करवाई जा रही है। जोकि संसार में सबसे कम रेट है। देहाती इलाकों में चीनी का वितरण एक कमेटी, जिसके सदस्य सरपंच, हरिजन पंच, पटवारी तथा स्कूल हैडमास्टर हैं, की निगरानी में होता है।

शेश 35 प्रतिशत चीनी जो सेवी चीनी की मांग के बाद बच जाती है खुले बाजार में बेचने के लिए रीलीज की जाती है। इस चीनी को मिलें किसी भी भाव पर बेच सकती हैं। इस प्रणाली के अधीन सरकार को लेवी चीनी देने पर जो घाटा मिलों को होता है, वह शेश 35 प्रतिशत चीनी को खुले बाजार में अमीर वर्ग को बेचकर पूरा किया जाता है तथा इससे मिलें किसानों को गन्ने की लाभदायक कीमत देने में समथै होती है। उपभोक्ता को यदि

लेवी चीनी के अतिरिक्त चीनी की आवश्यकता हो तो वह अपनी जरूरत खुले बाजार से चीनी खरीद कर पूरीकर सकता है। इसी प्रकार चीनी प्रयोग करने वाले संस्थान व उपभोक्ता अपनी विशेश मौकों, शादी, उत्सवों आदि की आवश्यक मांग भी खुले बाजार से पूरी कर सकते हैं।

खुले बाजार में चीनी की उपलब्धि तथा कीमत पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार ने निम्नलिखित पग उठाये हैं:–

1. एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में चीनी लाईसैन्स धारक द्वारा चीनी का भण्डार करने की सीमा घटाकर 100 क्विंटल तथा एक लाख से ऊपर की आबादी के शहरों में यह सीमा घटाकर 250 क्विंटल कर दी गई है। खाण्डासारी भण्डार करने की भी सीमा घटाकर 500 क्विंटल कर दी गई है।

2. 22.5.80 से चीनी लाईसैन्स धारक दूसरे चीनी लाईसैन्स धारक को चीनी बैचने पर मनाही कर दी गई है यदि स्टाक का भौतिक तबादला न हो।

3. चीनी लाईसैन्स धारक चीनी प्राप्त हो जाने के बाद 10 दिन से ज्यादा समय तक उसी चीनी का भण्डार नहीं रख सकता।

4. चीनी मिलों द्वारा मिल स्थानों पर चीनी के परचून केन्द्र खोले गये हैं जहां से प्रत्येक उपभोक्ता को एक क्विंटल

चीनी दी जाती है। इससे उन शहरों में रहने वालों को जहां चीनी मिलें हैं मिडलमैन का मुनाफा बच जाता है।

5. चीनी मिलों को, सम्बन्धित, जिला खाद्य व पूर्ति नियंत्रक को उन द्वारा भिन्न–भिन्न डीलरों को बेची गई चीनी की साप्ताहिक विवरणी भेजी जानी होती है जिससे डीलरों द्वारा की गई बिक्री की जांच की जा सकती है।

चीनी की बिक्री में चोर बाजारी तथा भण्डार पर निगरानी के लिये सरकार नेसमाज विरोधी तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की है। इसके फलस्वरूप इस वर्श 67 केस दर्ज करवाये गये हैं। 56 व्यक्ति गिरफतार किये गये हैं। 1750 क्विंटल चीनी जिसकी कीमत रू. 9.5 लाख है, भी पकड़ी गई है।

सीमेंट

बिजली की कमी व कोयले की उपलब्धि न होने के कारण देश में सीमेंट के उत्पादन में भारी कमी हुई है। राज्य की त्रिमाही ऐलोकेशन 1.68 लाख टन पर 20 प्रतिशत कट लगाकर 1980 की पहली त्रिमाही में घटाकर यह ऐलोकेशन 1.34 लाख टन कर दी गई है। हमारी कुल मांग 2 लाख टन प्रति त्रिमाही है। राज्य में सीमेंट की कमी इस कारण और भी ज्यादा हो गई है क्योंकि राज्य का सीमेंट का अधिकांश कोटा राज्य में स्थित दो फैक्ट्रियों के इलावा राजस्थान में स्थित फैक्ट्रीयों से दिया जाता है। राजस्थान में स्थित फैक्टरीयां जनवरी, 1980 से लगभग तीन

मास तक बन्द रही हैं क्योंकि राजस्थान अटामिक पावर प्लान्ट तब बन्द हो गया था। दादरी सीमेंट फैक्ट्ररी बिल्कुल बन्द पड़ी हैं। इसका परिणाम यह है कि पिछले छः महीनों से सीमेंट की प्राप्ति बहुत कम रही है। जो थोड़ा बहुत सीमेंट इन फैक्ट्रियों में बना है उसका प्रेशण रेल बैगनों के कम मिलने के कारण बहुत कम हुआ है। दक्षिण क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्रियों की स्थिति और भी शोचनीय है। इन कारणों से सार्वजनिक वितरण के लिये सीमेंट की उपलब्धि जो 1979 की अन्तिम त्रिमाही में 51000 टन थी, 1980 की प्रथम तिमाही में घटकर 22000 टन रह गई है।

उपलब्धि में इस अचानक भारी गिरवाट के कारण ही राज्य में सीमेंट की गम्भीर कमी पैदा हुई है। यातायात की मुश्किलात के कारण राजस्थान की तीन फैक्ट्रियों को हरियाणा राज्य में अपने डमप खोलने के लिये अनुमति दी गई है। भारत सरकार से 30 हजार टन विदेशी सीमेन्ट तथा 5000 टन अन्य सीमेंट की अतिरिक्त अलाटमैंट प्राप्त की गई है। यह आशा की जाती है कि सीमेंट प्रेशण के लिये रेल वैगनों की उपलब्धि में सुधार तथा बिली सप्लाई में वृद्धि के फलस्वरूप शीघ्र ही सीमेंट की स्थिति में सुधार हो जायेगा।

सीमेंट की विवरण प्रणाली की ओर सुलभ बनाया गया है। उपायुक्त की निगरानी में सीमेंन्ट का वितरण किया जाता है। इसमें भ्रश्टाचार को रोकने के लिये कड़ी निगरानी रखी गई है। तत्कालीन छापे मारने पर 25 क्रीमिनल केस दर्ज करवाये गये हैं।

1973 बोरी सीमेंट जिसकी कीमत 50000 रू. के लगभग है, जब्त की गई और 32 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

मिट्टी का तेल

राज्य का मिट्टी का तेल का मासिक कोटा 6000 किलो लीटर है। साधारणतया यह कोटा काफी है पर सर्दियों के महीनों तथा औधोगिक क्षेत्रों/शहरों में इसकी कमी महसूस की जाती है। भारत सरकारने मास जुलाई 1980 से हामरे अनुरोध पर मिट्टी के तेल का कोटा 7549 किलो लीटर कर दिया है ओर यह आश्वासन दिलाया हैकि आसाम राज्य में स्थिति ठीक हो जाने पर इसमें और बढ़ोतरी कर दी जावेगी। इस समय मिट्टी के तेल क वितरण राशन कार्डो पर किया जाता है। विभाग द्वारा चैंकिग करने पर 34 केस जिनमें 37 व्यक्ति (इनवोलव) सम्बन्धित हैं, दर्ज करवाये गये हैं।

डीजल

मई, 1980 से राज्य की डीजल की स्थिति काफी सन्तोशजनक रही है। केवल कुछ इलाकों में विशेश कारणों जैसे कि झोना की बिजाई आदि से इसकी कमी कभी कभी हो जाती है, पर साथ ही इसके सुधार के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाती है। कई जिलों में तो पैट्रोल पम्पों को पूरा कोटा उठाने में सहूलियत देने के लिये उपभोक्ता को पेशगी कोटा भी जारी करना पड़ा है। पिछले साल जो वितरण प्रणाली लागू की गई थी उसे वापस नहीं

लिया गया। सरकार इसकी स्थिति पर पूर्णतया निगरानी रख रही है। क्षेत्रों से रिपोर्ट समय समय पर प्राप्त की जा सकती है।

खाने के तेल

देसी खानेके तेलों पर कोई वितरण नियंत्रण नहीं है। यह खुले बाजार में उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा विदेशी आर. बी.डी. पाम आयल तथा रेपसीड आयल की राज्यों को उदार अलाटमैंट की जा रही है। जिससे खाने के तेलों की उपलब्धि में बढ़ोतरी हो। हरियाणा राज्य में यह तेल कानफैड द्वारा सुपर बाजारों तथा सहकारी समितियों व स्टोरों के माध्यम से बिकवाया जाता है। इन विदेशी तेलों की राज्य में कोई खास मांग नहीं है।

श्री मान जी, जैसा कि मैंने बतायाहै कि सरकार इस मामले में जो पग जरूरी हैं, उठा रही है और आवश्यक वस्तूओं की सप्लाई के बारे में स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। इस स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और यह आरोप कि सरकार इस मामले में बूरी तरह नाकामयाब रही है, सरासर निराधार है।

चौ. राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि कल सीमेंट के बारे में एक क्वैशचन आया था और स्पीकर सहाब ने उस पर आधे घंटे की डिस्कशन अलाउ कर दी है। यह काल अटैन्शन मोशन उसी से संबंधित है। सीमेंट के अलावा तीन चार चीजें और इसमें शामिल हो गई हैं यदि इसको उसके साथ

सम्मिलित कर दिया जाए तो इसके बारे मे ंभी सवाल करने पर आसानी रहेगी और इस पर भी डिस्कशन हो सकेगी क्योंकि अगर आप सवाल के लिए मुझे कहेंगे तो इस स्टेटमैंट में पांच आईटम्ज हैं और पांच आईटम्ज के लिए मुझे पांच सवाल करने पड़ेंगे उसके लिए आप समय नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है इसको भी उसके साथ सम्मिलित कर लिया जाएगा।

श्री बलदेस तायल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी सदन के अन्दर माननीय सदस्य स्वामी आदित्यवेश जी ने स्वामी अग्निवेश पर एक आरोप लगाया (शोर)

Mr. Speaker: Please listen. आप उन्हें बोल लेने दीजिए। (शोर)

श्री बलदेव तायल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस की किताब के रूल 116 के अन्दर लिखा हुआ है कि –

"(1) If the Speaker is of opionion that a word or words has or have been used in dabate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undiginifed, he may, inhis discretion or that such word or words be expugned form the proceedings of the Assembly.

(2) The portion of the proceedings ofthe Assembly or expunged shall be marked by asterisks nad an explanatory foot-note shall be inserted in the proceedings."

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कल मैंने इस मामले को फाइनल कर दिया था और अब आप चूकि प्वायंट आुर आर्डर के लिए खड़े हुए हैं तो मैं आपसे थोड़ा सा विनेदन कर दूं कि – Sub-rule (5) of Rule 112 reads as under –

"A point of order is not a point of privilege."

उसके ऊपर तो रूलिंग आ गई है और बाबू मूल चन्द जैन जी ने स्पीकर सहाब को लिख करके दिया हुआ है और वह अंडर कंसीड्रेशन है।

Sh. Baldev Tayal: Mr. Deputy Speaker, Sir, my humble submission before the Hon. Chair is this that as far as expunction of remarks is concerned the power of the Speaker is also codified. It is not unlimited and arbitary that he can order the expunction of the whole speech of a member of just wipe it out of the record. It is very clearly mentioned in this Rule thata word or words, only those words, which are defamatory or indecent, undignified and which are sort of unparliamentary can be expunged. It is very painful to submit that so many times, without reference to this book, the speeches of the mebers have been expunged from the record. My humble submission again today is to bring to your kind notice that the Speaker's authority is supreme. His verdict is final. No person in the House can challenge it, even the whole House cannot challenge it. But it is the duty of the Hon.

Speaker, to use his powers with utmost judiciousness and not arbitrarily. I do not think that Swami Aditya Vesh has said anything defaratory or indecent. It was a levelling of allegations and counter allegations. A member, who has been made a subject of allegations again and again by the Treasury Benches demands that these allegations be submitted to the Privileges Committee. It is a matter of privilege. It is a matter of right of a member that if and when wrong allegations are levelled against him, he can submit to the Speaker that the allegations are wrong and they be referred to the Privildges Committee to find out the truth whether the Member sitting on this side or that side is speaking the truth. It is the duty of the Speaker to find out the truth and punish the member who is guilty of falsehood in a House and especially in this Supreme House of the State. Speaking of falsehood in the House is a blemish and a sin which must be a matter of comtempt of the House. My humble submission before you, Sir, is this that the matter truth found out and the member guilty of falsehood should be punished. Thank you.

चौ. उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे कहा ाि कि इनके बाद आप बोल लें। मेरी बात तो हाउस की सारी कार्यवाही से जरूरी है। (शोर एवं विघ्न) आप सुन तो लें। मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार इस तरफ देख तो लें। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, कृपया आप बैठ जाईए। अब एक मंत्री सदन की मेज पर कागज–पत्र रखेंगे।

मेज पर रखे गए कागज पत्र

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): मैं हरियाणा सम्बन्द्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979 की धारा 16 (1) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, हरियाणा सम्बन्द्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) नियमावल, 1980 के संबंध में शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर./एच.ए.15/79/एस. 16/80 दिनांकित 24 अप्रैल, 1980 मेज पर रखता हूं।

मैं हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 की धारा 64 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा साधारण विक्रय कर (तृतीया संशोधन) नियमावली, 1980 के संबंध में आबाकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 32/एच.ए. 20/73—एस. 64/एंड (3)/80, दिनांकित 18 मार्च, 1980 मेज पर रखता हूं।

मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619—ए (1) तथा 131 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्श 1978—79 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लि. की पांचवीं वार्शिक मेज पर रखता हूं।

वर्श 1980—81 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त)

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष: मैम्बर साहेबार, अब 1980–81 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस (फस्ट इन्स्टालमैंट) पर डिस्कशन होगी। जो सदस्य राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर बोलना चाहते हैं, वे बोल सकते हैं।

(इस समय कोई भी सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ)

(ii) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री उपाध्यक्ष: पहली प्रथा के मुताबिक हाउस का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर जो डिमांडज हैं, वे पढ़ी गई तथा पेश की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्य किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते है लेकिन बोलते समय उस डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर मैम्बर साहब बोलना चाहते हैं। गिलोटीन 12 बजे एप्लाई किया जाएगा।

That a supplementary sum not exceeding Rs. 170000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 235000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5000000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 17-Agriculure.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2575000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 22-Cooperation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 8150000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 25 Loans and Advances by State Government.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा): डिप्टी स्पीकर साहब, सदन मेंसप्लीमैंटरी एस्टीमेटस पेश किये गये हैं .....

स्वामी अग्निवेश: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। रूल 120 के तहत जो आपको रैज्युडरी पावर्ज दी गई हैं उसके बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जो कुछ इसमें

लिखा हुआ है वह तो आपके ध्यान में है लेकिन जो नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में आपका ध्यान नहीं हैं.....

Mr. Deputy Speaker: Swami Ji, on what topic are you speaking?

स्वामी अग्निवेश: मैं प्वायंट आफर आर्डर पर बोल रहा हूं।

Mr. Speaker: There can be no point of order on my ruling. Please sit down. (Interruptions). I disallow your point of order.

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, जो सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने पेश किए हैं, इन पर कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो डिमांडज का आना एक रूटीन की बात है लेकिन एक बात के लिए मैं फाइनैंस मिनिस्टर सहाब को और गवर्नमैंट साहब को बधाई देता हूं कि उन्होनें 50 लाख रूपये मेवात के एरिये की डिवैल्पमैंट करने के लिए सप्लीमैंटरी एस्टीमेंटस में रखे हैं। यह अच्छी बात है। मार्च, में जब बजट पेश किया गया था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि मेवाल के ऐरिये की डिवैल्पमैंट के लिए बोर्ड बना रहे हैं लेकिन बजट में इसके लिए एक कौड़ी भी नहीं रखी थी। उस वक्त मैं हैरान था कि डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाने का क्या फायदा है, अगर इसके लिए रूपया नहीं रखा है। अब सप्लीमैंटरी ढस्टीमेटस में 50 लाख रूपया रखा है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। डिप्टी स्पीकर

साहब, मार्च में जो बजट पेश किया था उसमें 46 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया गया था। मैंने सोचा था कि ज्यादा घाटा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, हस्पतालों में दवाइयों के लिए, जिन स्कूलों में बच्चों को बैइने के लिए टाट तक नहीं है उनके लिए और बहुत सारे विकास के काम करने के लिए सरकार ने पैसा खर्च करना है। हरियाणा के 6 हजार गांवौं में से तकरीबन 5 हजार गांवों में पीने का पानी का उचित इंतजाम नहीं है, इन कामों के लिए रूपया रखेंगे और सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस में ले आयेंगे। मुझे उम्मीद थी कि सप्लीमैंटरी एस्टीमेंटस में रूपया रखेंगे। बजट सैशन में इसलिए नहीं ला सके क्योंकि कुछ असैम्बलीज के इलैक्शन होने वाले थे और ये कांग्रेस (आई) में चले गये थे। खैर, मैं दलबदलुओं वाली बात पर नहीं जाऊंगा। (व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): इन्होंने 1968 में दल बदला था। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि मुझे उम्मीद थीकि बजट सैशन मैं जो कमी रह गई थी उसको सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस के जरिए पूरा कर देंगे। यह मेरा ख्याल था। बजट में 46 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया था, अगर उसमें यह रूपया भी शामिल कर लिया जाता तो कुछ मिलाकर 50–60 करोड़ रूपये का हो जाता और हरियाणा की समस्याओं

को हल करने में ज्यादा मदद मिलती। अगर ये इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते तो यह घाटा 46 करोड़ की बजाये। 50–60 करोड़ होता और इसको पूरा करने के लिए टैक्स लगाने पड़ते और इन टैक्सों का असर चुनाव पर पड़ता। अब चूकि चुनाव हो गये हैं इसलिए सप्लीमैंटरी एएटीमेटस में लाने चाहिएं थे। इत्तफाक से ये इन चुनाव में जीत भी गये हैं। अब इनकी हकूमत है, और मुझे उम्मीद थी कि ये हरियाणा की समस्याओं को हल करने की हिम्मत करेंगे। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, चौ. सुरेन्द्र सिंह से रिक्वैस्ट करूंगा कि ये मेरी बात को ध्यान से सुने। कांग्रेस पार्टी का जो इलैक्शन मैनिफैस्टो है, मैं नहीं समझता कि इन्होंने इसको पढ़ा भी है या नहीं, लेकिन मैंने कांग्रेस मैनिफैस्टो को पढ़ा है और लोक दल को मैनिफैस्टो तो एहतियात से पढ़ा है।

श्री जगत नाथ: आन ए प्वायंट आफर आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक मामूल सी चीज इनसे पूछना चाहता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाईए, इनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री जगननाथ: एक मिनट के लिए जरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

Mr. Speaker: There is no need of any proposal explanation. Please do not interrupt. (Interruptions.)

श्री जगन नाथ: इनके लोक दल का निशान तो फ्रीज हो रहा है, ये कांग्रेस मैनिफैस्टों को कया पढ़ेंगे? (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: मैं इनसे कह रहा था कि हरियाणा की बर्निंग प्रौब्लम्ज को हर करने की तजवीज रखें लेकिन मुझे अफसोस है कि फाइनैंस मिनिस्टर ने हरियाणा की किसी भी समस्या को हल करने की कोशिश नहीं की है। न पिछले बजट में सिकी समस्या का हल किया और न उसके बाद। उस वक्त मैंने इनके मैनिफैस्टो पर सिर्फ पासिंग रिमार्कस दिये थे। कांग्रेस ने जो कुछ मैनिफैस्टों में लिखा है उसका हवाला देना चाहता हूं। पेज 22 पर लिखा है–

"Congress proposes that atleast one adult member per family is employed at socially acceptable wage level within the time bound programme. Costitutionally the scheme for un-employed will be sorted out."

मैं फाइनैंस मिनिस्टर सहाब से पूछना चाहता हूं कि मार्च में जो बजट पास किया था उस में अन–ऐम्पलामैंट पर कितना ध्यान दिया है? हरियाणा की आबादी 1 करोड़ 10 लाख है। 1 करोड़ 10 लाख की आबादी में मैं समझता हूं कि तकरीबन 20 लाख परिवार होंगे। 8–10 लाख परिवार ऐसे हैं जो पावर्टी लाईन से बहुत नीचे हैं। (विघ्न) इस मैनिफैस्टो के मुताबिक 20 लाख परिवारों को रोजगार देने का इन्तजाम आपको करना होगा।

कल ही मिनिस्टर साहब ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि हरियाणा में 30–40 फीसदी के बीच में लोग पावर्टी लाईन से नीचे हैं जो 60 रूपये महीना कमाते हैं। 1 करोड़ 10 लाख में से 30–40 परसैंट लोग गरीब है, इसके लिए मार्च के बजट के बाद क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह: आप गलत जगह बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन: अगर कांग्रेस अपने किये गये वायदों को इम्पलीमैंट करने की नीयत रखती तो मैं कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं छोड़ता। छोड़ी इसलिए है कि ये वायदे करते हैं, अमीरों से पैसे लेते हैं, इलैक्शन के लिए लाखों रूपये का फंड इकट्ठा करते हैं और गरीबों से वोट लेते है और काम अमीरों का करते हैं। हमारा कसूर तो सिर्फ इतना ही है कि हम गरीबों को अपना प्रोग्राम नहीं समझा सके।

श्री सुरेन्द्र सिंह: आप तो गरीबों को वोट देने भी नहीं देते। (व्यवधान)

11.00 बजे

श्री मूल चन्द जैन: तो मैं एक और बात इन्हीं के इलैक्शैन मैनिफैस्टो की पढ़ता हूं। सफा 14 पर लिखा हुआ है कि "The Congress will strengthen the process of democratic decentralisation."

चौ. रिजक राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, यह सप्लीमैंटरी डिमांडज पर डिसकशन है। इसीलिए एजेन्डे पर जो जो डिमांडज रखी गई हैं उन पर ही डिसकशन होनी चाहिए। इनमें न तो अन–ऐम्पलायमैंट और न ही इलैक्शन के बारे में कोई डिमांडज है। अतः आप माननीय सदस्य से कहें कि वे रैलेवैन्ट डिमांडज के बारे में ही यहां बालें।

श्री उपाध्यक्ष: चौ. साहब, यही निवेदन मैं बाबू जी से करने जा रहा था।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि ये हरियाणा की समस्याओं के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। हम तो इनकी हैल्प कर रहे हैं। ये कहें कि जो बातें मैं कह रहा हूं वे समस्यायें हरियाणा में नहीं हैं। कोई कह सकता है कि हरियाणा में बेरोजगारी नहीं है? यह सप्लीमैंटरी बजट की बहस है। आप हमारे सामने सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस लाए हैं। पैने दो करोड़ रूपया हमारे से लेना चाहते हैं लेकिन हरियाणा की समस्याओं के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। आप मुझे बताएं कि वह कौन सा मौका है जब हम इस प्रकार की समस्याएं सरकार के सामने रख सकते हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, जब इंडिविजुअल डिमांडज पर डिसकशन होगी और मैं डिमांडज से बाहर बात करूंगा तब आप मुझे कहना। अब तो सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस के ऊपर जनरल डिसकशन हो रहा है क्योंकि हमसें पहली आईटम है "Discussion on the Estimates of the

expenditure charged on the revenues of the State." इसमें भी मैं ज्यादा समय नहीं लेता। तीन चार बर्निंग प्रौबलम्ज की तरफ ही सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि ये हल तो उनका क्या करेंगे, सुनने की भी शक्ति इनमें नहीं है। (विरोधी पक्ष की ओर से शेम शेम की आवाजें) ट्रेजरी बैंचिज हरियाणा की बर्निंग प्रौबलम्ज को सुनना भी नहीं चाहते मुझे यह देख कर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। (विघ्न) शायद ये अपने मन में सोचने होंगे कि हमने तो अपना इलैक्शन मैनिफैस्टो पढ़ा नहीं लेकिन ये उसकी ओर हमारा ध्यान दिला रहे हैं।

श्री जगन नाथ: उपाध्यक्ष महोदय, बार बार बाबू जी इलैक्शन मैनिफैस्टो की बात करते हैं लेकिन इनके बारे में हाउस को एक बात बताना चाहता हूं। मैं कोठी न. 324 में रहता हूं और ये कोठी न. 325 में रहते हैं। आप जानते हैं कि इलैक्शन कमीशन ने लोक दल का निशान फ्रीज कर दिया है लेकिन इन्होंने अब तक उस निशान को टांग रखा है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, इनको हरियाणा की समस्याएं कहां से याद रहेगी जबकि इनको अपनी कोठी का न. भी याद नहीं है। जगन नाथ जी को याद होना चाहिए कि 325 न. कोठी में वे रहते है। और 326 न. कोठी मैं बाबू मूल चन्द जैन जी रहते हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आर्डर प्लीज। बाबू जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इलैक्शन मैनिफैस्टो पर न जाकर डिमांडज के ऊपर आ जाएं क्योंकि समय बहुत थोड़ा है।

श्री मूल चन्द जैनः मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप मुझे कितना टाईम और देना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्षः आपका टाईम हो गया है।

श्री मूल चन्द जैनः उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत दफा कहा गया है कि किसी सदस्य के बोलते समय में जो इंट्रप्शन्ज होती हैं वे उसके समय में शामिल नहीं होगी।

उपाध्यक्षः उसके बावजूद भी आपका टाईम हो गयाहै यह तो आप डिमांडज पर बोलैं या फिर बैठ जाएं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा एक प्वायंट आफर आर्डर हैं। बाबू मूल चन्द जैन जी को कांग्रेस (आई) का मैनिफैस्टो इसलिए याद है क्योंकि इनके विचार कांग्रेसी है। (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order.

श्री मूल चन्द जैनः उपाध्यक्ष महोदय, कितनी हैरानी की बात है कि इनको आप इलैक्शन मैनिफैस्टों भी बुरा लग रहा है। क्योंकि उस इलैक्शन मैनिफैस्टों पर ये चुन कर नहीं आए हैं इसलिए कुदरती बात है कि वह इनको पसन्द न हो। (विघ्न)

पिछले बजट सैशन में जब मैंने पंचायती राज के बारे में एक रैजोल्यूशन पेश किया था तो डिसैंट्रेलाइजेशन आफ पावर्ज के बारे में हाउस में अश्योरैन्स दी गई थी कि अगले सैशन तक कानून ले आएंगे लेकिन कोई बिल इस प्रकार का एजैंडे में नहीं आया है। आज भी पंचायत समितियों सरकार के कन्ट्रोल में हैं। कोई भी पंचायत समिति प्रौपली। फंक्शन नहीं कर रही है। बी.डी.औज. उनके इंचार्ज हैं। इस तरह से जितनी डिसैन्ट्रेलाइजेशन पहले थी उसको भी इन्होंने हड़प यिका हुआ है और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि डिसैन्ट्रेलाइजेशन करें।

डिप्टी स्पीकर साहब, सीमेंट के बारे में यहां बड़ा जिक्र आया। इस हाउस में फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर ने कहा कि हम क्या करें सीमेंट ऊपर से नहीं मिलता। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऊपर से नहीं मिलता तो दादरी की सीमेंट फैक्टरी जो डेढ़ दो वर्श से बन्द सी पड़ी उसे क्यों टेक ओवर नहीं करते जबकि सेन्टर स्वयं बहुत सी सिक मिल्ज को टेक ओवर कर रहा है। उस फैक्टरी की दो लाख टन के करीब सालाना पैदावार थी। अगर वह उत्पादन में आ जाए तो हरियाणा में सीमेंट की कमी कैसे रह सकती है? (विघ्न) अगर मेरी सरकार ने चोरी की तो क्या आपकी सरकार भी चोरी करेंगी? अगर मेरी सरकार ने कोई काम नहीं किया जैसा कि आप कह रहे हैं हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता तो क्या आपकी सरकार भी कोई काम नहीं करेगी और मेरी सरकार के काम न करने की पैरवी ही करती

रहेगी। आपकी सरकार को तो यह कहना चाहिए कि आपकी सरकार ने फलां काम नहीं किया था जिसे हमारी सरकार ने करके दिखा दिया है। मार्च या अप्रैल सन् 1979 में वह फैक्टरी बन्द हुई थी और आज करीब 16 महीने हो गए हैं लेकिन आपकी सरकार ने उस बारे में आज तक कुछ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: बाबू जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि दादरी की सीमेंट फैक्टरी कौन सी डिमांड में है? ऐसा लगता है कि आप पढ़ कर नहीं आए हैं।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, आप कम से कम मुझे इतना क्रैडिट तो दें कि मैं पढ़ कर आता हूं और मैं होम वर्क भी करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डिमांड न. 1 हरियाणा विधान सभा के बारे में हैं, डिमांड न. 13 सोशल वैल्फैयर एंड रीहैब्लीटेशन के बारे में है, डिमांड न. 17 एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में है, डिमांड न. 22 कोआप्रेशन के बारे में है और डिमांड न. 25 लोन्ज एंड ऐडवांसिज वाई स्टेट गवर्नमैंट से सम्बन्धित है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, ये डिमांड न. 22 पर बोल रहे रहे है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय जब आए तो आप बोल लेना। बाबू जी, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप डिमांडज पर ही बोलिए।

श्री मूल चन्द जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, प्वायंट तो यह है कि यह सरकार हमारे खजाने को सक्वैन्डर कर रही है। दो करोड़ रूपये की रियायत इन्होंने उन करोड़पतियों को दी है जिन्होंने अपने औफिसिज हरियाणा से बाहर रखे हुए हैं और जिन पर हमने टैक्स लगाया हुआ था। इनको यह मानना पड़ा था कि केवल 52 लाख रूपये की आमदनी इनकी तीन महीने में हुई है जबकि दो करोड़ से ज्यादा रूपया इन्होंने बिजली की डयूटभ कम कर के उन्हें माफ कर दिया। ये करोड़ो रूपये का सक्वैन्डर कर रहे हैं। आज हमारे प्रान्त में, हस्पतालों में दवाईयों का प्रबन्ध नहीं है। आज हमारे बच्चे ग्रामीण स्कूलों में जाते हैं तो साथ में एक टाअ भी लेकर जाते हैं। हम सभी को शर्म आनी चाहिए कि देहातों में बच्चे जब स्कूल में जाते है। तो अपने बस्ते के साथ ही साथ एक बोरी भी ले कर जाते हैं। यह हालत आज गांवों के बच्चों की है। जब लोग हस्पताल में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि दवाई मोल लेकर आओ। हरियाणा में कितने ही ऐसे हजारों गांव हैं जहां पर पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। कल लाल सिंह जी कह रहे थे कि जहां पर पानी की कमी है तो मुझे बता दें, मैं प्रबन्ध कर दूंगा। लाल सिंह जी अपने हल्के में तो प्रबन्ध करा नहीं सकें और सारे हरियाणा के गांवों में प्रबन्ध करने के लिए कहते हैं। क्या सरकार अन्धी है कि उसे यही मालूम न हो कि कितने गांवों में पीने का पानी नहीं है? आज मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब हरियाणा में बिजली की शार्टेज थी तो करोड़पतियों ने, कारखाने वालों ने अपने जनरेटर लगा कर

बिजली पैदा की और उस जनरेटर से उनको बिजली बोर्ड की बिजली से ज्यादा मंगगी बिजली मिली लेकिन आप लोग उनकी डयूटी को कम कर रहे हैं जिससे सरकार को दो–अढ़ाई करोड़ रूपये का घाटा पड़ है। इनको रियायत देने की क्या आवश्यकता थी? जब उनको जनरेटर से दुगुनी तीगुनी बिजली मंगगी पड़ती है तो भी आप उन लोगों की डयूटी क्यों कम कर रहे हैं? यह आपने गलत किया है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो उन समस्याओं का हल नहीं कर सकते हैं जिनका कुछ वर्णन मैंने अभी किया है। हरियाणा की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अभी कुछ ही दिनों में इलैक्शन आने वाले है। शायद जुलाई के महीने में ही अनाउन्स हो जायेंगे। मैं आपकी हमदर्दी के तौर पर कहा रहा हूं क्योंकि मैं भी पुराना कांग्रेसी हूं। आज इस रूलिंग पार्टी में बैठे हुए लोगों के अन्दर कांग्रेंस का कितना खून है यह सब जानते हैं। हमने अपने खून से कांग्रेस को सींचा था इन लोगों मैं तो बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने कांग्रेस के लिये कुछ किया है। मुझे कांग्रेस से हमर्दी हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को मरने नहीं देना चाहता हूं ताकि दो पार्टी सिस्टम चलता रहे। लेकिन नए कांग्रेसियों, आपकी करतूत इस कांग्रेस को मारेगी। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूं कि हरियाणा की समस्याओं के विशय में इनको विचार करना चाहिए खान अब्बदुल गफ्फार खाँ, जोकि एक ऋशि से समान हैं, मैं तो उनको ऋशि ही मानता हूं, उनका यह कहना है कि हिन्दुस्तान के नेता भूल–भलैया में हैं। हिन्दुस्तान आतिशफसां पहाड़ के दाहने पर खड़ा है। अगर हिन्दुस्तान के

आतिशफसां पहाड़ से लावा निकल गया तो सबको हड़प कर जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह (तोशाम): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि विरोधी दल के नेता बाबू मूल चन्द जैन जी ने कांग्रेस पार्टी की तारीफ की है। (शोर) बाबू मूल चन्द जैन जी ने एक बात लास्ट में कही। (कई सदस्यों की ओर से विघ्न) आप लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिये आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। जब आपके लीडर ही कांग्रेसी होने का दावा करते हैं और अपने को कांग्रेसी मानते हैं – (शोर)

डिप्टी स्पीकर साहब, बाबू मूल चन्द जैन जी ने यहां हाउस में कांग्रेस पार्टी के मैनिफैस्टो की बात की कि उसमें लिखा था कि हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिलेगा। बाबू मूल चन्द जी को याद होगा, शायद उस वक्त वे मन्त्री नहीं ि लेकिन चौ. देवी लाल जी उस समय लीडर आफ दि हाऊस थे, उन्होंने यहां कहा था कि हरियाणा से तमाम अन–एम्पलायमेंट को खत्म कर देंगे यानी अन–एम्पलायमेंट की समस्या को हल कर देंगे। आज बाबू जी अपने सीने पर हाथ रखकर बता दें कि चौ. देवी लाल के राज्य में कितनी अन–एम्पलायमेंट बढ़ी है, उनके टाईम में घटी नहीं थी बल्कि बढ़ी थी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य डिमांड पर ही बोलें।

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं तो पहले ही डिमांड पर बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय दादरी सीमेंट फैक्टरी की बात बाबू मूल चन्द जैन जी ने की। मुझे इस बात का खेद है कि जब वे खुद वजीर थे और वित्त विभाग उनके पास था तो उन्होंने दादरी फैक्टरी को ताला लगवा दिया। उस टाईम पर दादरी फैक्टरी को ताला लगवाने की क्या जरूरत थी? अगर लेबरर्ज को पैसे देने थे तो सरकार उनको देकर उस फैक्टरी को अपने कन्ट्रोल में ले सकती थी। दादरी फैक्टरी को कन्द करने की क्या आवश्यकता थी? वहां से दो लाख टन से भी ज्यादा सीमेंट पैदा हो सकती थी लेकिन आपने उसको ताला लगवा दिया।

एक सदस्य: आप किस डिमांड पर बोल रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं काआप्रेशन की डिमांड नम्बर 22 पर बोलना चाहता हूं। मुझे यह बात कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि हरियाणा प्रान्त में सहकारी विभाग में सबसे ज्यादा धांधले बाजी है। इतनी किसी भी महकमें में नहीं है। आज चाहे कहीं पर शूगर मिल के इलैक्शन हों या कोई इलैक्शन हों अगर सरकार की पसन्द का आदमी नहीं है तो उस इलैक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाता है। हरियाणा के अन्दर कोई ऐसा बैंक या कोआप्रेटिव सैक्टर नहीं है जहां पर गवर्नमैंट के अपने छः सात वोट न हों। सरकार जिसको जितवाना चाहती है जितवा देती है। इलैक्टिड तरीके से कोई नहीं आता है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को बार बार याद दिलाया है कि ऐसे ऐसे गांव हैं जहां लाखों

रूपया सरपंय और महकमैं के लोगों ने गबन किया है। हमने उनके बारे में चिट्ठी लिखी है और डी.सी. साहब ने ग्रिवैन्सिज कमेटी में माना है कि यह गलत काम हो रहा है। जब वहां डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछा गया कि आपेन उन लोगों के खिलाफ केस क्यों नहीं रजिस्टर किया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं रजिस्टर किया? मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि चौ. भजन लाल जी चाहते हैं कि लोगौं को न्याय मिले लेकिन सरकार के लोग भी यह कहते है कि फलां आदमी ने पैसा खाया है परन्तु फिर भी सरकार उनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं करती है। अगर ऐसे आदमी के खिलाफ केस रजिस्टर हो जायें तो इस किस्म की फिर धांधलेबाजी न हो। आज भी और पहले भी सन् 1966 से 1975 तक जो अप्वायंटमेंटस होती रही हैं उनमें से भी बहुत से लोग बेरोजगार हो गये हैं। जो लोग सन् 1976 में लगे थे उनको भी आज निकाल दिया गया है। आज जो भी अप्वायंटमैंट हो रही है वे बिल्कुल कायदे कानून से नहीं की जा रही है। इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रानत में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का ही मैनिफैस्टो है। मैनिफैस्टो के बारे मैं बाबू मूल चन्द जैन ने एक बात कही कि कांग्रेस के लोगौं ने अपने मैनिफैस्टो को पढ़ने की भी कोशिश नहीं की। आज अगर मैं यह कहूं कि लोकदल का जो मैनिफैस्टो है वह तो चुनाव के बाद

में ही बना था। लोकसभा के चुनाव के बाद वह डिस्ट्रिब्यूट लोगों में किया गया था।

श्री मूल चन्द जैन: यह बात गलत है। मैनिफैस्टो की हजारों कापियां मैंने चुनाव के दौरान बंटवायी है। मैंने खुद करनाल में प्रिंट करवा कर बंटवायी हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: जब ये देहात में जाते हैं तो अलग नारा देते हैं और शहर में जाते हैं तो अलग नारा देते हैं। इनके लीडर जो बाबू मूल चन्द जी हैं, वे लोग उनको अपना लीडर भी नहीं मानते। (शोर)

चौ. उदय सिंह दलाल: हम तो सारे के सारे जैन साहब को अपना लीडर मानते है। (शोर) डिप्टी स्पीकर साहब इनको यह बात कहने का अधिकार नहीं है। हम लोग जैन साहब को अपना लीडर मानते हैं। (शोर)

डा. मंगल सैन: क्या आप मुख्यमंत्री चौ. भजन लाल को अपना लीडर मानते है? (शोर)

चौ. उदय सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर सहाब, आप इससे पूछिए तो सही है कि क्या ये सी.एम. साहब को अपना लीडर मानते हैं? (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप हाऊस का समय खराब न करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह: हम चीफ मिनिस्टर सहाब को अपनी पार्टी का लीडर मानते हैं। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष: मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि शोर न करें।

डा. मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, इस समय सदन में .....(शोर)

Ch. Sant Kanwar: On a point of order, Sir.

Mr. Deputy Speaker: You have already taken maximum time of the House. Please sit down. (Interruptions).

डा. मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, इस समय हाउस के अन्दर वर्श 1980–81 की अनुपूरक मांगों के बारे में विचार चल रहा है। भाई जगन नाथ जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, अगर आप इनको लगाम दें तो अच्छी बात है वरना मुझे पट्टा बांधना पड़ेगा। (शोर) डिप्टी स्पीकर साहब, इनकी जुबान बहुत लम्बी–चौड़ी है। इनको अपनी जुबान पर काबू करना चाहिए। (शोर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में यह संकल्प किया है कि हम सदन की गरिमा को गिरने नहीं देंगे। उपध्यक्ष महोदय, आज अच्छा अवसर देख करके सी.एम. साहब पौने दो करोड़ रूपये की अनुपूरक मांगे हमसे स्पीकार कराना चाहते हैं लेकिन इस तरह से सदन के सामने कई तरह के तकनीकी मामले उठ खड़े होते हैं। ये परिक्रमा की परिधि

से बाहर जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, कई बार कुछ बातें कहनी तो नहीं चाहिएं, लेकिन कहनी ही पड़ती हैं आखिर छः महीने के बाद विधायक यहां पर सदन में आये हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा मंच नहीं है जहां पर इस प्रकार की बातें कही जायें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हरियाणा हरिजन कल्याण निगम के लिये जो ये 2 लाख 35 हजार रूपये मांगे गये हैं जिसका उल्लेख पृश्ठ 6 पर हैं। मैं आपकी सुविधा के लिये बता देता हूं कि हरियाणा हरिजन कल्याण निगम इस समुदाय को सामाजिक और आर्थिक तौर पर विकास करने का एक अच्छा माध्यम है, इसको स्वालम्बी बनाने के लिये इसको इकोनोमिकली मजबूत बनाने के लिये यह एक अच्छा माध्यम है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौ. राम किशन, पदासीन हुए।)

चेयरमैन साहब, सरकार दावा करती है, चीफ मिनिस्टर साहब स्वयं दावा करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर किसी भी हरिजन के साथ जुल्म नहीं हुआ। वैसे तो सदन के अन्दर और भी बहुत सारे भाई बैठे हैं लेकिन इन भाइयों में मेरे एक मित्र श्री गया लाल जी भी बैठे है। भारत में उन्होंने हरियाणा का नाम बहुत रोशन किया है। (हंसी) जब एक हरिजन आदमी मारा गया तो कुछ लोग फरियाद थाने के अन्दर करने गए। वहां पर पुलिस ने दो आदमियों को पकड़ करके रख लिया। (शेम शेम की

आवाजें) चेयरमैन साहब, आप देख रहे हैं कि ये सीमा का उल्घंन कर रहे हैं, हम सीमा का उल्लघंन नहीं करने देंगे। (शोर)

श्री सभापतिः डा. साहब, आप डिमांड पर बोलिए।

डा. मंगल सैनः चेयरमैन साहब, मैं डिमांड पर ही बोल रहा हूं। यदि आप इजाजत दे तो मैं आपको पैराग्राफ भी बता देता हूं। मैं तो बड़ा रैलेवैन्ट रहता हूं। (शोर)

श्री सभापतिः आप डिमांड पर ही बालें।

डा. मंगल सैनः चेयरमैन साहब, हाउस में डिमांड पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने अपने दिन के बुलबुले निकालने चाहे। चेयरमैन सा, वे कहना भी चाहते थे, और छुपना भी चाहते थे। बात कही जाये तो मरदानगी से कही जाये वरना बात कही ही न जाये। (शोर) इन्होने कहा है कि हम आवश्यक वस्तुओं का अभाव दूर करेंगे। इसीलिये ये कह रहे हैं कि हमें 2 लाख 75 हजार रूपया ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये चाहिए ताकि हम आवश्यक वस्तुओं के अभाव को दूर कर सकें। आज इन्होंने इस बात को माना है। आज ही हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री महोदय ने भी वक्तव्य दिया है और आधा घंटा की चर्चा भी इस पर होने वाली है। चेयरमैन साहब, जब से हमारे कुछ मित्र दल बदल करके गए हैं तब से राज्य में आवश्यक वस्तुओं का बहुत अभाव है। (शोर)

श्री जगन नाथ: आपके सिर के बल भी तो दल बदल के कारण ही सफेद हुए हैं। (शोर)

डा. मंगल सैन: चेयरमैन साहब, ये हाउस में डैमोरम नहीं रख रहे हैं। (शोर) क्या आप इन पर कन्ट्रोल नहीं रख सकते?

श्री लछमन सिंह: आन ए प्वायंट आफर आर्डर सर। चेयरमैन साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरू में कहा था कि उन्हें कोई एतराज नहीं है यदि चौ. गंगा रमा जी को हाउस में बुला लिया जाये। चौ. गंगा राम जी बाहर बैठे हैं। अगर आप इजाजत दें तो उनको अन्दर बुला लेता हूं।

श्री सभापति: ठीक है, आप उन्हें हाउस में बुला सकते हैं।

डा. मंगल सैन: चेयरमैन साहब, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा प्रान्त के अन्दर आवश्यक वस्तुओं का निरन्तर अभाव बढ़ता जा रहा है। चेयरमैन साहब, इतना भंयकर अभाव है कि सीमेंट मिलता नहीं है, दूसरी वस्तुएं मिल नहीं पा रही है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, जो ये बातें कहते हैं हमें इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल प्रत्येक चीजों का अभाव है। अध्यक्ष महोदय, एक पूरा परिवार था, वह एक दरिया को पर करने जा रहा था उस परिवार में पति पत्नी और 4 उनके बेटे थे। उसने

हिसाब लगाया कि किस प्रकार से दरिया को पर करना चाहिए। अध्यख महोदय, उस परिवार के मुखिया ने, पति–पत्नी ने हिसार लगाया कि दरिया में कहीं पर 12 फुट पानी है, कहीं पर 8 फुट पानी है और कहीं पर एक फुट पानी है। आखिर में उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और 5 फुट पानी में से गुजरने लगे और जब उस परिवार का मुखिया 5 फुट पानी में से अपने परिवार को लेकर चलने लगा तो उसका आधा कुनबा तो पर हो गया और आधा कुनबा बीच में ही रह गया। तब उस परिवार के मुखिया ने अपने सिर पर, माथे पर हाथ रखकर सोचा यह क्या हो गया? उसने महसूस किया कि ऐसा बीच का रास्ता क्यों नहीं चुना जिससे सारा कुनबा पार हो जाता।

स्पीकर साहब, जब आज इनसे सीमेंट के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने पूरा जोर लगाया हुआ है, पूरी निगरानी रखी हुई है और नीचे ही नीचे ये कह रहे हैं कि बेटा ब्लैक किए जाओ और मौज करे जाओ। स्पीकर साहब, इस सदन में बैठते हुए मुझे लज्जा आती है। रूलिंग पार्टी के मैम्बर सदन के अन्दर जब मिनिस्टर पर ऐलीगेशन लगाते हैं तो हमारा सिर और भी शर्म से झुक जाता है। इस प्रकार के ऐलीगेन्शज का जवाब देने की हिम्मत न तो चीफ मिनिस्टर साहब की है और न ही इनके किसी मंत्री की है। मुझे बड़ा अफसोस है कि इनकी रगों में शायद कोई मान ही नहीं रहा, खून ही नहीं रहा। इस प्रकार के ऐलीगेशन्ज लगने के बाद या तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर इन आरोपों का

प्रतिवाद करना चाहिए। (शोर) स्पीकर साहब, ये ठीक नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे हैं। ये पूंजीपतियों को श्रय देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सीमेंट की बहुत किल्लत है। यहां मेरे भाई श्री जगन नाथ जी बहुत उछल रहे हैं, ये आपे से बाहर हो रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो कह रहे हैं कि इस प्रदेश में बसों का 20 प्रतिशत किराया और बढ़ा देंगे, यह कहते हुए इनको लज्जा आनी चाहिए। ये एक हरिजन परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। (विघ्न) आप हमेशा गरीब की लड़ाई लड़ते रहे हो। हमारे पुराने साथी हैं। जबान बेशक चलाते हो लेकिन आप में गुण हैं, यह बात भी हम जानते हैं। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि जरा आप अपना चेहरा आइने में तो देखो। आपने पहले अपनी ही नहीं सबकी जमानत जब्त करवायी थी लेकिन अब आप तोशाम से कामयाब हो गये। आज आप कहां पर जाकर बैठे हो। * * * * स्पीकर साहब, यह जो आवश्यक वस्तुओं का वितरण हो रहा है यह बड़ा दोशपूर्ण है।

श्री शमशेर सिंह: स्पीकर साहब, जो इन्होंने रिवासा कांड के बारे में कहा है, यह ऐक्सपंज होना चाहिए। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप किसी डिमांड पर बोल रहे हो?

डा. मंगल सैन: मैं डिमांड नम्बर 22 पर बोल रहा हूं।

Mr. Speaker: Kindly stick to the Demand.

Dr. Mangal Sein: I am sticking religiously to the Demand.

सिंचाई तथा बिजली उपमंत्री (श्री देवेन्द्र शर्मा): आन ए प्वायंट आफर आर्डर सर। यहां पर जो * * * * * की बात की गयी है, उसका इस डिमांड से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस बात को ऐक्सपंज करना चाहिए। (शोर व व्यवधान)

आवाजें: उस पर काफी पैसा खर्च हुआ है। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खर्चा तो कोई भी इन्कवायरी हो, उस पर लगता ही है। उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की जाये या न की जाए, उसको इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। It should be expunged.

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब कमीशन ने उनको गिलटी करार दिया था। कोर्ट में केस चल रहा था। गवर्नमैंट ने अपन वह केस विदड्रा कर लिया है। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गवर्नमैंट ने केस को एग्जामिन करके ही कार्यवाही की होगी and, I think the matter is still in the court.

Dr. Mangal Sein: No. Sir, the court case has been withdrawn.

Mr. Speaker: I would request you not to refer to a subject which has no relevance with the matter in hand.

Dr. Mangal Sein: I an relevant, Sir.

श्री अध्यक्ष: आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

डा. मंगल सैन: मैं अब डिमांड न. 22 पर बोल रहा था।

श्री अध्यक्ष: डिमांड न. 22 कोआप्रेशन की डिमांड है, इसका रिवासा कांड से क्या सम्बन्ध है?

डा. मंगल सैन: ऐसे हुआ जी कि जगन नाथ जी ने कोई बात यहां पर फरमा दी जिसके जवाब में मुझे यह कहना पड़ा। (शोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: Kindly restrict your speech to the Demand.

Dr. Mangal Sein: I will confine myself to the Demand, Sir.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, आपने जो * * * * के मुताल्लिक ऐक्सपंज करने के आदेश दिये हैं, मैं उस सम्बन्ध में रूल 116 पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। रूल 116 इस प्रकार है:—

"(1) If the Speaker is of opionion that a word or words has or have been used in dabate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undiginifed, he may, in his discretion, order that such word or words be expugned form the proceedings of the Assembly."

Mr. Speaker: I also rule that if anything is spoken inelevant on the subject, I will expunge it.

डा. मंगल सैन: मैं अब डिमांड न. 13 पर अर्ज कर रहा हूं। यह मोशन वैल्फेयर एंड रिहैबलीटेशन के बारे में है। इसके तहत रैड–क्रौस का डिपार्टमैंट भी आता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमैंट दी थी कि करनाल का डिप्टी कमिश्नर उन्होंने इसलिये बदल दिया क्योंकि यह मेले लगवाता था। रोहतक में भी ऐसा मेला लगता था। वहां पर भी जुआ चलता था। मुख्यमंत्री महोदय ने वहां से भी शिकायत आने पर उसे बन्द करवा दिया। वहां के डिप्टी कमिश्नर ने बहादुरगढ़ में मेला लगवाया और बन्द पर 50000 रूपया रोज हरियाणा के लोगों से लुटता रहा। (शोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: Dr. Sahib, I humbly differ with you. I something is for a good cause, it could be allowed.

Dr. Mangal Sein: Sir, gambling is gambling, may be in any form. वहां पर नंगे डांस भी होते हैं।

Mr. Speaker: What is the object of the Red Cross fair? जो उसकी प्रोसीडिंग्ज हों, वह रैडक्रौस को जायें।

Dr. Mangal Sein: It is a camouflage under the banner of Red Cross Mela. It is a den of gambling and bad characters also. जहां पर नंगी औरतों का डांस होता हो वहां पर .....(शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जहां तक मुझे नौलेज है, रैडक्रास के मेले का आब्लैक्ट है रैडक्रास के लिये फन्डज इक्ट्ठे करना। मगर वहां

पर कोई गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए। Only the games skill should be allowed there. अगर वहां पर कोई गैम्बलिंग होती है तो वह अनअथोराइज्ड है। वह तो एक किस्म की चोरी है। उस चोरी को रोकने के लिये गवर्नमैंट को पूरी कार्यवाही करनी चाहिए।

डा. मंगल सैन: स्पीकर सहाब, जब मैंने मेले में पूछा तो वहां मुझे यह बताया गया कि यह पोलिटीकल आदमियों की शह पर हो रहा है। (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पोलिटीकल आदमियों की शह वाली बात अब शुरू हुई है या पुरानी प्रथा ही चली आ रही है?

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमारी सरकार में तो ऐसी कोई प्रथा नहीं थी लेकिन यह तो नई कायम हो रही है। (शोर व व्यवधान) मैं अब डिमांड न. 25 पर आता हूं। इन्होंने इसमें यह कहा है कि हम कुछ डिवैल्पमैंट के काम करेंगे। मकान बनाने के लिये कर्जा देंगे। मकान बनाने के लिये कर्जा देना एक बहुत ही अच्छा काम है। स्पीकर साहब, इस डिमांड में इस काम के लिये बहुत थोड़ी सी रकम मांगी गयी है। यह ज्यादा होनी चाहिए। आज हालत यह है कि दो कमरों को मकान 500 रूपये पर भी नहीं मिलता। इनके पांच सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र जो कि परिवार नियोजन का था, वह तो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए आबादी बढ़ रही है। लोगों के पास रिहायशी मकान कम हो रहे हैं। गांव में

भी और शहरों में सीमेंट मिलता नहीं है। ब्लैक में जितना चाहें, उतना मिल जाता है .....

Mr. Speaker: Sorry to interrupt you. There is nothing in Demand no. 13, which relates to Red Cross.

Dr. Mangal Sein: Sir, now I am speaking on Demand No. 25 'item No. 1-Loan for Housing Scheme, Low Income Group Housing Scheme Rs. 24 lakhs and Middle Income Group Housing Scheme Rs. 8 lakhs.'

स्पीकर साहब, इसके लिये जो 24 लाख और 8 लाख रूपये रखे गये हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत थोड़े हैं, ज्यादा होने चाहिएं। पानीपत में आजकल थर्मल प्लान्ट लग रहा है। पानीपत की आबादी बढ़ रही है। वहां पर आपको दो कमरे का मकान 500 रूपये में भी नहीं मिल सकता। ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा लोगों को कर्जा मिलेगा और ज्यादा मकान बनेंगे। इस तरह से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के यूनिटस के लिए इन्होंने 2 लाख रूपया एक डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा है इसके लिये इन्होंने 12 लाख रूपया स्टेट में इन यूनिटस को देने के लिये रखा है। एक जिले में हम कितने छोटे यूनिटस को प्रोत्साहन दे पायेंगे? बहुत थोड़ौं को। हम बेकारी को तो दूर नहीं कर पायैंगे क्योंकि हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं हैं। मैं एस.एस.एस. बोर्ड की बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन स्माल स्केल इंडस्ट्रीयल यूनिटस के जरिए आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसके लिये ज्यादा पैसा दिया

जाये। जैसे बाबू मूल चन्द जी ने कहा कि मेवात के लिये जो आपने 50 लाख रूपया रखा है, यह एक अच्छा काम किया है। मैं भी यह कहता हूं कि यह एक अच्छा काम है क्योंकि यह सरकार एक मिक्सड ब्रीड या मिश्रित सरकार है, पहले जनता पार्टी की थी, अब कांग्रेस (आई) की हो गयी है। योजना तो जनता पार्टी ने बनायी हुई थी, अमल अब यह कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। इसके लिये ये बधाई के पात्र हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यह सरकार ला एण्ड आर्डर के बारे मे ंसदन को ऐनलाइटन करे। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज बहुत बुरा हाल है और हमारे लिये तो और भी खराब है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, अब आप वाइंड–आप कीजिए।

डा. मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं वाइड–अप करते हुए भाई सुरेन्द्र जी से कहना चाहता हूं कि वे अपनी यादाश्त को ठीक करें। यह सीमेंट फैक्टरी डेढ साल से बन्द नहीं है वह केवल छः मास से बन्द है।

चौ. देस राज: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डा. साहब अभी कह रहे थे कि ये हमसे जुदा हो कर चले गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी किश्ती में आ गए है?

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, उसमें सीमेंट फैक्टरी को श्री बंसी लाल ने चलाने की बड़ी कोशिश की थी। उस फैक्टरी का कर्ताधर्ता दो करोड़ बीस लाख रूपया बड़ी चतुराई से निगल गया और जब उसके खिलाफ क्रिमीनल प्रोसीडिग्ज शुरू की तो वह अल्ला मियां को प्यारा हो गया।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ज्यादा सख्ती कर दी हो इसलिये वह चल बसा हो। (हंसी)

सरदार सुखदेव सिंह: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। जो कुछ इंडस्ट्रीज में ये करते रहे हैं क्या उसके बारे में भी डा. साहब कुछ बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

डा. मंगल सैन: मैंने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ भी यिका वह सब को पता है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि गरीबों का ध्यान रखें। मैं तो जार्ज फर्नांडीज के पास गया था। मुख्यमंत्री भी साथ गए थे। हमने कहा था कि आप उस फैक्टरी को ले लीजिए। हरियाणा सरकार तो उसको चलाने में असमर्थ थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी तो उस वक्त मजबूरी थी। भाई सुरेन्द्र ने कहा कि उस वक्त पांच घटकों की सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं कि अब तो केवल एक घटक की सरकार है। आप मैडम को जाकर कहें कि उस फैक्टरी पर बीस–पच्चीस हजार लोग

निर्भर करते हैं उनको राहत पहुंचाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहकर समाप्त करता हूं।

सदन के निर्माण का विखंडन–

चौ. गंगा राम एम.एल.ए. के निलम्बन सम्बन्धी

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, कल आपके सामने इस सदन में एक मोशन आई थी कि चौ. गंगा राम को बाकी सैशन के दिनों के लिये सस्पैंड किया जाए लेकिन वह इस समय सदन में बैठे हुए हैं।

चौ. गंगा राम (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहेबान ने और चेयर ने मुझे बताया कि कल हाउस में जो घटना हुई वह अप्रिय थी और क्योंकि मैं भी हाउस का मैम्बर हूं, हाउस की डिगनिटी को मेनटेन करना मेरा बहुत बड़ा फर्ज है और जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपकी इज्जत रखना सारे देश की इज्जत रखना है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सभी कहते है कि वह घटना अप्रिय थी तो मैं भी मान लेता हूं कि वह घटना अप्रिय थी और जब मैंने उसको अप्रिय मान लिया तो .....

श्री अध्यक्ष: अब आप सीधी बात करो। अदालत वाली बात न करो। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि इस हाउस की

डिगनिटी रखना ओर चेयर की डिगनिटी रखना, चाहे कोई भी चेयर पर हो, सब मैम्बर्ज का फर्ज है। अगर हाउस की डिगनिटी के खिलाफ और चेयर की डिगनिटी के खिलाफ आपने कोई काम किया था तो उसके लिये रिग्रैट करना चाहिए और आगे के लिय आश्वासन देना चाहिए कि हाउस की डिगनिटी और स्पीकर की डिगनिटी को कायम रखूंगा।

चौ. गंगा राम: अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं और आगे जो करूंगा उसके लिए मैं एडवान्स में रिग्रेट कर लेता हूं। (शोर)

Mr. Speaker: I would request the hon. Members not to interrupt.

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात कही है, मैं महसूस करता हूं कि आइन्दा ये कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि हाउस की डिगनिटी और चेयर की डिगनिटी को कायम रखने के बारे में जो बात इन्होंने कही है उसको हाउस मान ले।

Ch. Khurshid Ahmed: Sir, I beg to move –

That the decision of the House taken on the 8th July, 1980, in respect of Ch. Ganga Ram, M.L.A., suspending him for the rest of the Session under rule 104 read with rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be rescinded.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the decision of the House taken on the 8th July, 1980, in respect of Ch. Ganga Ram, M.L.A., suspending him for the rest of the Session under rule 104 read with rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be rescinded.

Mr. Speaker: Question is –

That the decision of the House taken on the 8th July, 1980, in respect of Ch. Ganga Ram, M.L.A., suspending him for the rest of the Session under rule 104 read with rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be rescinded.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज कभी गर्मा गर्मी में कोई गल्ती हो जाती है लेकिन मैं अपने दोस्त को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना करेज यिका कि अपनी गलती मानकर अपौलाजी की। अपौलोजी करने से किसी की शान कम नहीं होती बल्कि शान में चार चांद लगते हैं। इन्होंने अपनी गलती मान ली, इसके लिये मुझे खुशी है। अगर हाउस में इस किस्म का ऐटमौसफियर रहा तो मेरे ख्याल में हाउस की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री शमशेर सिंह (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 17 कृशि के बारे में है, पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से कृशि के क्षेत्र में हमारे किसानों की जो कंडीशन थी, वह काफी खराब रही है। ड्राउट की वजह से और दूसरी कई वजूहात से हमारे किसान भाई पिसते रहे हैं। इस बात को देखते हुए और पार्लियामैन्ट के अधिवेशन से पहले खाद और डीजल की जो कीमतें बढ़ी थी, उस चीज को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि जब भी हमारी सरकार कोई सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट लेकर आएगी उसमें किसानों को राहत देने के लिये किसी प्रकार की डिमांड हाउस के सामने अवश्य लेकर आएगी। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि अढ़ाई–तीन साल के अर्से में जब कांग्रेस पार्टी सता में नहीं थी और और जनता पार्टी सतारूढ़ थी तो कांग्रेस पाटी के झण्डे के नीचे हमने बहुत से प्रदर्शन किए । कांग्रेस के कार्यकर्ता श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफतारी के समय जेल में जाते रहे और उस समय हमने जिला अध्यक्षों को डिमांड दी कि किसानों को राहत दी जाए। इमने कहा कि हरियाणा का किसान चाहे गेहूं पैदा करता है, चाहे जीरी पैदा करता है और चाहे दूसरी कोई ओर चीज पैदा करता है उसकी एक क्विटल की कौस्ट आफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा आती है कि किसान को खेती करना किसी भी तरह लाभदायक नहीं है। इसलिये हम उस वक्त डिमांड करते थे कि किसानों को गेहूं की, पैडी की और दूसरी चीजों की कीमत ज्यादा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस का राज्य हरियाणा में है तो हमारा और भी दायित्व बन जाता है कि किसानों को राहत

दी जाए। सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने डीजल और खाद के जो भाव बढ़ाए है, यह हो सकता है कि इन चीजों के इन्टरनैशनल भाव बढ़ जाने से सैन्ट्रल गवर्नमैंट को बढ़ाने पढ़े हों। यह तो सैन्ट्रल गवर्नमैंट की मजबूरी है लेकिन हरियाणा सरकार से हम इस बात की आशा करते हैं कि वह किसानों को उसकी पैदावार पर कुछ राहत दें और खासकर दो आइटम्ज पर हरियाणा सरकार राहत देने का कोई प्रोविजन करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में कृशि मंत्री ने बोलते हुए हाउस में कहा था कि हमने हिसार यूनिवर्सिटी के ऐक्सपटर्स से एग्जामिन करवाया था किसान की एक क्विंटल पर कितनी लागत आती है। कृशि मंत्री ने बताया था कि उन ऐक्सपटर्स की राय है कि एक क्विंटल गेहूं पैदा करने पर किसान को 130.00 रूपया खर्च करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस बार भारत सरकार ने जो वीट की स्पोर्ट प्राईस फिक्स की है वह 117 रूपये क्विटल थी, जिसका मतलब यह है कि किसान को इस वक्त भी 13 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्दम का जोखम उठाना पड़ता था और आज जो डीजल व खाद के भाव बढ़े हैं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि आज किसानों को एक क्विंटल गन्दम पैदा करने के लिये 150 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खर्च करना पड़ता है और एक क्विंटल पैडी पैदा करने के लिये आज किसान को 120,125 रूपये खर्च करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महादेय, सदन के सामने एक प्र न आया था नम्बर 1712 जो कि स्टार्ड क्वै चन था लेकिन समय के अभाव के कारण यहां पर नहीं आ सका। उस सवाल के जवाब में कृशि मंत्री ने लिखित रिप्लाई दिया है। सवाल श्री हरस्वरूप बूरा का था। उन्होने अपने सवाल के पार्ट 'ए' में पूछा था कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी प्रोपोजल है कि जिसके तहत खाद वर्गरह की कीमतों में बढोतरी के कारण किसानों को सरकार किसी प्रकार की सबसिडी देने का विचार रखती है। इसके उत्तर में सरकार की तरफ से यह कहा गया कि 'नही'। दूसरे पार्ट'बी' में सरकार ने अपने जवाब में कहा कि खाद की बढी कीमतों के कारण किसानों को अनुदान स्वीकृत किये जाने से राज्य कोश पर भारी बोझा पडेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बात की प्रार्थना करनाचाहता हूं कि पिंछले डेढ दो साल की इस खु की को देखते हुये आज जबकि बरसात का मौसम भाुरू हो चुका है, मौनसून भारू हुये दो हफते के लगभग हो चुके है, बारि ों भी हो रही है, लेकिन हरियाणा में अब भी अच्छी तरह से कोई बारि ा नहीं हुई हैं, इन हालात को देखते हुये और जैसा कि कृशि मंत्री ने इस हाउस मं बताया कि किसान को एक क्विंटल गेंहूं पैदा करने पर 130 रूपये का खर्चा करनापडता है, हांलाकि खाद और डीजल की कीमतों में लगातार बढोतरी हो रही है, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुये सब बातों का ध्यान रखना चाहिये और किसानों को हर प्रकार की राहत मिलनी चाहिये और जो उनकी रोजमर्रा की चीजें है, म ाीनरी है, बीज है, और दूसरे

कैमीकलज है, उन सब की सप्लाई किसानों को सरकार की तरफ से समय पर ओर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये। इस तरह से किसानों को हर प्रकार की सहायता करके जो उन किसानों के दिलों मे बैचैनी है, उस बैचेनी को दूर किया जाये और कांग्रेस पार्टी ने पिछलें ढाई–तीन सालों के अन्दर जो लोगों को वचन दिये है कि अगर कांग्रेस पार्टी बजूद में आ जाती है तो लोगों की, किसनों की सभी दिक्कतां को देखते हुये उनकी जरूरतों को ठीक समय पर पूरा किया जाएगा उन्हे पूरा किया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूआ अपना स्थान लेता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्षः साहेबान, चौधरी सुरजेवाला जी ने जो–जो सुझाव दिये है, मैं भी उनके साथ सहमत हूं। बडे अच्छे सूझाव है, सरकार को अव य ही इस तरफ ध्यान देना चाहिये। मुमकिन है कि अगर किसी किसान को उसकी पैदावार का सही हक न मिला तो कहीं वह निरा ा होकर गेहूं की बीजाई ही बन्द न कर दे या कम कर दे और उस हालत में दे ा के सामने एक बडी भारी समस्याखडी हो जाएगी। इस वक्त जो किसानों को उनकी उपज का भाव दिया जा रहा है वह भी बडा अन–रैमुनरेटिव है। इस तरफ सरकार को अव य ध्यान देना चाहिये।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय,वर्श 1980–81 के लिये अनुपूरक अनुमानों की पहली कि त सदन में पे ा की गयी हैं इसके माध्यम से 1 करोड़ 16

लाख 36 हजार 745 रूपये की रा ि ा की मांगे सदन के सामने रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, इन डिमांडज के तहत सरकार ने यह लिखा है कि सरकार ने कूछ लोगों की जमीन एक्वायर की थी और बाद में वे लोग हाई कोर्ट में चले गयें, उनकी रिटैं वहां पर एडमिट होगई , सरकार को वहां से हार खानी पडी, जिसके कारण से मुआवजे की भाक्ल में यह रा ि ा उन को देनी पडी। 16 लाख 6 हजार 745 रूपये की रा ि ा मुआवजे के रूप में सरकार को देनी पडी और अब उस रा ि ा की स्वीकृति के लियेयहां पर मांग की गयी है। और यह रा ि ा डिमांड नम्बर 8, 13 और 17 के तहत मांगी गयी है। अध्यक्ष महोदय ये चार्ज्ड आइटमज है, इन पर वोटिग तो हो नहीं सकती लेकिन इन पर बहस तो सदन हमें हो सकती हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हयां हाउस में एक बहुत ही ग्लेयरिगं फीचर पे ा करना चाहती हूं क्योंकि पिछले तीन–चार सालों से ऐसा ही होता आ रहा हैं आप पिछले तीन–चार सालों की मांगों का रिकार्ड उठाकर देख लें हर बार इस तरळ की रा ि ा काी मांग की जाती रही है। अध्यक्ष महोदय, जुडी ि ायरी जब जमीन की कीमतों को फिक्स करती है तो वह आरबीट्रेरीली फिक्स नहीं कर देती, आखिरर किसी नार्म के तहत, किसी रूल के तहत कीमतों को फिक्स किया जाता है, उनका भी कोई क्राइटेरिया होता होगा। उसी प्रकार से ये भी जब जमीनें एक्वायर करते है तो उसी नार्म, तरीके और क्राईटेरिया को क्यों नही आनाते ताकि बाद में इन्हें जमीने की कीमत ज्यादा ब्याज समेत न देनी पडे और न ही कोर्टस में जाकर किसी प्रकार की

हार का मुहं देखना पडें। इससे ऐसा होगा कि सरकार को भी किसी प्रकार की हैरानी नहीं होगी और न ही सरकार को कीमत के साथ–2 ब्याज की भारी रकतम भी अदा करनी पडेगी। इस तरह से 9 हजार रूपये के लगभग कोई ब्याज की रा ि ा सरकार को अदा करनी पडी है। ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों की जमीन एक्वायर की जाती है, वे लोग सन्तुश्ट नहीं होते है और वे सरकार के खिलाफ बाद में हाई कोर्ट मेंचले जाते है अतः मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि वे लोगों की जमीन ऐक्वायर करते समय कोई न कोई ऐसा नार्म अपनाये, तरीका अपनाये, कोई काइटेरिया बनाये जिससे कि लोगों को भी सन्तुश्टि हो और सरकार को भी हाई कोर्ट में जाकर हार का मुहं न देखना पडें। साथ ही सरकार को ऐक्स्ट्रा रा ि ा ब्याज के रूप में भी न देनी पडे। इसलिये इन सभी बातों का पहले ही ध्यान रखना चाहिये।

इसी प्रकार से डिमांड नम्बर 13 जो कि सौ ाल वैलफेयर डिपाटमेंट से सम्बन्धित है के तहत 2 लाख 35 हजार की रा ि ा की मांग की गई है। इस विभाग के अन्छर जो हरिजन कल्याण निगम बनायागया है जोकि हरिजनों की भलाई के लिये है, उसके लिये यह रा ि ा रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि इस संस्था के लिये यह पैसा बहुत थोडा है लेकिन मैं एक बात इस सदन के सामने लाना चाहती हूं। मैं पब्लिक अंडर टेकिग्ज, कमेटी की सदस्या थी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उस वक्त हमने इस हरिजन कल्याण निगम का निरीक्षण किया था

और यह देखा था कि इसमें बडी धांधलेबाजी है और जो रिपोर्ट हमने पे ा की थी, वह बडी चौंका देने वाली रिपोर्ट थी। वहां पर हरिजनों के नाम से अंगूठे लगवार कर दूसरे लोगों को लोन दिया गया। यह जो हरिजन कल्याण निगम है, ये उन गरीब लोगों के लिये ही बाया गया है न कि दूसरे लोगों के लिये । रिपोर्ट में अध्यक्ष महोदय, हमने सब कुछ दिया हुआ है। मेरी आपके माध्यम से सयरकार से रिक्वैस्ट है कि इसपर पूरा पूरा ध्यान दिया जाये।

Mr. Speaker: Sushma Ji, please wind up. I will give you only two minutes more.

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, अभी–अभी तो मैनें बोलना ही भुरू किया था और अभी ही आपने कहना भुरू कर दिया कि आप वांइड–अप कीजिये। खैर, मै दो मिनट मं ही खत्म करती हूं। अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग कालोनी के लिये 3200000 रूपये की रा ि ा मिली थी। बाद में भारत सरकार ने यह देखा कि जिस मकसद के लिये यह रा ि ा रखी गई है , थोडी है। अतः उन्होने जरूरत को महसूस करते हूये 32 लाख रूपये की रा ि ा ट्रेलीग्रफीकली और भेज दी। अध्यक्ष महोदय, उनको तो इस बात की काफी चिन्ता है लेकिन हमारी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। यह समस्या हाउसिग की सारे हरियाणा में हैं बहुत से लोग आज बेघर है और यह दिन–ब–दिन हाउसिगें की समस्या बडी जटिल होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय मैं यहां सदन के सामने बतानाचाहती हूं। मैं आने ही हल्के अम्बाला की ही

बात करती हूं कि पिछले तीन सालों से वहां पर लोगों की तरफ से आई हुई 1300 ऐप्लीके ानज पैन्डिग पडी हुई है लेकिन अभी तक उन लोगों की कोई सुनवायी नहीं हुई है। चौधरी भजन लाल जी ने आ वासन दिया था कि मैं पहली मार्च से पहले पहले उस हाउंसिं कालानेी का काम भाुरू करवा दूंगा, जुलाई आ गई है लेकिनअभी तकवहां परकुछ नहीं हुआ है। यहां तक कि वह कालोनी कहां पर बनायी जायेगी उस जमीन का भी अभी तक कोई पता नहीं है। लेाकल अफैयर्ज मिनिस्टर फाइन्ेन्ज मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी यहां बैठै है। फाइनैंस मिनिस्टर ने जमीन का फैसला कर दिया था लेकिन अब सुनने मे आया है कि लोकल बाडीज के सैक्रेटरी उसको खत्म कर रहे है। मेरे हल्के के लोगों का इस काम के लिय दस लाख रूपया जमा पडा है। इसको तीन साल हो गये है और 1300 दर्खास्तें पडी है। अगर वह काम हो जाता तो आप अन्दाजा लगा सकते है कि कितने लोगों का भला हो जाता। यह सिर्फ आम जनता का सवाल नही है। ऐसा न होने से सरकारी अधिकारी और भी ज्यादा दिक्कत मं हैं मुख्य मंत्री जी इस बात की ताईद करेगें कि जब किसी सरकारी अफसर को चण्डीगढ से फील्ड में ट्रांस्फर किया जाता है, तो वह जाना नहीं चाता क्योकिं चण्डीगढ़ में उसको सरकारी मकान मिला होता है और फील्ड में जाकर उसे यह सहूलियत नहीं मिलती। इसी तरह से जिस अफसर को फील्ड में कमकान मिला हुआ है वह चण्डीगढ़ नहीं आना चाहता क्योंकि उसको आते ही मकान नहीं मिलेगा।**(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** इसलिये जब आप और कामों में

इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो लोन्ज फार हाउसिंग के लिए भी और ज्यादा पैसा खर्च करें ताकि इन सब लोगों को मकान मिल सकें।

इसके बाद मैं दूसरी बात कर आती हूं कि मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के लिए जो 50 लाख रूपया रखा गया है यह बहुत थोड़ा है। वह इलाका बहुत पिछड़ा हआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी उस इलाके के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते है। उस इलाके में किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं है। स्कीमें तो आपकी इतनी है लेकिन आपने पैसा सिर्फ 50 लाख रू रखा है। यह केवलमात्र आई वा ा है। मैं चाहती हूं कि इस रा ि ा को बढ़ा कर एक करोड़ कर दिया जाए।

चौधरी भजन लालः वह अब एक करोड़ कर दिया है।

श्रीमति सुशमा स्वराजः अगर कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना तो और भी चाहती थी लेकिन समय के अभाव में इन्हीं भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करती हूं।

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): डिप्टी स्पीकर साहब, आज दिन सप्लीमैंटरी डिमांड्ज पर डिस्क ान चल रही है इन डिमांड्ज की कुल संख्या 5 है। इन पर सबसे पहले हमारे लीडर आफ दि अपोजी ान ने बोलते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनका इन डिमांड्ज से कोई ताल्लुक नहीं था।

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मिनिस्टर साहब ने जवाब देना भ्रुरू कर दिया है जबकि मैम्बर और बोलना चाहते हैं इसलिए आप कृपया इसके लिए टाइम बढ़ा दें।

आवाजें: सब बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्षः संत कंवर जी, डिमांड्ज के लिए 12 बजे तक का टाइम था लेकिन आप देख रहे हैं कि अब सवा बारह बज रहे हैं इसलिये और टाइम नहीं बढाया जा सकता।

लाला बलवन्त राय तायलः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जैन साहब ने जो बातें कहीं, उनका डिमांड्ज से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्हेांने कुछेक बातों की तारीफ भी की, जैसे सरकार ने मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के लिए जो 50 लाख रू0 दिया है उन्होंने इस बात की तारीफ की। सुशमा जी ने भी एक बात कही कि अगर 50 लाख रू. की बजाये एक करोड़ रू रखा जाये तो मेवात के इलाके की तरक्की हो सकती है। मैं उनकी बात से सहमत हूं और मैं यह भी कहता हूं कि वह इलाका ऐसा है अगर आप लोग उस इलाके को देख कर आयें तो खुद महसूस करेंगे कि हरियाणा के बारे में जहां सारे हिन्दुस्तान में रैपुटे ान है कि हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है, वहां अगर कोई आदमी मेवात के इलाके को देख ले तो वह भूल जाएगा कि यह भी हरियाणा

का हिस्सा है। आज से पहले किसी भी सरकार ने उस इलाके की तरफ ध्यान नहीं दिया था। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः हमने 37 करोड़ रूपया खर्च किया था। (ाोर)

लाला बलवन्त राय तायलः अगर पहले की सरकार इस चीज को देखती तो यह मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड भी पहले ही बन जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी लीडर आफ दी अपोजी ान ने और सुशमा जी ने जो इस बात के लिए सरकार को ऐप्री ि ाएट किया, मैं उसके लिए उनका धन्यवादी हूं। जब भी सरकार के नोटिस में ऐसे काम आते हैं, सरकार उन कामों को करने की कोि ा ा करती है। जैन साहब ने एक बात पर और बहुत जोर दिया कि सरकार ने जो बिजली की डयूटी कम की है, उसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बहुत फायदा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जब स्कूल के बचचे अपने कन्धों पर बोरी डाल कर चलते हैं तो उनको बड़ी भार्म आती है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी भार्म की बात है कि हरियाणा में बचचे जब प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं तो उनको बैठने के लिए टाट भी साथ ले जाना पड़ता है। उनकी पहली बात का जवाब मै यह देना चाहता हूं कि हमने बिजली की डयूटी इसलिये कम की है ताकि हरियाणा के अन्दर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगें। अगर हम बिजली पर डयूटी कम न करते तो हरियसाणा में इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी। आपको मालूम है कि हमारे साथ वाली दूसरी स्टेट्स में बिजली पर डयूटी के रेट कम

हैं। अगर हम रेट कम नहीं करेंगे तो हमारी स्टेट में इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन आएगा ? इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह काम सबसे पहले जैन साहब ने भुरू किया था जब वे वित्त मंत्री थे। इनको याद होगा जब ये अपने घर में बीमार पड़े थे, उस वक्त इन्होंने डियूटी कम करने की बात भुरू की थी। इसलिये जैन साहब को यह बात नहीं कहनी चाहिए थीं। हम भी चाहते ह। कि हस्पतालों में लोंगों को ज्यादा से ज्यादा दवाइयां मिलें और प्राइमरी स्कूलों में टाट की ि ाकायत न आएं लेकिन आपको पता है कि यह कमी इसलिये हैं क्योंकि हरियाणा में काफी तादाद में बच्चों को ऐजुके ान दी जा रही है। हर गांव चाहता है कि वहां मिडल स्कूल या हाई स्कूल हो और हर 5–7 गांवों के पीछे एक कालेज हो। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है, हमारे पास जितना पैसा उपलब्ध होगा, हम उसी के अनुसार चल सकते हैं। जब डा. मंगल सैन जी बोल रहे थे उन्होंने भी काफी बातें कहीं। उन्होंने हरिजन कल्याण निगम के बारे में जिक्र यिका। मेरा ख्याल है कि वे इस बारे में पूरी बात को पढ़ नहीं सके। उनको पता होना चाहिए कि यह जो 2 लाख 35 हजार रू. है, यह हमारे पास गवर्नमंट आफ इंडिया से आया हैं। वह हमने भोयर कैपिटल के रूप में उस निगम में लगाया है। इसके अलावा हमने हरिजन कल्याण निगम का बजट भी बढ़ाया है। (विघ्न एवं भाोर)

डा. मंगल सैनः वह होडल वाली बात भी बता दो। (भाोर)

लाला बलवन्त राय तायलः होडल वाली बात की इंक्वायरी हो रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो मांग हमने रखी हैं, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और इनके ऊपर इतनी डिस्क ान की जरूरत नहीं थी। जितना पैसा हमने मांगा है इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, सारी डिमांड्ज तकरीबन 17637000 रूपए की हैं जिसमें से 34.10 लाख रूपया भारत सरकार तथा एन.सी.डी.सी. से हमारे पास आ जाना है। 7.50 लाख रूपया सरकारी कर्मचारियों से लोन का रिकवर किया जाएगा। उसके साथ 1 करोड़ 7 लाख 53 हजार रूपया जो पिछले साल के कंटीजैंसी फण्ड में से लियसा गया था, वह मांगा जा रहा है। बाकी हमारे पास 61 लाख 34 हजार रूपया रहता है। इसमें से 50 लाख रूपया मेवात विका सबोर्ड के लिए दिया गया है और 1 लाख 33 हजार रूपया जिन जमीनों के एवार्ड कोर्ट्स ने बढ़ा दिये थे, उनके लिए दिया गया है। 10 लाख रूपया विधायकों को कार खरीदने के लिए लोन के रूप में दिया गया है। 10 लाख 33 हजार रूपया ऐसा है जो इस समय में खर्च होगा। बाकी जो पैसा है वह खर्च हो चुका है। इसका बजट पर कोई एफैक्ट नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से डा. मंगल सैन जी को एक और बात कहना चाहता हूं और वह ध्यान से सुन लें। डा. साहब बार बार अदलू बदलू की बात करते हैं। मै इनसे पूछना चाहता हूं कि ये खुद कहां बैठे हैं ? ये किस मैनीफैसटो पर

इलैक्ट हुए थे और आज कहां हैं ? ये तो जनता पार्टी में घुसपैठ करने के लिए घुसे थे। (विघ्न एवं भाोर) हम तो जहां बैठे हैं, वहां ईमानदारी से हैं।

डा. मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने लोक सभा का चुनाव कांग्रेस (आई) के खिलाफ लड़ा था और आज उसी पार्टी में घुसे बैठे हैं। (विघ्न एवं भाोर)

लाला बलवन्त राय तायलः इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। दादरी सीमेंट फैक्टरी के बारे में कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि दादरी सीमेंट फैक्टरी बन्द हो जाने के कारण हरियाणा का बहुत नुक्सान हुआ है। हमारे मुख्य मंत्री जी वहां कई दफा गए है। मुख्य मंत्री जी ने एलान किया है कि यदि वहां पर 5 साल का भी रामैटीरियल होगा तो उस फैक्टरी को चालू करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। इस मामले के लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने एक कमेटी भी बना दी है। वह कमेटी वहां मौके पर जा कर देखेगी। यह आ ा की जाती है कि दादरी सीमेंट फैक्टरी एक महीने के अन्दर चालू करने में कामयाब हो जाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, इन भाब्दों के साथ मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि इन अनुपूरक मांगों को स्वीकार किया जाए और हाउस से पास कराया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Now, I will put the Demands to the Vote of the House.

Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 170000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 1- Vidhan Sabha.

The motion was carried.

आवाजें: डिप्टी स्पीकर साहब, बाकी सभी डिमांड्ज इकट्ठी ही पुट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: यदि हाउस की यह सैंसय है तो एक साथ पुट कर देता हूं।

आवाजें: ठीक है जी।

Mr. Deputy Speaker: Question is:-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 235000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 13- Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5000000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 17- Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2575000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 12-Cooperation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 8150000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment the year ending 31st March, 1981 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

बिल

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन् ान आफ डिसक्वालिफिके ान) अमैंडमैंट बिल 1980

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, मुझे चौधरी राम लाल वधवा, एम.एल.ए. द्वारा दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन् ान आफ डिसक्वालिफिके ान) अमैंडमैंट आर्डिनैंस 1980 (हरियाणा आर्डिनैंस नं. 1 आफ 1980) की डिसएप्रूवल यानी नामंजूरी का नोटिस मिला है। यदि हाउस सहमत हो तो हाउस का समय बचाने के लिए इस प्रस्ताव पर तथा बिल की कंसिड्रे ान मो ान पर इकट्ठा विचार कर लिया जाए परन्तु सदन के मत के लिए इन्हें अलब अलग पुट किया जाएगा।

आवाजें: ठीक है जी।

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to move:-

That this House disapproves the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 1 of 1980.)

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:-

That this House disapproves the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 1 of 1980.)

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move:-

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:-

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने से पहले मैं एक भोयर अर्ज करना चाहता हूं।

जुबां कुछ और कहती है, अमल कुछ और कहता है,

खुदा के नेक बन्दों से तो ऐसा हो नहीं सकता,

बनावट का तमा ाा चन्द दिन तक तो खूब चलता है,

हमे ाा के लिए ऐसा तमा ाा हो नहीं सकता ।।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल की डिसएप्रूवल का नोटिस दिया है और इसके साथ ही यह बिल पे ा हुआ है। यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह आर्डिनैंस क्यों जारी किया गया है और यह बिल किस मकसद से इस हाउस में आया है और इसके पीछे मूल भावना क्या थी तथा इसकी क्या जरूरत थी ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आर्टिकल 213 पढ़ करके आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि जब आर्डिनैंस जारी करना होता है तो कुछेक बातों पर विचार करना पड़ता है। आर्टिकल 213 में लिखा है:—

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session or where there is Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require.'

अब उपाध्यक्ष महोदय, आप इस आर्डिनैंस को देखिए। इसके अन्दर कही भी नहीं है कि क्या सरकमस्टांसिज एग्जिस्ट हुए। क्या गवर्नर महोदय इससे सैटिस्फाईड थे और बिल लिए यह आर्डिनैस जारी यिका गया, इसका इस आर्डिनैंस के अन्दर कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में यह

बात लाना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय भी बिल्कुल सैटिस्फाईड नहीं थे। उन्होंने जो आर्डिनैंस प्रोमुलगेट किया है, उसके अन्दर आर्टिकल 213 के प्रोविजन को सामने रखते हुए कही नहीं कहा कि मैं सैटिस्फाईड हूं। यहां लिखा है किः–

"Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause(1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance."

आर्डिनैंस लाने के क्या सर्कमस्टांसिज थे, गवर्नर साहब कैसे सैटिसफाइड हुये, इसके बारे में आर्निैंस में एक भी वर्ड नहीं हैं इसलिये यह आर्डिनैंस जो गवर्नर साहब ने जारी किया है यह भ्रुरू से ही गलत हैं ठीक है, विधान सभा सै ान नहीं था लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि बना वजह से ही आर्डिनैस जारी कर दिया जाये। आर्निैंस जारी करने की क्यों आव यकता पड़ी, किस लिये जारी किया गया, यह सदन को बताया जाना निहायत जरूरी हैं। अगर मैं कौल एंड भाकधर की प्रैक्टिा एंड प्रोसीजर नामक किताब का हवाला देने लगूं तो काफी समय लगेगा, भ्रायद भ्राम तक डिस्क ान खत्म न हो। इसमें मोटी बात यह है कि जब असैम्बली सै ान में नहीं होती तो आर्डिनैंस जारी किया जाता हैं

लेकिन इसके जारी करने के पीछे कोई न कोई मकसद होता है, भावाना होती है। लेकिन सदन के अन्दर न तो सरकार ने और न ही गवर्नर साहब ने उस भावना को बताने की कोि ा ा की कि यह आर्डिनैंस क्यों जारी किया गया, क्यों इसकी जरूरत पडी। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आप दिल को ध्यान से देखें तो आपको मालूम होगा कि कहीं पर इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। आर्डिनेंस में जिक्र न भी हो लेकिन बिल में जरूर जिक्र होता है। आप बिल के स्टेटमैटंस आफ औब्जैक्टस एंड रीजन्ज को देखिये । इसमें लिखा है–

"The Governor of Haryana promulgated the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 1 of 1980) which provided that (i) a chairman, Director or member of any statutory of non-statutory body, whether he is, or is not in receipt of any remuneration including compensatory allowance during the performance of his duties, and (ii) an advocate appointed by the State Government to conduct any particular suit, case or other proceeding before any court, tribunal or other authority, or to assist the Commission of Inquiry or to assist or represent any of the party before the Commission of Inquiry, shall not incur disqualifications and shall be deemed not to have incurred disqualification for being chosen as or for being a member of the Haryana State Legislature."

इस चीज को बचाने के लिये यह बिल जाया गया है लेकिन इसके अन्दर मकसद नहीं दिया गया, किस किस को बचाने

की क्यों आव यकता पडी थी, क्यो यह बिल ले कर आये है, इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह आर्डिनैंस और बिल, दोनों ही रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस आफ हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली और कांस्टीच्यू ान आफ इंडिया के आर्टिकल के मुताबिक बिल्कुल दुरूस्त नहीं है और हाउस इसकों बिल्कुल पास न करें As I have explained, in the statement of objects and reasons there is no mention anywhere as to why this Bill has been brought before this House. औब्जैक्टस एंड रीजन्ज के अन्दर यह दिया जाना चाहिये कि इस का औब्जैक्ट क्या था, इसके रीजन्ज क्या थे, यह कहीं नही दिया गया। केवल यह दिया गया ळै कि इस पोस्ट का बचाने के लिये यह अमैंडमैंट की जा रही है। और गवर्नर साहब ने इसके लिये आर्डिनैंस जारी किया था। डिप्टी स्पीकर साहब, इतना कह देना काफी नहीं है। इन्होने असली बात को छुपा रखा है मुझे किसी व्यक्ति के बारे में गिला नहीं। आफिस आफ प्रौफिट की एग्जम्प ान देना लैजिस्लेचर का अधिकार है, यह चाहे किसी भी पोस्ट को जैसे मर्जी करे, लेकिन एक बात गलत और छूपा कर की जा रही है, इसको खोल कर हाउस के समने रखने की आव यकता है। वे मेरे ही दोस्त है, बडे लरनड होगें जिनके लिये वह सब कुछ किया जा रहा है लेकिन हाउस को गूमराह नहीं नहीं किया जाना चाहिये। यह बिल में स्पश्ट तौर पर लाना चाहिये कि यह किसी एक व्यक्ति वि ोश को बचाने के लिये कर रहे हैं मेरे वह भाई नगीना जांच केस में

वकील रहे है और उनके खिलाफ हाई कोर्ट में इसी मामले में रिट चल रही है।। मैटर सबजुडिस हैं डिप्टी स्पीकर साहब, हम जब हाउस में हाई कोर्ट के किसी केस के बारे में बात करना चाहते है तो चेयर की तरॅ से फरमाया जाता है कि मैटर सबजुडिस है, इस को नहीं छेडना चाहिये , लेकिन यह केस तो हाई कोर्ट में पैंडिग हैं हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही इस आर्डिंनैंस को जारी किया गया और आर्डिनैंस को रिप्लेस करने के लिये आज यह बिल लाया जा रहा है। किसी ने इस बात का ध्यान नहीं किया कि मैटर सबजुडिस हैं वह व्यक्ति एक साल तक कमी ानमें रहे और एक पे ाी का 500 रूपये लेते रहे। मेरी जानकारी के अनुसार लाख डेढ़ लाख रूपया गवर्नमेंट खजाने से ले लिया। उन को कम से कम यह तो सोचना चाहिये कि जो कुछ वे ले रहे है, आया उसकों लेने का अधिकार भी है? अगर ले लिया तो इसकी सजा भुगतनी चाहिये लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसको बचाने के लिये सरकार आर्डिनेंस ले आये और असैम्बली से बिल पास करवा ले। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक मैं जानता हूं, इस केस पर सुप्रीम कोर्ट की औब्जर्वे ान भी है, लेकिन मै इन सारी बातों का जिक न करके एक मोटी बात कहनाचाहता हूं। मोटी बात यह है कि न तो आर्डिनेंस सही है और न ही बिल सही है। इन्होने यह कहीं नहीं लिखा कि फलां चेयरमैन की पोसट को पोस्ट आफॅ प्रोफिट नहीं समझा जाएगा। उस पोस्ट पर उनकी एम्पायंटमेंट हो गयी। किसी आदमी को एप्वांयट कर दिया ओर जब उसने बैनीफिट उठा लिया तो उसके खिलाफ आवाज उठी। उस को गचाने के लिय` ये

एक आर्डिनेंस ले आये, अगर यह बिल हाउस में पास हो गया तो यह एक बहुत बुरी प्रथा हाउस के सामने हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्डिनैंस को लैप्स होने दें और इस बिल को वापिस ले लें। नहीं तो मैं सदन को अपील करूंगा कि इसको पास न किया जाए। किसी एक व्यक्ति के लिये यह हाउस नहीं बैठा है। वे व्यक्ति मेरे भी दोस्त है, मेरे साथी है, मैं चाहता हूं कि वे हाउस के सदस्य रहें, लेकिन यह बिल पास होने से हाउस की प्रथा गलत हो जाएगी। मुझे उनसे कोई ि ाकायत नहीं ख् वे वकील मुकर्रर रहे। डिप्टी स्पीकर साहब, सारा हाउस मानता है कि एडमिनिस्ट्रे ान के तीन विंग है– ऐग्जैक्टिव, लैजिस्लेचर ओर जुडी ायरी। ऐग्जैक्टिव कानून बनाती है, लैजिस्लेचन कानून पास करती है और जुडि ारी की बहुत बड़ी कंटैम्पट आफ कोर्ट होगी। जुडी ारी की इन्टरप्रटे ान को रोकने के कलये ही यह बिल सदन के लाया गया है। मैं आनसे निवेदन करना चाहता हूं किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुचाने के लिये यह बिल नहीं आना चाहिये। कल भी सदन में किसी एक व्यक्ति के लिये एक बिल पास किया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, 1966 से 1980 तक, 14 साल हरियाणा की असैम्बली चलती रही हैं मैं देख रहा हूं कि यह सरकार जो अपने आपको कांग्रेस (ई) की सरकार कहती है, इस किस्म की गलत प्रथा इस हाउस में डाल रही है। एक ही व्यक्ति को 1800 रूपये का फायदा पहुंचाने के लिये, क्योंकि वह व्यक्ति कांग्रेस(आई) में चला गया, ऐसा किया जा रहा है। अगर किसी अपोजी ान के

मैंबर ने ऐसा किया होता तो ये कभी भी ऐसा बिल हाउस में न लाते। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस को गलत ढंग से इस्तेमाल न किया जये और किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिये इस प्रकार का गलत कानून हाउस में नहीं लाना चाहिय। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह इस बिल का वापिस लें।

स्वामी अग्निवे ा(पूंडरी): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय राम लाल जी ने जो बातें कहीं है, बडद्यी गम्भरता के साथ उसके स्वर में स्वर मिलाते हुये मैं कहना चाहूंगा कि पिदले दिनां उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था और कहा था कि दे ा के संविधान की जो बुनियादी भार्तें है उनके अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका मैं इस तरह के सम्बन्ध होने चाहियें कि वे एक दूसरे के कार्यो में हस्तक्षेप न करें ताकि स्वायतता बनी रहे। यह जो बिल सदन के सामने लाया गया है इससे स्पश्ट रूप से जैसा कि राम लाल जी ने कहा दे ा की न्यायपालिका की स्वायतता और काम करने के तरीके में बड़ी भारी बाधा आ रही हैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि मेवात क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने चौधरी खुर ाीद अहमद जी के विरूद्ध हाई कोर्ट के अन्दर एक याचिका दायर की है। इस याचिका के उपर न्याय संगत फैसला आने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप माननीय सदस्य को अपनी सदन की सदस्यता से हाथ धोने पड सकते है क्योंकि इन पर यह आरेप है कि नगीना कांड की जांच करने वाले आयोग के

सामने ये सरकारी वकील की हैसियत से पे ा होकर 500 रूपये रोज यानि पर पे ाी लेते रहे है। यह सारी चीज गैर कानूनी सिद्ध हो चूकी है। अब बजाये इसके कि ये उसके परिणाम को भुगतें, अपनी मैजोरिटी के बल पर न्याय का गला घोंटने की कोि ा ा कर रहे है। यह हमारे हाई कोर्ट का अपनमान है और दे ा की न्यायपालिका का अपमान हैं ऐसा करके सदन में एक बहुत ही गलत रिवायत डाली जा रही है। एक–एक व्यक्ति को बचाने के लिये यदि बिल सदन में आते रहे तो क्या कोई यह गारंटी दे सकता है कि दे ा में रज कानून के हिसाब से चलेगा। अपने ही बनाये हुये नियमों की अवहेलना करते हुये यदि कोई व्यक्ति फंस जाये और उसे बचाने के लिये अपनी मैजौरिटी के आधार पर हम नियम बदल दें और वह भी रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से बदलें, तब तो कानून बनाने की ही कोई आव यकता नहीं है। फिर तो यह होना चाहिये कि रूलिंग पार्टी के सदस्यों की जो मर्जी होगी उसे ही कानून समझा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका का जो बहुत बड़ा रूतबा हमने बना रखा है उस पर से ऐसा करने से लोागें का वि वास खत्म हो जायेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुये , मैं सभी पक्ष के सदस्यों से , सरकारी भी और विपक्षी भी, अनुरोध करूंगा कि इस बिल को किसी हालत में पारित न होने दें तथा अध्यादे ा को लैप्स होने दें। धन्यवाद। (ाोर)

चौधरी रिजक राम(राई): डिप्टी स्पीकर साहब, आर्डिनैंस के बारे में जो प्रस्ताव राम लाल वधवा जी ने पे ा किया है तथा

जो बिल हमारे सामने है, इसके बारे में मैं कुछ विचार रखना चाहूंगा। इस बिल में आर्डिनैंस से सम्बन्धित 2 क्लाजिज है। एक क्लाज(इ) है और दूसरी क्लाज(जे) है। सन 74 के एक्ट में इसमें लिखा गया था कि –

"Chairman, director or member of any statutory body appointed or constituted by the State Government or the Union Government who is not in receipt of any remuneration other than the compensatory allowance during the performance of his duties."

* * * * * * * *

"(i) Chairman or the Vice-chairman or the deputy chairman or any member of the Haryana State Planning Board or the Haryana Khadi and Village Industries Board or the Haryana Harijan Kalyan Nigam or the Haryana State Social Welfare Advisory Board."

इसकों आर्डिनैंस के जरिये तरमीम किया गया औरउसी तरमीम को बिल में ज्यों का त्यों रखा गया है, जो इस प्रकार है:–

"In clause(e), for the words" who is not in receipt of any remuneration other than the compensatory allowance," the words "whether he is , or is not, in receipt of any remuneration including compensatory allowance" shall be substituted and shall always be deemed to have been substitued."

कहने का मतलब यह कि पहले तो यह था कि यदि कोई चेयरमैंन, मैंनेजिंग डायरैक्टर या डायरैक्टर आदि कम्पनसेटरी अलाउन्स तो लेता हो मगर तनख्वाह न लेता हो तो डिसक्वालिफाई नहीं होता था लेकिन अब तरमीम के जरिये करना चाहते है कि चाहे वह कोई तनख्वाह भी लेता हो फिर भी सदन का मैंबर रह सकता है।

दूसरी क्लाज के बारे में वधवा साहब ने जो विचार रखे , मै उनसे ज्यादा सहति नहीं रखता क्योंकि कितने ही ऐसे केसिज है जिनमें हाई कोर्ट में मुकदमा चलते हुये एक्टस में तरमीम हुई है। यहीं नहीं कांस्टिच्यु ान तक में तरमीम हुई है। डिप्टी स्पीकर साहाब, खुर ाीद अहमद जी का यहां जिक्र आया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर भुलेखे से खुर ाीद अहमद जी ने या किसी दूसरे वकील ने कोई पैसा ऐक्सैप्ट कर लिया ओर उसकी वजह से वे डिसक्वालिफाई हों जायें, तो यह कोई बात नहीं है। हां,क्लाज(इ) में जो तरमीम की गई उसकी इम्पलीके ान बड़ी वाइड है। उसका मतलब यह हुआ कि जो तनख्वाहदार मुलाजिम हो, वह भी सदन का मैंबर बन सकता है। यह बात कांस्टिच्यू ान की मं ाा के अनुसार नहीं हैं अगर अफसरान को भी यह हक देना है कि वे भी सदन के मैंबर रहें फिर तो इस दे ा का कांस्टिच्यु न, इस दे ा का प्रजातन्त्र खत्म हो जाता है। डिप्टी स्पीकर महोदय, संविधान में आर्टिकल 191 है। उसके पहले ही सैक ान में यह प्रोवाइड किया गया है कि औफिस औफ प्रौफिट

के बारे में कोई भी लैजिस्लेचर या पार्लियामैंट यदि तरमीम करना याहे तो वह कर सकती हैं इसी प्रोविजन को ध्यान में रखते हूये पंजाब में सन् 52 में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार डिप्टी मिनिस्टर्ज, चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरीज और पार्लियामैंटरी सैक्रेटरीज आदि की पोस्टस को औफिस औफ प्रौफिट नहीं रखा गया। सन 74 में एक और कानून पास किया गया जिसके तहत वधवा साहब ने भी और स्वामी जी ने भी औफिसिज को ऐक्सपेक्ट किया।

स्वामी अग्निवे ा (चौधरी खुर ाीद अहमद): हर महीने एक रूपया लेते थे, 22 सौ रूपये की कोठी थी और साथ में एक कार थी। (विघन)

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि औफिसीज चाहे किसी ने भी ऐक्सैप्ट किये, वह कोई अच्छी बात नहीं थी (विघन) डिप्टी स्पीकर साहब, कोई भी सरकार लैजिस्लेटर्ज को अपने साथ रखने के लिये ओहदे बांटे यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस बारे कई दफा चर्चा हो चुकी है और में बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि कांस्टिच्यू ान की कोई यह मं ाा नहीं थी कि बीस या पच्चीस मैंबर्ज को चेयरमैन बनाकर आप औबलाइज करें । इसलिये हमें भी और मुख्य मंनी जी को भी इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिये। आज इंदिरा गांधी जी दे ा की प्रधानमंत्री हैं वे ही कांग्रेस(आई) की प्रधान भी है। आज उनके आदे ा के बाहर कोई जा नहीं

सकता। यदि किसी मैंबर के लिये अपने कोई ओहदा न भी रखा हो, तो उसके कांग्रेस(आई) को छोड़ने की संभावना नही है। (विघ्न) कहने का मतलब यह है मुख्य मंत्री जी की सरकार को कोई खतरा नहीं हो सकता । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी इस बात पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि क्लाज(इ) में जो तरमीम की जा रही है, वह बहुत ही गलत है। डैमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिये। डैमोक्रेसी में सरकारी मुलाजिम को , आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 अफसरों को सदन का मैम्बर होने की इजाजत देने जा रहे हैं। इसमें यह लिखा है—whether he is, or is not, in receipt of any remuneration including compensatory allowance." तन्खाहदार आदमी को हाउस का मैंबर बनाने की इजाजत देगें तो बहुत ही गलत बात होगी। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस क्लाज को डिलीट करें। सरकार के जो कानूनी म ाीर है ,उनसे भी ये सलाह करें। अगर किसी एक मैंबर के लिये ये तरमीम लायें है, तो उसको चेयरमैन ि ाप या अन्य पद से इस्तीफा दे देना चाहिये। कितनी ही कार्पोरे ान्ज ऐसी है जिनके मैनेजर, चैयरमैंन और मैंलेजिग डायरेक्टर, सैलरीड आदमी लगे हुये है। अगर आप उनको ऐग्जैम्पट करते है तो विधान इजााजत नहीं देता। आपने जो यह आर्डिनैंस किया है इसकी इजाजत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं देगें क्योकि सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही ऐसे फैसले दिये है। सन 1977 में भी एक फैसला दिया है और उससे पहले भी दिये है। उन्होने बताया है कि आर्टिकल 191 का क्या मन् ाा है। किन लोगों को ऐन्जेम्प ान

दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर किसी आदमी को पार्ट टाइम काम देना है या ऐक्सपर्ट की सेवा लेनी है तो उसको आप ऐग्जेम्पट कर दे लेकिन तन्खाहदार आदमी को ऐग्जेम्पट करते है और यह कहते हे कि वह साथ ही सदस्य भी बन जायें तो विधान इस बात की इजाजत नहीं देता। कांस्टीच्युऐंसी भी इसका वेप्रवल नहीं हो सकेगा। मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसकों दोबारा ऐग्जामिन करवा लें। खु ाीद अहमद साहब हमारे साथी है, उनको सदस्य रखने में हमारी भी दिलचस्पी है। खुर ाीद साहब बड़े खु ाामिजाज है, वे किसी को नाराज नहीं करते इसलिये इन हालात के अन्दर आप इस बात पर दोबारा गौर करें।

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो निरर्हता निवारण सं ाोधन विधेयक 1980 आया है इस पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। आज जो विधेयक हाउस में है, उसमें कुछ सं ाोधन करना चाहते है। यह विधेयक सन 1974 में आया था इसमें कुछ कमियां थी उनको दूर किया गया है। (विघन)

Shri Baldev Tayal: On a point of order. Mr. Deputy Speaker, Sir, a person or a member who is interested personally in an issue should not a participate in the debate. Swami Adityavesh, M.L.A., himself is the Chairman of a Corporation. This bill affects all the Chairmen. Therefore, I humbly request you not to allow such members to participate in the debate. (Interruptions)

Mr. Deputy Speaker: This is not a point of order. (Interruptions) Please sit down.

Shri Baldev Tayal: Before I complete my point of order. I have been asked to sit down. This is very unfair, Sir, (Interuptions). I just wanted to complete it. (Interuption).

Mr. Deputy Speaker: Tayal Sahib, do you want to raise a discussion or want to raise a point of order? (Interruptions) On what are you speaking?

Shri Baldev Tayal: Sir, I do not tant to raise any discussion but I want to explain myself. (Interruptions.) I just want to complete my point of order.

Mr. Deputy Speaker: All right, you complete your point of order. (Interruptions)

shri Baldev Tayal: Kindly ask them to sit down first. (Interruptions). My humble submission is this. (Interruptions). Conventions, Rules and Procedure demand that a member of this House, who is directly affected should not be allowed to participate in the debate.

Mr. Deputy Speaker: Ihave already heared you point of order. I over-rule it. I think, you have simply repeated the earlier point of order. This matter is not concerning an office of a particular person.

स्वामी आदित्यवे I: उपाध्यक्ष महोदय, हरेक सदस्य को अपनी–2 बात कहने का अधिकार हैं जितनी भी कार्पोरे ान्ज है या बोर्डज है या कमी ांज है उनमें नौकर ाही को कंट्रोल करने

के लिये पब्लिकमैन का रखना बहुत जरूरी है। जब तक उसमें पब्लिकमैंन नहीं रहेगा, काम ठीक तरह से नहीं चलेगा।

Shri Baldev Tayal: On a point of order, Sir. The hon. Member is the Chairman of the Agro-Industries Corporation. (Interruptions) This bill entitiles him to draw the salary, which directly affects him. (Interruptions) So he is directly affected. (Interruptions).

Mr. Deputy Speaker: I disallow your point of order. (Interruptions.)

Shri Baldev Tayal: Why have you disallowed my point of order? (Interruptions.)Please tell me the reasons. (Interruptions.)

Mr. Deputy Speaker: Please sit down. (Interruptions.) This bill does not concern the office of a particular individual.

स्वामी आदित्यवे ा: मेरा निवेदन है कि ये जितनी भी कार्पोरे ांज है.....

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी, आप एक मिन्ट के लिये बैठ जाइये।

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो आर्डिनैंस है या बिल है यह उन सभी चेयरमैनों पर लागू होगा जो सन 1977 के बाद बने हैं सब इसमें आ जाते है। उसमें चौधरी राम लाल वधवा भी और श्री बलदेव तायल भी आ जाते है।

Shri Baldev Tayal: On a point of order, Sir. He is mis-leading the House and mis-quoting us. (Interruptions). ये आदरणीय सदस्य अपने आपको तन्खाहदार बनाने की चेश्टा कर रहे हैं।

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। स्वामी जी बोलने के लिये खड़े हुये थे। वे खुद कार्पोरे ान के चेयरमैन है। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, सुबह मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे थे कि हाउस का डैकोरम रखेगें। मुख्य मंत्री जी के आ वासन के प चात भी डैकोरेम को नहीं रख रहे है। ये हमारे प्वांयट आफ आर्डर को भी सुनने के लिये तैयार नहीं है।

चौधरी रिजक रामः मेरे दोस्त तायल साहब ने कहा कि न इसमें वधवा साहब आते है और न ही वे आते है। मैं तो कहूंगा कि इस में स्वामी जी भी आते है और ये भी आते है। सारे ही इससे कन्सर्न्ड है।

चौधरी राम लाल वधवाः मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि स्वामी जी ने यह कहा था कि कार्पोरे ान और बोर्ड के चेयरमैन रहेने चाहियें। इसलिये स्वामी जा को भी आज जो अमैंडमेंट लायी जा रही हैख उस पर बोलना चाहिये। पहले जो अमैंडमेंन्ट हुई है, उसके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा है। आज की अमैंडमैंट के बारे में उन्हे बोलना चाहिये था।

दूसरी बात यह है कि यहां बार–बार कहा जा रहा है कि जो पहले चेयरमैन रहे है उनको नहीं बोलना चाहिये। अगर हाई कोर्ट यह फैसला दे दे कि यह गलत था तो हम उसे भुगतने के लिये तैयार है। इसलिये यह बिल वापिस लिया जाये।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी जो बैठे हुये है, वे अपने मन में तो तारीफ करते है क्योकि सभी साथी चेयनमैंन रहे है। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि नौकर ााह जो एम0डी0 बनाये जाते है, उनके उपर चैक रखने के लिये एम0एल0एज0 को बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाना जरूरी है। मेरा यह अपना अनुभव है। इसलिये मैं हाउस को बतानाचाहता हूं कि पिछले साल ऐग्रो–इंडस्ट्रीज कार्पोरे ान में घाटा था लेकिन इस साल मेरे प्रयास से 25 लाख 15 हजार रूपये का मुनाफा हुआ है। आज तक उसमें घाटा होता रहा था। पता ही नहीं चलता था कि कहां पैसा गया। इसलिये यहां पर पब्लिकमैन का होना जरूरी है। (ाोर) चौधरी रिजक राम जी ने भी कुछ मेरे बारे में कहा है लेकिन मै ंयह कहना चाहता हूं कि जब वे मंत्री बन जाते है तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब मिनिस्टरी से बाहर चले जाते है, तो दूसरों को गलत साबित करने लग जाते है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्वामी जी तो एक पैसा तनख्वाह का भी नहीं लेते।

स्वामी आदित्यवे ाः नहीं मैं लेता हूं।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मैं यह कहना चाहताहूं कि अभी सदन के सामने स्वामी आदित्य वे ा जी ने यह फरमाया है कि एग्रोइंडस्ट्रीज को 25 लाख रूपये का फायदा दूसरे दे ाो में जा कर दिया हैं तो मैं आपके द्वारा इनसे कहना चाहता हूं कि जो ये स्वामी जी बाहर विदे ाों में गये थे औरउस पर जितना खर्च हुआ है वह भी बता दें और वह उस फायदे में से घटा कर बतायें कि मितना फायदा रहा हे ओर कितना घाटा रहा है। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order. Please sit down. (Interruptions)

श्री हीरानन्द आर्यः उपाध्यक्ष महोदय, रूल्ज आफ प्रोसीजर तथा कनडक्ट आफ बिजनैस के रूल 96 में यह लिखा है कि –

" A member may not vote on any quesiton in which he has a direct pecuniary interest, if he votes on such a question the vote may, on a substantive motion carried by the Assembly, be disallowed. Such motion shall be made immediately after the division is over and before the result is announced by the Speaker."

उपाध्यक्ष महोदय, यदि रूल 96 के तहत कोई स्पीच देता है और उस मैंटर में यदि उसका कोई पैकुनियरी इन्ट्रस्ट हो तो he should not be allowed to speak.

श्री उपाध्यक्षः कृपया आप बैठ जायें। आप तो एक अच्छे वकील भी है। मैं तो समझता था कि आप हर चीज को थोराली पढ़ते है, परन्तु आपने इस का उपर वाला हिस्सा तो पढ़ लिया परन्तु नीचे वाला हिस्सा नहीं पढा। कृपया आप बैठ जायें, मैं पढ़ कर सुना देता हूं:—

"A member may not vote on any question in which he has a direct pecuniary interest. Ig he votes on such a question the vote may, on a substantive motion carried by the Assembly, be dis-allowed. Such motion shall be made immediately after the division is over and before the result is announced by the Speaker.

Explanation:- The interest contemplated in this Rule should be direct, personal or pecuniary and separately belong to the person whose vote is questioned and not in common with the public in general or with any class or section thereof or on a matter of State policy." (Interruptions).

Shri Hira Nand Arya: On a point of order, Sir. (Interruptions).

Mr. Deputy Speaker: Arya Sahib, please sit down.

चौधरी खुर शीद अहमदः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से इस बिल के जो कन्फ्युजन्ज है वो दूर कर देता हूं(ाोर)

श्री बलदेव तायलः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: I request you to please sit down. (Interruptions). आपने अपने पैन ान संबंधी बिल तो पास करवा लिया लेकिन अब आप इस बिल पर कवै ान्ज बता रहे है। (ाोर)

Shri Baldev Tayal: Mr. Deputy Speaker, Sir, I must bring to your kind notice that your observation regarding Shri Hira Nand Arya, M.L.A., is un-called for. (Interruptions).

Chaudhri Khurshid Ahmed: Sir, he is questioning your ruling. (Interruptions)

Shri Baldev Tayal: Yes, Sir, I have questioned and I am entitiled to question it. (Interruptions)

Chaudhri Khurshid Ahmed: Sir, he should not be permitted to do so,. (Interruptions)

Shri Baldev Tayal: Yes, I am entitiled to put my view point. (Interruptions) Kindly let me speak. (Interruptions)

Chaudhri Khurshid Ahmed; Deputy Speaker Sahib, nothing should be allowed to be recorded. (Interruptions)

Mr. Deputy Speaker: The ruling of the Chair can not be questioned.

Shri Baldev Tayal: Mr. Deputy Speaker, Sir, my humble submission is that Mr. Hira Nand Arya, M.L.A., has not read the explanation, which reads as under:-

"The interest contemplated in this Rule should be direct, personal or pecuniary...."

All these three things apply to the hon. Member.

Mr. Deputy Speaker: Tayal Sahib, you further read the explanation:-

"and separately belong to the person whose vote is quesitoned." (Interruptions)

Shri Baldev Tayal: My humble submission before the Hon. Deputy Speaker is that as far as I know Swami Aditya Vesh, M.L.A., is at the moment the Chairman of a Corporation and after this bill is passed, he will be entitiled to get salary. He is directly connected and he should not be allowed to participate in the debate. (Interruptions)

चौधरी खुर ीद अहमदः डिप्टी स्पीकर साहब, मै इस बिल के बारें में जो आज हाउस के सामने जेरे गौर है, यह कहना चाहता हूं कि यह कोई नया बिल नहीं है। (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी गंगारामः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जो भी डिसीजन दें, हम उसे मानने के लिये तैयार है लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि कोई प्वांयट आफ आर्डर रेज करें और चौधरी खुर ीद अहमद उस पर रूलिंग या डिसीजन देते रहें।

चौधरी खुर ीद अहमदः यह गलत बात है, मैंने कभी रूलिंग नहीं दी।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरा प्वाय ट आफ आर्डर यह है कि आपने

एक बात के बारे में आबजर्वे न दी और चोधरी खुर ाीद अहमद साहब को अलाउ किय हैं आपकी आबजर्वे न के मुताबिक मैं आपसे यह रूलिंग चाहूंगा कि क्या यह ठीक है क्योंकि रूल 96 के मुताबिक इन्हें वोट देने का हक नहीं होना चाहिये। अपने जो आबजर्वे न दी है आपकी वह आबजर्वे न हमे ाा के लिये एक प्रैसीडैन्ट मानी जाएगी इसलिये मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करनाचाहूंगा कि आप इस पर दोबारा गौर कीजिये। रूल के अन्दर यह लिखा हुआ है:—

"A member may not vote on any question in which he has a direct pecuniary interest. If he votes on such a question the vote may, on a substantive motion carried by teh Assembly, be disallowed. Such motion shall be made immediately after the division is over and before the result is announced by the Speaker."

"Explanation – The interest contemplated in this Rule should be direct, personal or pecuniary and separately belong to the person whose vote is questioned and not in common with the public in general or with any class or section thereof or on a matter of State policy."

उपाध्यक्ष महोदय, बार बार यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बिल के अन्दर चौधरी खुर ाीद अहमद जी का नाम क्लीयरली नहीं आया हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए बिल लाया गया है। अब सब्सटैंटिव मो ान की भाक्ल में यह बिल भी आया है। (इस समय

सचिव महोदय उपाध्यक्ष महोदय को कुछ बताने लगे)। सैक्रेट्री साहब, आप जरा यहां पर खड़े होकर सबको ही समझा दीजिये। यह कोई तरीका नहीं है कि एक सदस्य बोल रहा हो और सैक्रेटेरियेट को कोई आदमी बीच में दखल करें। यह जो बिल आया है, इस पर डिसीजन होना चाहिए। मैंने इस बात को भ्रुरू में ही चैलेन्ज किया है कि यह एक आदमी को बचाने के लिए लाया गया है और मैंने बाकयादा उनका नाम लिया है।

He is personally interested and involved. इसमें पैकुनीयरी इन्ट्रैस्ट का सवाल है। इसलिए चौधरी खुर ाीद अहमद इसके अन्दर पार्ट भी नहीं ले सकते और वोट भी नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्षः मैंने अभी कुछ समय पहले अपनी रूलिंग दी थी। (ाोर व व्यवधान)

Sh. Baldev Tayal: Deputy Speaker Sahib, On a point of order.

Mr. Deputy Speaker: Tayal Sahib, please sit down. I have already given my ruling. यह जो बिल आया है यह किसी पर्टीकुलर आदमी के लिए नहीं है। अगर आप ऐसा महसूस करते हों कि यह किसी पार्टीकुलर आदमी के लिए है तो आप मुझे सन्सटंटिव मो ान का नोटिस दें।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आपसे इस बात पर रूलिंग चाहता हूं कि अगर चेयर की

तरफ से किसी बात पर एक बार रूलिंग आ जाये, तो क्या उस पर डिस्क ान हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्षः बिल्कुल नहीं।

चौधरी खुर ीद अहमदः डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो दी हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन् ान आफ डिस्क्वालीफीके ान) अमैंडमैंट बिल, 1980 पे ा किया गया है, यह कोई नयी चीज नहीं है। यह तो हमारे सामने बहुत पहले से ही आती रही है। इसकी कैटेगरीज में ही केवल माईनर अमैंडमैंट की गयी है। भारू में जब 1952 में प्रिवैन् ान आफ डिस्क्वालीफिके ान एक्ट सारी स्टेट्स में भी लाया गया था, उस वक्त इसलिये लाया गया था क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर के पद पर जब कोई काम करता था तो वह अगर रैमुनरे ान लेता था तो वह डिस्क्वालीफीके ान इन्कर करता था। इसलिये डिप्टी मिनिस्टर्ज को इसी ऐक्ट के तहत एग्जैम्पट किया गया था। उसके बाद वक्तन फवक्तन यह चीज आती रही है कि स्पीकर/डिप्टी स्पीकर और दूसरे ओहदे जो कोई भी पोलीटिकल आदमी पार्लियामैंट के या असैम्बलीज के होल्ड करते रहे हैं, उनकी डिस्क्वालीफिके ान रिमूव की जाती रही है। हरियाणा में 1974 में एक नया एक्ट इसके बारे में लाया गया था। इस ऐक्ट के तहत ऐसे बहुत से आफिसिज जिनको आफिस आफ प्रोफिट तनख्वाह लेने की वजह से गिना जाता था उनको एक एक करके बेग्जेम्पट किया जाता रहा है। 1974 के हरियाणा के ऐक्ट के तहत जिन जिन दआफिसिज को एग्जैम्पट

किया गया है, उनमें से एक तो है हरियाणा स्टेट प्लानिंग बोर्ड के डिप्टभ चेयरमैन। इसी असैम्बली के कई मैम्बर इस, बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके लिए इस ऐक्ट के अन्दर स्पैसिफिक एग्जैम्प ान दी हुई है। इसके बाद इसमें हरियाणा खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन को भी एग्जैम्प ान दी हुई है। इस हाउस के कई मैम्बर इसके चेयरमैन भी रह चुके है। इसके बाद हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और हरियाणा स्टेट सो ाल वैलफेयर ऐडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन को भी एग्जैम्प ान दी हुई हैं। हरियाणा ऐग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरे ान के चेयरमैन को जहां पर चौधरी संत कंवर भी चेयरमैन रह चुक हैं, भी एग्जैम् ान दी हुई है। इसके अलावा लैन्ड मोर्गेज बैंक जिनके चेयरमैन चौधरी मनी राम जी भी थे, को भी एग्जैम्प ान दी हुई है। चौधरी सतवीर सिंह मालिक और चौधरी राम लाल वधवा प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। (ाोर व व्यवधान) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, चौधरी खुर ाीद बहमद जी के बारे में हम तो यह कह रहे हैं कि यह अमैडमैंट उनको खास तौर पर सेव करने के लिए की जा रही है। अगर कल को वह कोई दूसरा बुरा काम करेंगे, तो क्या फिर ऐक्ट के अन्दर अमैंडमैंट सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। यह तो चौधरी संत कंवर जी के फायदे की बात हो रही है। सबके

साथ यदि किसी एक दूसरे व्यक्ति का फायदा हो जाये, तो कोई गलत बात नहीं है।

चौधरी संत कंवरः इससे तो इनका ही फायदा होने लग रहा है।

चौधरी खुर ाीद अहमदः पुराने ऐक्ट में भी कैटेगरीज बनी हुई थीं। जैसे लम्बरदार, सब रजिस्ट्रार आदि इन कैटेगरीज को हम एक्सटैन्ड कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यह हम कोई नयी चीज करने जा रहे हैं। हमने यह इसलिए किया है ताकि डिस्क्रीमीने ान खत्म हो सके कि कोई व्यक्ति एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरे ान का चेयरमैन तो न बन सके लेकिन खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का चेयरमैन बन सके।

आवाजेंः डेढ़ लाख रूपया खा गये हो, इसका भी जवाब दे दो।

चौधरी खुर ाीद अहमदः उसका भी मैं हिसाब कर दूंगा आप बेफिक्र रहो। यह अमैंडमैंट हम इसलिये करने जा रहे हें क्योंकि ऐग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरे ान के चेयरमैन की एक बन्धी हुई तनख्वाह होती है। उनका बाकायादा औफिस होता है, रैगुलर महीना भर वह औफिस चलता है और उनको तनखाह और टी.ए. डी.ए. मिलता है। स्पीकर साहब, मेरे ऊपर एक स्पैसिफिक इल्जाम आया कि खुर ाीद अहमद कमि ान आफ इंक्वायरी के सामने वकील के तौर पर पे ा हुआ और मुझे रैमुनरे ान मिली। स्पीकर

साहब, जिस आदमी ने वकालत करने का सर्टीफिकेट लिया हुआ है वह हर अदालत में वकील के तौर पर पे ा हो सकता है। स्पीकर साहब, मैंने गवर्नमैंट को कभी ऐप्लाई नहीं किया कि मैं कमि ान आफ इंक्वयरी के सामने पे ा हो रहा हूं और प्रोसीडिंग्ज कंडक्ट कर रहा हूं और गवर्नमैंट मुझे अप्वायंट करे During the conduct of those proceedings, I was appointed by the Government as as counsel and what was the remuneration? The remuneration was that he would be paid Rs. 500/- pe apperance for a hearing and to the maximum extent of Rs. 3500/- in a month स्पीकर साहब, जितने भी कमि ांज आफ इंक्वायरी आज तक बने, उनमे इसी तरह के वकील पे ा होते थे, इसी तरह की पे ियां हाती थीं। यही सिर्फ एक कमि ान नहीं था। मै कमि ान के सामने बतौर एक वकील प्रौसीडिंग्ज कंडक्ट कर रहा था। (विघ्न) स्पीकर साहब, सवाल सिर्फ यह है कि अगर इस हाउस का मैम्बर वकील हो तो उसको तो कोई इजाजत नहीं कि कमि ान के सामने जा सके और बाकी को कमि ान के सामने जाने की इजाजत हो। इस तरह की डिस्क्रिमिने ान नहीं होनी चाहिए।

श्री दीप चन्द भाटिया: आपकी अप्वायंटमैंट कब की गई थी ?

Ch. Khurshid Ahmed: I, started the case in July and the appointment was made somewhere in Auust. इसमें हम कोई ऐसी नई चीज नहीं ला रहे हैं। इस तरह की चीजें पहले भी प्रिवैन् ान आफ डिसक्वालिफिके ान ऐक्ट के तहत होती रही हैं।

इसी ऐक्ट के तहत श्री बलदेव तायल प्लांनिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन रहे। फिक्सड तनखाह है, टी.ए. है आल एमालूमेंट्स आफ पब्लिक सर्वेट्स है। उन्हेांने यह कहा कि हरेक के लिए किया जा रहा है, तनखाहदार बनाया जा रहा है। यह चीज आज की जा रही है, कल को नहीं होगी। स्पीकर साहब, जो पोलिटीकल आदमी हैं, वे तनखाह के जॉब में नहीं पड़ते। जहां तक ऐक्सपर्ट सर्विसिज का ताल्लुक है, आप किसी वकील की खिदमात लेते हैं, उसका न कोई औफिस है और न कोई रेगुलर अप्वायंटमैंट होती है। Only he has to go to the court and appear. जिस दिन केस खत्म हो जाता है, जिस पर्टिकुलर केस के लिए जिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्ज के लिए उसको एन्गेज किया है, उसी दिन वह खत्म हो जाएगा। Even as such it does not constitute any office of profit. As far as the ruling is concerned, the Supreme Court has already ruled in Kanta Kathuria's case. She was an M.L.A. and was a Govt. Deputy Advocate General in Rajasthan. She was an advocate representing the State in cases. The Supreme Court has held that it was not a regular office. Advocate's office is not a regular office. (Interruptions) इस केस से यह क्लीयर है। यह इसलिये है कि बहुत से भाइयों को इसके बारे में गल्तफहमी है और आज अगर इस सारे ऐक्ट को रिपील कर दिया जाए तो वे मारे जाएंगे जो रेगुलर औफिस होल्ड कर रहे हैं, उनकी रेसक्यू के लिए यह है, खुर ाीद अहमद के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो खादी बोर्ड क चेयरमैन रहे हैं, वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और स्टेट प्लांनिग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, यह उनके लिए है।

वकील का कोई औफिस नहीं होता। औफिस उनका है जो प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, खादी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। हम जो करने जा रहे हैं वह उसी तरह का है, इसमें उसी तरह का है, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है .....

चौधरी राम लाल वधवाः जब मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड था तो मैंने सिर्फ तनखाह ली थी, एम.एल.ए. का अलांउस नहीं लिया। (व्यवधान)

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे इनके साथ पूरी हमदर्दी है कि ये कुछ ज्यादा नहीं ले पाए। वधवा साहब से मुझे बड़ी हमदर्दी है। इस प्वायंट पर मैं उनसे पूरी हमदर्दी रखता हूं। यह ऐक्ट ऐसी कोई नई चीज नहीं करने जा रहा है। यह ऐक्ट वही चीज करने जा रहा है जो चीज 1952 से, जब से कांस्टीट्यू ान लागू हुआ, हो रही है। जब से पोलिटीकल पर्सन्ज के हाथ में आफिस आया तभी से ऐसी चीज हा` रही है। इसकी भाुरूआत सबसे पहले मिनिस्अर और डिप्टी मिनिस्टर के आफिस से हुई और आज जो कुछ हम कर रहे हैं, it is only completing the process and that too in between.

स्पीकर साहब, मेरे किसी भाई ने यह कहा था कि क्या यह चीज फाइनल है ? इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह फाइनल हो नहीं सकता in the nature of things. स्पीकर साहब, मैं इन रिमार्क्स के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि इस बिली को

पास किया जाए। मुझे उम्मदी है कि सब भाई इस बिल का समर्थन करेंगे।

डा. मंगल सैनः आप पंडित कमि ान के सामने पे ा हुए और आखिर में सारी चीज आपने वापिस ले ली। (व्यवधान)

चौधरी खुर ीद अहमदः आपने वापिस लिया था। हमने वापिस नहीं लिया। आप उस वक्त होम मिनिस्टर थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब मैं चौधरी राम लाल वधवा का मो ान पुट करता हूं:—

That this House disapproves the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 1 of 1980.)

चौधरी राम लाल वधवाः हम इस पर डिविजन चाहते हैं (व्यवधान)

(इस समय डिविजन बैल बजाई गई)

श्री हीरा नन्द आर्यः मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: At the time of division, there can be no point of order. If there is any discrepancy or doubt, that can be considered later.

औचित्य प्र न

किसी सदस्य, जिसका बिल में सीधा वैयक्तिक या आर्थिक हित निहित हो, द्वारा वोट देने सम्बन्धी

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं वोटिंग के अधिकार पर प्वायंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान रूल 96 की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस तरह से हैं:–

A member may not vote on any question in which he has a direct pecuniary interest.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, आप देख सकते हैं कि रूल के मुताबिक वोट का राइट किसको है।

श्री अध्यक्षः तमाम मैम्बर्ज को है।

कई आवाजें: नहीं जी। ऐसी बात नहीं है।

Swami Agnivesh: Speaker Sahib, Rule 96 reads:-

"A member may not vote on any question in which he has a direct pecuniary interest ..... (Interruptions)"

आवाजें: स्वामी जी, हिन्दी मे पढ़िये।

Mr. Speaker: No disturbance whatsoever please. Let the hon. Member make out his point. (Interruptions)

स्वामी अग्निवे ा: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रूल 96 के अन्दर बिल्कुल स्पश्ट लिखा गया है कि कोई भी सदस्य किसी ऐसे प्र न पर मतदान नहीं कर सकता जिसमें उसका प्रत्यक्ष आर्थिक हित हो। यदि वह ऐसे प्र न पर मतदान करे तो सभा द्वारा मूल प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने परमत को अस्वीकृत किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव मत–विभाजन समाप्त होने के तुरन्त बाद और अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोशित किये जाने के पूर्व किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसका और स्पश्टीकरण इस तरह किया गया है। इस नियम में उल्लिखित हित प्रत्यक्ष, निजी या आर्थिक होना चाहिए और पृथक रूप में ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जिसके मत के बारे में प्र न किया गया हो और सर्वसाधारण के बारे में या उसके किसी वर्ग या समूह के लिए सामान्य न हो या राज्य की नीति सम्बन्धी मामले के बारे में न हो।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, रूल तो मैंने स्टडी कर लिया है, आप इस बारे में कहना क्या चाहते हैं ?

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, यह आफिस आफ प्रोफिट को ऐग्जम्पट करने के लिए लाया गया है क्योंकि जो बोर्ड्ज के और कारपोरे ान्ज के चेयरमैन होते हैं, उनको तनखाह मिलती हैं। (ाोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, जो मतलब इस रूल का मैंने निकाला है, वह यह है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए यह बिल

लाया गया हो और उस व्यक्ति का नाम इसमें मैन् ान हो कि फलां व्यक्ति के बारे में यह बिल लाया जा रहा है तो फिर वह व्यक्ति वोटिंग नहीं कर सकता लेकिन अगर किसी व्यक्ति वि ोश का इसमें कोई नाम न हो तो फिर वह व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। (ाोर एवं व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, चौधरी खुर ाीद अहमद जी का इस बिल से सम्बन्ध है। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Sitting on this Chair, I am not concerned with the question as to who is involved or who is not involved. If it is mentioned in the Bill that it is being brought in for Sh. Khurshid Ahmed, who had worked as a Government Counsel before a certain Commission of Enquiry, then I could debar him from voting. But nowhere it is mentioned in the Bill कि यह एक परसन के लिए लाया गया है।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर है जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिल में किसी का नाम नहीं आता और आ भी नहीं सकता। वे न्यायाधीकरण के सामने पे ा हुए थे जिससे कि साफ जाहिर है कि यह बिल उन्हीं से सम्बन्धित है। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। रूल 96 के बारे में आपकी जो इन्टरपैंटे ान है, वह सिर माथे पर लेकिन इस बारे में मैं थोड़ी सी गुजारि ा करना चाहता हूं ....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस की सैन्स हो तो बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

औचित्य प्र न (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि आप हमारे साथ एक बार फिर रूल को पढ़ लें (ाोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्षः आप जो इफैक्टिव पो र्ान हैं, वह पढ़े, सारा न पढ़ें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः ठीक है जी। I would draw your attention to the explanation to Rule 96, which reads:-

"The interest contemplated in this Rule should be direct, personal or pecuniary and separately beling to the person whose vote is questioned and not in common with the public in general or with any clas sor section thereof or on a matter of State policy."

Now, I would also draw your attention to clause (2) of the Bill which reads as under:-

"In sub-section (1) of section 3 of the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974....." (Interruptions)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप बिल की कौन सी क्लाज को रेफर कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः क्लाज 2

श्री अध्यक्षः मेरे विचार में आप क्लाज 'के' जो इन्सर्ट की जा रही है, को रेफर कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः जी हां।

Mr. Speaker: Clause (k) reads as under:-

"An advocate appointed by the State Government to conduct any particular suit, case or other proceedings by or aginst the State Government before any court, tribunal or other authority, or to assist the Commisin of Inquiry, or to assist or reperesent any of the parties before the Commission of Enquiry ....."

Sh. Verender Singh: Sir, it further reads:-

"..... appointed under the Commission of Enquiry Act, 1952 ....."

Mr. Speaker: As I take it, 'an Advocate appointed' is covered under a class or section. Therefore, this Bill Covers

not only a particulare Advocate appointed for one purpose but all future advocates, who may be appointed by the State Government to conduct any particular suit, case or other proceedings by or against the State Government.

Sh. Verender Singh: Sir, it is not only for future but it also gives retrospective effect.

Mr. Speaker: Hon. Members, I have very carefully heard the hon. Members who have spoken on this Bill and especially now I can say that I am convinced that the Bill may refer to any particular person or not but, as at present worded and read in conjunction with the rules, it applies not only with retrospective effect but also for futre to any advocate, who may be appointed by the State Government. Therefore, I do not feel justified debarring any member from voting. (Interruptions & noise)

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन्शन आफ डिसक्वालिफिकेशन) अमैंडमैंट बिल, 1980 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now, I will put the motion moved by Ch. Ram Lal Wadhwa to the vote of the House.

Question is:-

That this House disapproves the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Ordinance, 1980 (Haryana Ordinance No. 1 of 1980)

After ascertaining the votes of the Members by voices Mr. Speaker announced that "Noes have it", This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker afte calling upon those members who were for "Aye" and those who were for "No" respectively to rise in their places and on acount having been taken declared that the motion was lost.

The motion was lost.

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, हम इस पर रिकार्डिड डिवीजन चाहते है।

Mr. Speaker: I do not consider any necessity for it.

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप रूल 94 का सब–रूल 3 और 4 पढ़े।

Mr. Speaker: Sub rules (3) and (4) of Rule 94 read:-

"(3) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he may, if he thinks that the division is unnecessarily claimed, ask the members who are for "Aye" and those for "No" respectively to rise in their places, and on account being taken, he may declare the determination of the Assembly. In such a case, the names of the voters shall not be recorded."

"(4)(a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged and he does not adopt the course provided for in sub-rule (3), he shall order a "Division" to be held"

I have already adopted the course laid down in sub rule (3) of Rule 94 and announced the decision of the House.

Now, I will put the motion moved by the Local Government Minister to the vote of the House.

Question is:-

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करूंगा।

क्लाज 2

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लाज पर बोलना चाहता हूं। यह बिल कांस्टीच्यू ान की धारा 213 और 192 को वायलेट करता है और यह बिल न्यायालय द्वारा न्याय को रोकन के लिए लाया गया है। इसलिये मै। माननीय सदस्यगण से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बिल को पास न होने दें। अध्यक्ष महोदय, यह बिल पास होने के बाद कोई भी मुलाजिम या कोई भी तनखाहदार चुनाव लड़ सकता है, आप उसको कैसे मना करेंगे ? एक आदमी विधान सभा का सदस्य भी हो और दूसरी तरफ से तनखाह भी ले, मैं समझता हूं कि विधायकों के लिये ये भ्रश्टाचार का रास्ता खोल रहे हैं। इससे इल्लीगल ऐक्ट को

लीगलाइज किया जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताकिब जब इस बिल का आर्डिनैस गवर्नर साहब के पास गया था तो उन्होंने भी इसके लिये चीफ मिनिस्टर को कहा था कि इसको रि–कंसिडर करें। इसलिये यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्षः क्या यह बात अखबार में आई थी ? मेरी नालैज में तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा सुना है। I may or may not be correct. अध्यक्ष महोदय, इसकी क्लाज 2(ए) में जो भाशा लिखी गई है अगर उसका अर्थ गहराई से देखें तो आपको इसकी गम्भीरता मालूम हो जाएगी। इसमें लिखा हैः–

"(a) in clause (e) for the words "who is not in receipt of any remuneration other than the compensatroy allowance", the words "whether he is, or is not, in receipt of any remuneration including compensatory allowance" shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted"

स्पीकर साहब, इसमें एक और खतरनाक काम किया गया है कि इसे रिटरोस्पैक्टिव इफैक्ट दिया गया है। यह एक बहुत गलत कदम उठाया गया है। ऐसी क्या जरूरत थी कि इसके लिये आर्डिनैन्स जारी किया गया ? अगर सरकार इसमें यह स्पश्ट कर देती है कि यह बिल हम एक मंत्री की मदद करने के लिए या स्वामी जी की मदद करने के लिए ला रहे हैं तब भी हम सरकार की ईमानदारी समझते। इससे कम से कम सरकार की यह

ईमानदारी तो आ जाती कि हम किसी को तनखाह देने के लिए इसे लीगलाइज कर रहे हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बिल को वापिस ले और आर्डिनैन्स का लैप्स होने दे।

डा. मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, श्री खुर ाीद साहब के वक्तव्य को मैंने बड़े गौर से सुना था। उन्होंने बड़ी इग्नोरैन्स में कहा था कि मैं तो मुकदमा कंडकट कर रहा था। सरकार ने मेरी सेवा की जरूरत समझी मुझे लगा दिया और थोड़ा सा पैसा दिया। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए कम से कम 500/– रूपया था और ज्यादा से ज्यादा 3500/– रूपया महीना था। (विघ्न) जो मिनिस्टर रहा हो, ऐसी बात न जानता हो। उनको पता था कि ऐसा करने से मै डिसक्वालिफाइ हो जाऊंगा लेकिन फिर भी उन्होंने वह एक्ट किया। इनको जब पता चला कि इनका कोई विरोधी हाई कोर्ट में चला गया है और गले में रस्सा फंस गया है तो इन्होंने मुख्य मंत्री को आर्डिनैन्स जारी करने के लिए कह दिया और अब यह अमैंडमैंट आ गई। स्पीकर साहब, सरकार को यह बात भाोभा नहीं देती इसलिये इस बिल को वापिस लेना चाहिए।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: I think the time of the House will have to be extended at least by another 10 minutes.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): कोई जरूरत नहीं, सब बोल चुके हैं।

Mr. Speaker: I would like to have the sense of the House whether the time be extended or not?

Voices: No need.

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 stand part of the Bill.

Dr. Mangal Sein: On a point of order, Sir. Mr. Speaker, we want recorded division on this clause. In this connection, I quote Rule 94(4) (c) which reads:-

"(c) if the opinion sodeclared is again challenged he shall direct the "Ayes" and the "Noes" into their Lobbies. In the "Ayes" and "Noes" Lobby, as the case may be the votes of the members shall be recorded by the Division Clerks on the Division Lists."

Mr. Speaker: I am constrained to say that the sitting will have to be extended. Do I have the sense of the House to extend the sitting by anothe ten minutes?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: Sitting is extended by another ten minutes.

वाक आउट

Dr. Mangal Sein: Sir on this clause we want division by going into the respective Lobbies. (Interruptions)

Mr. Speaker: I do not think it is necessary. (Interruptions)

Dr. Mangal Sein: Then, Sir, we walk out. (Interruptions)

(At this stage, the members of the Opposition staged a walk out.)

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन् ान आफ डिसक्वालिफिके ान) अमैंडमैंट बिल, 1980 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: I will again put clause 2 to the vote of the House.

Question is:-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9 बजे के लिए एडजर्न किया जाता है।

13.42 बजे

(तत्प चात सदन बृहस्पतिवार दिनांक 10—7—1980 को प्रातः 9 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)